1

# राजस्थान विधान सभा को कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] पंचम विधान सभा के अष्टम सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 3



बृहस्पतिवार,

दिनांक 8 मई, 1975

विधान सभा को बैठक प्रातः 8.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर मे प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[विद्युत्, वित्त, सिचाई, सहकारिता, सार्वजनिक निर्माण, खाद्य, स्वायत्त शासन एवं पंचायत विभाग]

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी।

### थर्मल पावर प्लान्ट

**11. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा)** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा में स्थापित किये जाने वाले थर्मल पावर प्लान्ट की वर्तमान वस्तुस्थिति क्या है ?

(2) क्या राज्य सरकार हर परिस्थिति में कोटा में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिये कटिबद्ध है ?

**वित्त मंत्री (श्री चन्दन मल बैद)** :

(1) कोटा ताप बिजली घर अभी तक केन्द्रीय सरकार के ऊर्जा मंत्रालय और योजना आयोग के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में संयंत्रों की खरीद, भूमि आवंटन, रेल्वे लाइन साइडिंग आदि कार्यों की अग्रिम कार्यवाही की जा चुकी है।

(2) राज्य में विद्युत् उपलब्धि एवं खपत को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बारे में पूर्ण प्रयास कर रही है।

**श्री भुवनेश चतुर्वेदी** : क्या यह सही है कि विद्युत् मंडल ने बी. एच. ई. एल. को इसके कन्स्ट्रक्शन के लिये कहा लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ?

**श्री चन्दनमल बैद** : कन्स्ट्रक्शन का ठेका नहीं दिया, बल्कि उनको मशीनरी सप्लाई करने के लिये डेढ करोड़ रुपये दिये हैं।

**श्री भुवनेश चतुर्वेदी** : क्या यह सही है कि बी. एच. ई. एल. ने विद्युत् मंडल को यह कहा कि जब तक यह प्रोजेक्ट प्लानिंग कमीशन से क्लियर नहीं होता है तब तक हम इस काम को लेने के लिये तैयार नहीं हैं ?

**श्री चन्दनमल बैद** : यह तो मैं खुद ही अर्ज कर चुका हूं। यह प्रोजेक्ट अभी तक ऊर्जा मंत्रालय और प्लानिंग कमीशन के विचाराधीन है और बी. एच. ई. एल. का यह कहना कि हम प्लानिंग कमीशन के क्लियरेन्स के बाद ही इस काम को लेंगे, यह ठीक ही है।

**श्री ओंकारलाल चौहान** (डग) : आपने बताया कि यह ऊर्जा मंत्रालय और प्लानिंग कमीशन के विचाराधीन चल रहा है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह कब तक तय हो जायेगा ?

**श्री चन्दनमल बैद** : यह तो आप भारत की लोक सभा में प्रश्न पूछें तो अच्छा होगा। हम बराबर उनको कह रहे हैं लेकिन प्लानिंग कमीशन का यह कहना है कि जब योजना को रिव्यू करेंगे तब सोचेंगे कि इसको इन्क्लूड करें या नहीं।

(शोरगुल)

**श्री ओंकारलाल चौहान** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान सरकार से सम्बंधित है और राजस्थान सरकार इस पर कब तक निर्णय कर देगी ?

**श्री चन्दनमल बैद** : कब तक यह विचाराधीन रहेगा यह तो मैं नहीं कह सकता। हम बराबर प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्दी से निर्णय लिया जाये। प्रिलिमिनरी स्टेप्स हमने ले लिये हैं, मशीन का आर्डर भी प्लेस कर दिया है, रेल्वेज से रेल्वे साईडिंग के लिये भी लिख दिया है। हमने सारे प्रिलिमिनरी स्टेप्स ले लिये हैं और हर तरह से तैयार हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती नगेन्द्र बाला।

**श्रीमती नगेन्द्र बाला** (दीगोद) : मंत्री महोदय ने कहा कि यह प्रश्न लोक सभा में पूछा जाये। हम लोक सभा में तो जा नहीं सकते और हम तो आप से ही पूछेंगे। यह कोटा का प्रश्न है और बजट सत्र के अन्दर भी मैंने निवेदन किया था कि कोटा की जनता के मन में निरन्तर यह शंका पैदा हो रही है कि यह प्रोजेक्ट वहां नहीं लगाया जायेगा। हम बार बार निवेदन करते रहे हैं कि मेहरबानी करके इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगाया जाये, आप स्वयं इसमें कोशिश करें।

**श्री चन्दनमल बैद** : माननीय सदस्या को समझना चाहिये कि मैंने केवल इस बात को कहा था कि क्योंकि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय और प्लानिंग कमीशन के यहां विचाराधीन पड़ा हुआ है, इसलिये वह कब तक फाइनेलाइज कर देंगे यह लोक सभा में पूछा जाये। जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है हमने मशीनरी का आर्डर दे दिया है बी. एच. ई. एल. को और उनके यहां डेढ़ करोड़ रुपये जमा भी करा दिये, जमीन का आवंटन कर दिया है और रेलवे साईडिंग के लिये रेल्वे मंत्रालय से मिले हैं। जो भी स्टेप्स लेने चाहिये वह ले चुके हैं। राजस्थान सरकार सचेष्ट है और हम चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट कोटा में लगे और निश्चित रूप से लगेगा।

**श्री केदार नाथ** (गंगानगर) : जब आपने चम्बल और भाखरा को लिंक करने का सिद्धांत मान लिया है, तो क्या इस नई स्थिति को आपने केन्द्र के सामने पेश किया ?

**श्री चन्दनमल बैद** : केन्द्र को सारी स्थिति की जानकारी है और हम उनको बराबर कह रहे हैं कि हमारे यहां बिजली घर की बहुत जरूरत है और राजस्थान में बिजली की जरूरत बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि 400 या 440 मेगावाट का ताप बिजली घर कोटा में लगाने की अनुमति दी जाये। लेकिन प्लानिंग कमीशन का यह कहना है कि प्लान को जब रिव्यू करेंगे उस वक्त सोचेंगे कि इसके लिये अनुमति दी जाये अथवा नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) श्री भुवनेश चतुर्वेदी।

**श्री भुवनेश चतुर्वेदी** : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, यह तो एक गोलमाल जवाब है। मैं स्पेसिफिकली यह जानना चाहता हूं राज्य सरकार ने कब इसके बारे में पत्र लिखा ? क्या स्टेप्स लिये गये ? यह स्टेपवाइज हमें बतावें। सदन फिर बहुत लम्बे अर्से के बाद मिलने वाला है। हरियाणा और पंजाब में इन प्लांट्स को लिया जा रहा है लेकिन हमारे यहां सुस्ती बरती जा रही है।

**श्री चन्दनमल बैद** : हरियाणा और पंजाब में कोई अगर बिजली घर लगता है तो उससे हमारा सम्बन्ध नहीं है। हम तो हमारे यहां लगाने की बात करेंगे और हमने मशीनरी के लिये डेढ़ करोड़ रुपया जमा भी करा दिया है, यह सब स्टेप्स हमने लिये हैं।

**श्री भुवनेश चतुर्वेदी** : यह तो स्टेप्स नहीं हुए। केन्द्र सरकार को क्या लैटर्स लिखे हैं ? कब लिखे हैं ? वह बताइये। एटेमिक पॉवर स्टेशन की यह हालत है कि तीन तीन महीनों तक बन्द रहता है। तो क्या सैन्ट्रल गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती ?

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** (सूरतगढ़) : केन्द्र सरकार के आगे आप अपनी किसी बात को एम्फेसाइज नहीं कर पाते। ट्रेक्टर प्लांट लगाने की बात थी, वह आप नहीं कर सके। आपके पास केवल एक ही बात रह गई है कि राजस्थान को गिरवी रख कर वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया जाये।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : भारत सरकार के क्लियरेन्स न देने का क्या कारण है ? वह आप बतावें। आखिर क्या दिक्कत है उनको ?

**श्री ओंकारलाल चौहान** : क्या दिक्कत आ रही है ?

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : आपको वास्तविक कष्ट क्या है, यह तो बतायें।

**श्री भुवनेश चतुर्वेदी** : भारत सरकार क्या कारण बताती है ? राजस्थान सरकार असमर्थ रही है। आप ऑइल रिफाइनरी नहीं ले पाये, फर्टीलाइजर्स कॉम्प्लेक्स आप नहीं ले पाये और अब थर्मल पॉवर प्लांट के लिये सहमति प्लानिंग कमीशन से नहीं ले पा रहे हैं। आप अपनी असमर्थता हाउस के सामने क्यों नहीं लाते ? अगर आप कम शक्तिमान हैं तो हाउस का सहयोग लीजिये और सेन्टर से कम से कम इस प्रोजेक्ट को ले कर आइये।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या केन्द्र सरकार से इस थर्मल पॉवर प्लांट का क्लियरेन्स न मिलने का कारण

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
यह है कि राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि हमारे यहां बिजली सरप्लस है ? इसके बारे में सरकार ने क्या कारसपोंडेन्स की ? यह हमारा स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री चन्दनमल बैद : जहां तक कोरसपोन्डन्स का सवाल है, वह मैं लेकर तो आया नहीं हूं, लेकिन यह है कि हम बराबर भारत सरकार को लिख रहे हैं और प्लानिंग कमीशन के साथ भी जब जब मीटिंग्स होती हैं या पॉवर मिनिस्टर्स की कान्फरेन्स होती हैं, हम हमेशा इस बात को उठाते हैं और हमने स्ट्रेस किया है कि 400 या 440 मेगावाट का पॉवर हाउस कोटा में लगना चाहिये। तो हम हमेशा बराबर इस बात को स्ट्रेस करते रहते हैं। इसलिये आपका यह कहना कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, यह गलत है।

दूसरी बात आपने कही कि हम सेन्टर से एक भी प्रोजेक्ट राजस्थान के लिये नहीं ले पाये। तो यह तो सेन्टर का प्रोजेक्ट है नहीं। यह तो राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है। प्लानिंग कमीशन तो केवल ओवर ऑल पोजीशन देखकर क्लियरेन्स देती है और उनका यह कहना है कि जब हम प्लान को रिव्यू करेंगे तब ही सोचेंगे, कोयले का उत्पादन देखते हुए और रेल्वे वैगन्स की अवेलेबिलिटी को देखते हुए। राजस्थान सरकार का जहां तक सवाल है, हम चाहते हैं कि कोटा में यह ताप बिजली घर खुले और हम इसमें सचेष्ट हैं। हमने इसके लिये स्टेप्स भी लिये हैं, डेढ़ करोड़ रुपये जमा भी करा दिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव !

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से जो प्रश्न पूछा उसका जवाब तो आया ही नहीं। अगर अभी इनके पास सूचना नहीं हो तो इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दिया जाय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने जो जवाब देना था वह दे दिया।

नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब भी नहीं आया। अगर मंत्री महोदय कुछ भी करने को इसमें असमर्थ हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? हम भी इनका साथ देने को तैयार हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आपका इस्तीफा होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव !

## ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा के सरपंच एवं उप-सरपंच के विरुद्ध जांच

12. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा शेखावतान (पंचायत समिति, आमेर) के सरपंच श्री गंगा सिंह व उप सरपंच श्री गणपति सिंह के खिलाफ गबन व भ्रष्टाचार की कोई जांच कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो इसमें क्या क्या आरोप लगाये गये हैं ?

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

(2) क्या उक्त मामलों की संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच कर ली गयी है ? यह कितने समय से सरकार के पास निर्णय के लिये पड़ी है तथा निर्णय में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**पंचायत मंत्री** (श्री रामनारायण चौधरी): (1) जी हां, उनके विरुद्ध काईन हाउस की राशि एवं बीड़ के ठेके की रकम के गबन के अरोप लगाये गये हैं।

(2) उक्त मामलों की प्रारम्भिक जांच जिलाधीश (पंचायत) कार्यालय द्वारा कर ली गई है। गबन के मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। यह जांच राज्य सरकार के पास मार्च, 75 से विचाराधीन है।

**सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ में गबन का प्राईमाफेसी केस बन गया है ? उनके खिलाफ में क्या कार्यवाही की गयी ?

**श्री राम नारायण चौधरी** : जी हां। सरपंच और उप सरपंच दोनों ही निलम्बित हैं।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : अध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह गबन का केस कितने रुपये का है ? और यह गबन कब हुआ था और सरपंच और उप सरपंच कब से निलम्बित हैं ? यह केस कब डिटेक्ट हुआ था ?

**सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत अर्से से चला आ रहा है। इनके खिलाफ में एक्शन होना चाहिये। इसके अलावा इसमें मैं यह चाहती हूं कि इन लोगों ने वहां पर चारागाहों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है इन्हें वहां से तुरन्त हटाया जाना चाहिये।

**श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न के खण्ड दो में जो बताया गया है कि गबन के मामले की जांच कर ली गयी है और उन लोगों के खिलाफ पुलिस में कार्यवाही चल रही है, तो यह केस पुलिस में कब से पेन्डिंग है ? यह बताया जाना चाहिये।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले की जांच जिलाधीश पंचायत द्वारा की गयी और जांच के अन्दर सरपंच और उप सरपंच दोनों ही गबन के मामले में दोषी पाये गये हैं इसलिये राज्य सरकार ने उन्हें निलम्बित कर दिया तथा जिलाधीश ने उन लोगों के खिलाफ पुलिस में दिनांक 26-11-74 को एफ.आई.आर. दर्ज करा दी है और मामला पुलिस के विचाराधीन चल रहा है। प्राईमाफेसी केस बनते ही उन्हें निलम्बित कर दिया गया था।

**श्री अध्यक्ष**: नेकस्ट। श्री रामसिंह कुड़ी।

## इन्जीनियरों एवं ओवरसियरों की नियुक्ति

13. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में इन्जीनियरों एवं ओवरसियरों की नियुक्तियां 1-1-75 के बाद की गई हैं ? यदि हां, तो कब व किस किस व्यक्ति की एवं किस प्रणाली से ?

# Page No 6



(श्री रामसिंह कुड़ी)

(2) क्या इस संबंध में कोई मेरिट लिस्ट बनाई गई ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण दर्शाते हुए मेरिट लिस्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

**वित्त मंत्री** (श्री चन्दनमल बैद): (1) जी हां । विभाग में 1-1-75 के बाद नियुक्त किये 236 जूनियर इन्जीनियरों की नामावली तथा आदेश संख्या एवं दिनांक की सूची (अ) संलग्न हैं । उक्त पद राजस्थान सबोर्डिनेट इन्जीनियरिंग बी. एण्ड आर. ब्रान्च नियम 1973 के भाग चार के साथ पठित नियम 25 तथा 26 के अन्तर्गत भरे गये हैं ।

(2) जी हां । राजस्थान सबोर्डिनेट इन्जीनियर्स (भवन एवं पथ) नियम 1973 के पार्ट चार में वर्णित नियमों के तहत मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी । प्रतिलिपि (ब) संलग्न है ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री रामसिंह कुड़ी** : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो मेरिट लिस्ट बनी थी किस किस आधार पर बनी थी और इसमें जो अपॉइन्टमेन्ट दिया गया है वह कितने कितने मार्क्स पर दिया गया ? इसमें यह नहीं बताया गया है ।

**श्री चन्दनमल बैद** : अध्यक्ष महोदय, उसके लिये एक सलेक्शन कमेटी बनी हुई है उसमें मेरिट के अनुसार केन्डीडेट्स को लिया गया है ।

**श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि उस सलेक्शन कमेटी ने फर्स्ट क्लास केन्डीडेट्स को सलेक्ट नहीं करके उनसे कम नम्बर वाले लोगों को, जो कि सैकन्ड क्लास थे, सलेक्ट कर लिया है ? इसका क्या कारण है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकता हूं कि क्या क्राईटेरिया रहा अपॉइन्टमेन्ट्स का लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं और हो सकता है फर्स्ट क्लास केन्डीडेट्स को इन्टरव्यू में ज्यादा काबिल नहीं मानकर या इन्टरव्यू ठीक तरह से नहीं देने की वजह से उन्हें नहीं लेकर सैकन्ड क्लास केन्डीडेट्स को लिया गया हो ।

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, उस मेरिट लिस्ट में फर्स्ट क्लास केन्डीडेट्स को तो नहीं बल्कि जो डिग्री होल्डर थे उनको नहीं लिया जाकर डिप्लोमा होल्डर्स का अपॉइन्टमेंट कर लिया गया है । इसका क्या कारण है ?

**श्री केदारनाथ** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या जिन लोगों को अपॉइन्टमेंट दिया गया है वह अपॉइन्टमेंट उन लोगों में से नहीं किया गया है जो कि मेन पॉवर पूल के अन्दर एनरोल्ड हैं और जिन्हें गवर्नमेन्ट स्टाईपेन्ड देती है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : अध्यक्ष महोदय, यह गलत है । क्योंकि सारे के सारे वही लोग लिये गये हैं जो कि मेन पॉवर पूल में एनरोल्ड थे । उन्हीं में से मेरिट के अनुसार लिया गया है ।

**श्री दीपंकर** (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस सलेक्शन कमेटी ने जो सलेक्शन किया है उसमें हरिजनों को जितने प्रतिशत लेना चाहिये वह कोटा पूरा कर लिया गया है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : अध्यक्ष महोदय, जितने भी हरिजन उपलब्ध थे उन्हें सभा को अपॉइन्टमेंट दे दिया गया है।

**श्री दीपंकर** : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार की घोषित नीति है उसके अनुसार लिया गया है या नहीं ? उपलब्ध होने से क्या मतलब है ? इसके अलावा आपने फर्स्ट क्लास केन्डीडेट को छोड़ दिया और सैकन्ड क्लास केन्डीडेट को अपॉइन्टमेंट दे दिया है—यह किस तरह से किया ? कितने केसेज हैं जिनमें यह हुआ है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : अध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से जितने भी हरिजन आदिवासी थे उन्हें सभी को ले लिया गया है।

**श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इन नियुक्तियों में घोर पक्षपात हुआ है और अन्याय हुआ है वास्तव में कई फर्स्ट क्लास केन्डीडेट्स थे उन्हें नहीं लिया गया है और दूसरे गरीब और काबिल केन्डीडेट्स को नहीं लिया गया है। जिन लोगों की पहुंच नहीं थी जिनकी सिफारिश नहीं थी उन्हें नहीं लिया गया है। मेरे पास ऐसे लोगों की लिस्ट मौजूद है, अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को काबिल होते हुए भी नियुक्ति नहीं मिल सकी। अध्यक्ष महोदय, आर. एस. ई. बी. में नियुक्ति मैरिट के अनुसार की गयी थी उसमें परीक्षा लेकर काफी लोगों के नाम ऊंचे से नीचे और नीचे से ऊंचे कर दिये गये। जो लोग मार्क्स में काफी नीचे थे उन्हें पक्षपात करके नियुक्त कर लिया गया है। क्या इन अनियमितताओं के लिये राज्य सरकार कोई जांच करवाने को तैयार है ?

**श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो आरोप माननीय गहलोत साहब ने लगाये हैं उनके लिये क्या मन्त्री महोदय किसी प्रकार की जांच कराने को तैयार हैं ? अध्यक्ष महोदय चूंकि यह आरोप बहुत ही गम्भीर हैं और माननीय सदस्य श्री अमृतलाल जी गहलोत साहब प्रमाण तक देने को तैयार हैं तो क्या इसके लिये मन्त्री महोदय कोई जांच कराने का आश्वासन सदन में देने को तैयार हैं ?

**एक माननीय सदस्य** : इसके लिये हाउस के एम. एल. एज. की एक कमेटी बनायी जाय और उसके द्वारा जांच की जानी चाहिये।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : यह तो बात सुनते हैं कि सिफारिशों से लोगों को लिया जाता है, यह सारा धन्धा चलता है लेकिन जब प्रमाण गहलोत साहब देने को तैयार हैं तो क्या मन्त्री महोदय इसकी इन्क्वायरी कराने को तैयार हैं ?

**श्री चन्दनमल बैद** : अध्यक्ष महोदय, गहलोत साहब के पास नामों की कोई लिस्ट है और बतावें तो मैं इसके लिये जांच कराने को तैयार हूं।

(व्यवधान : अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया है वह आपने सुना नहीं। उन्होंने जांच कराने का आश्वासन दे दिया है।

**श्री नत्था सिंह** (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, जितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लेना चाहिये था उतने लिये गये या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ने शायद उत्तर सुना नहीं है। मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दे दिया है कि वह इसके लिये इन्क्वायरी कराने को तैयार है।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : अध्यक्ष महोदय, हमारी यह मांग है कि इन आरोपों की जांच सदन के मेम्बर्स के द्वारा करायी जानी चाहिये नहीं तो सारा मामला इधर उधर कर दिया जायेगा। हाउस के एम.एल.एज. की कमेटी बनाकर जांच करायी जानी चाहिये।

**श्री चन्दनमल बैद** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उसके लिये मेरा निवेदन यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के तो 16 प्रतिशत लोगों का जो कोटा था वह पूरा कर लिया गया है। शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में जितने उपलब्ध थे उन्हें ले लिया गया। अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों ने एप्लाई किया और इन्टरव्यू में आये उन सभी को लिया गया है। और जिन्होंने एप्लाई ही नहीं किया उसके लिये मैं घर जाकर तो बुलाकर लाऊंगा नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट। श्री श्रीराम गोटेवाला !

### राज्य में पंजीकृत सहकारी समितियां

**14. श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी** (बयाना) : **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल जयपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सहकारी समितियां कुल कितनी पंजीकृत हैं तथा इनमें से कितनी कार्यरत हैं और कितनी अवसायन में हैं ?

(2) उक्त कितनी पंजीकृत सहकारी समितियों में गबन के मामले नहीं पाये गये ?

**सहकारिता मन्त्री** (श्री रामनारायण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर बहुत लम्बा है और इसमें जानकारी आने में समय लगेगा इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किया जावे।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि मैंने तो यह पूछा है कि कितनी पंजीकृत सहकारी समितियों में गबन के मामले नहीं पाये गये, कितने के गबन हुए ? यह नहीं पूछा जिसमें कि समय लगे। आंकड़े तो पूछे नहीं हैं।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर) : Misappropriation is the rule. और अगर regular मिल जाये तो exception है।

इसमें क्या हुआ, उसको एडमिट मन्त्री महोदय करते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : जब प्रश्न में ही मिस-एप्रोप्रियेशन हो जाय तो फिर क्या ?

नेक्स्ट, श्री झाबरमल सून्डा !

बिजली की चोरी के मामले

**15. श्री झाबरमल सून्डा** (फतेहपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान बिजली बोर्ड के एक उड़न दस्ते ने पिछले दिनों में सीकर जिले के गांवों में कृषि कार्य में ली जा रही बिजली में चोरी के मामले पकड़े हैं ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में किन किन तारीखों में, कितने-कितने मामले पकड़े ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बिजली की चोरी के मामले में एक बिजली उपभोक्ता के विरुद्ध पुलिस थाना श्रीमाधोपुर में एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई है तथा उसकी बिजली की सप्लाई काट दी गई है ?

(3) क्या बिना पूर्व नोटिस के किसी उपभोक्ता का विद्युत् कनेक्शन विच्छेद किया जा सकता है ? यदि हां, तो किस नियम के अधीन ?

(4) क्या बिजली (विद्युत्) की चोरी के मामले पकड़ने व उन पर निर्णय करने जैसी दोनों शक्तियां बिजली बोर्ड में निहित हैं ? यदि हां, तो उस कानून की जानकारी भी देने की कृपा करें ?

**वित्त मंत्री** (श्री चन्दनमल वैद) : (1) जी हां, राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के केन्द्रीय उड़न दस्ते ने दिनांक 5-4-75 से 11-4-75 की अवधि के दौरान सीकर वृत्त के गांवों में की जा रही चोरी के अनेक मामले पकड़े हैं। इन गांवों के नाम तथा प्रत्येक गांव में पकड़े गये चोरी के मामलों की संख्या संलग्न सूची (अ) में दर्शाई गई है।

(2) जी हां।

(3) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल की बिजली सप्लाई की सामान्य शर्तों (जनरल कन्डीशन्स ऑफ सप्लाई) के खण्ड 29 (सी) के अन्तर्गत विद्युत् मण्डल किसी भी उपभोक्ता का विद्युत् कनेक्शन बिना किसी पूर्व नोटिस के विच्छेद करने की पूर्ण क्षमता रखता है, यदि यह पाया जाये कि उपभोक्ता बेईमानी से बिजली का उपभोग कर रहा है।

(4) विद्युत् मण्डल के उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की चोरी के मामले पकड़ने की शक्ति बिजली बोर्ड में पूर्णतया निहित है। चोरी के मामले पकड़े जाने पर बेईमानी से उपभोग की गई बिजली का पैसा वसूल करने की क्षमता बोर्ड में बिजली सप्लाई की सामान्य शर्तों (जनरल कन्डीशन्स ऑफ सप्लाई) के खण्ड 29 (सी) (2) के अन्तर्गत निहित है। इसके अलावा चोरी के मामले में इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 1910 की धारा 39 के अन्तर्गत पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

**श्री झाबरमल सून्डा** : अध्यक्ष महोदय, जनरल कण्डीशन्स ऑफ सप्लाई ऑफ इलैक्ट्रिसिटी के अनुसार जहां कहीं मामले पकड़े हैं वे मीटर की चोरी के मामले

(श्री झाबरमल सूण्डा)
पकड़े हैं। इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 1910 की धारा 26 के अनुसार मीटर की चोरी की रेस्पोन्सिबिलिटी बोर्ड की है और जहां कहीं भी केसेज पकड़े हैं वे चोरी के पकड़े हैं। इसमें 4 में निहित है

"(4) Provided that the licencee shall not be at liberty to take off or remove any such meter if any difference or dispute of the nature described in sub-section (6) has arisen, until the matter has been determined as therein provided."

अध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि चोरी की है और उसी वक्त सप्लीमैन्टरी बिजली दी है। 26 (6) में क्लियर लिखा हुआ है :

"(6) Where any difference or dispute arises as to whether any meter referred to in sub-section (1) is or is not correct, the matter shall be decided, upon application of either party, by an Electrical Inspector and where the meter has, in the opinion of such Inspector, ceased to be correct, such Inspector shall estimate the amount of the energy supplied to the consumer or the electrical quantity contained in the supply ..."

इसमें इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टर यह बताता है कि कितनी इनर्जी कन्ज्यूम की है। ये सारे के सारे केसेज पुलिस अफसर ने किये हैं न कि इलैक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर ने और यह इन्टेन्शनली किये गये हैं और किये जा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आपको जो पूछना है वह पूछिये ?

**श्री झाबरमल सूंडा** : क्या इस प्रकार से पुलिस को दखल देने का अधिकार है ?

**श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर)** : मैं भी, अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : पहले उसका उत्तर आ जाय।

**श्री लक्ष्मण सिंह** : दूसरे खण्ड में लिखा हुआ है कि एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गयी और बिजली कट कर दी गयी। मामला साबित होने से पहले ही बिजली की सप्लाई काट देना यह आर्बीट्रेरी है।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैंने धाराओं को पढ़कर सुना था। आर. एस. ई. बी. के अधिकारी यदि बिजली सप्लाई हो रही है और उसकी चोरी की जा रही है, तो उस सप्लाई को बन्द कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि बिजली की चोरी करें और सप्लाई भी जारी रहे ?

**श्री लक्ष्मण सिंह** : माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि इलैक्ट्रिसिटी ऑथोरिटीज को डिस्क्रिशनरी पॉवर्स हैं और वाइड पॉवर्स हैं यह मैं मानता हूं। लेकिन एफ. आई. आर. दर्ज कराने पर ही आर्बीट्रेरिली बिजली की सप्लाई बन्द कर दी जाय यह सन्तोषजनक नहीं है। क्या यह मन्त्री महोदय की जानकारी में है

(श्री लक्ष्मणसिंह)
कि दरअसल में चोरी की है ? यदि की है तो एक्शन लिया है वह ठीक है लेकिन यदि केवल एफ. आई. आर. दर्ज करके ही बिजली की सप्लाई काट दी गई तो यह हाई हैन्डेडनेस है।

**श्री भ्रावरमल सूंडा** : मैंने अभी, अध्यक्ष महोदय.......

**श्री अध्यक्ष** : स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिये।

**श्री भ्रावरमल सूंडा** : मैंने अभी आपको नियम पढ़कर बताये थे। बिना नोटिस के ही इस तरह से क्या बिजली काट दी जा सकती है ?

**श्री चन्दनमल बैंद** : यह तो इन्टर-प्रिटेशन का सवाल है। जजमेन्ट के लिये तो नहीं बैठे हैं। कौनसी चोरी मानते हैं और कौनसी नहीं मानते हैं इसका तो अदालत में ही जाकर फैसला होगा कि चोरी की है या नहीं। यदि आर. एस. ई. बी. को यह विश्वास हो जाता है कि चोरी की है बिजली की तो वह चोरी ही है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : गलत आदमी पकड़े गये हैं। उनके वैसे ही कनेक्शन काट दिये जाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ, जैसे शाहू जैन सीमेन्ट वर्क्स है, उनके विरुद्ध बिजली की चोरी के सम्बन्ध में केस चल रहा है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? उनका भी कनेक्शन काटा गया है क्या ? या केवल किसानों का ही कनेक्शन काट दिया जाता है ?

**श्री चन्दनमल बैंद** : अलग से प्रश्न पूछिये मैं उसका जवाब दूंगा।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : मैं यह जानना चाहता था कि किसान को तो आपने पनिशमेंट दे दी लेकिन आप बड़े लोगों के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लेते हैं जबकि उनके द्वारा लाखों रुपयों की बिजली की चोरी होती है।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : जैसा श्री श्रीराम जी गोटेवाला ने पूछा है कि सामान्य उपभोक्ता के खिलाफ तो एफ. आई. आर. दर्ज हो जाय और उसकी बिजली काट दी जाती है लेकिन शाहू जैन जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के विरुद्ध जो केसेज बिजली चोरी के चल रहे हैं उनका कनेक्शन क्यों नहीं काटा जाता ? इसका उत्तर दीजिये आप।

**श्री चन्दनमल बैंद** : प्रमाण सहित पूछिये।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : क्या आप बिजली के मुतल्लिक इस प्रकार का रूल बता सकते हैं कि यह पाबन्दी है कि बिजली बोर्ड की कम्पलेन्ट किसी अदालत में सीधी पुलिस नहीं कर सकती है ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बिजली की इतनी चोरी हो रही है और उससे सरकार को लाखों रुपयों का घाटा हो रहा है तो क्यों नहीं सख्त एक्शन ले रहे हैं ? विरोधी दल के माननीय नेता ने पूछा कि प्राइमाफेसी चोरी करता है फिर भी कनेक्शन क्यों नहीं काटते

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर करोड़ों रुपयों की चोरी कैसे रुकेगी।

**एक माननीय सदस्य** : क्या यह मन्त्री की ओर से रिप्लाई है ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़)** : आपके ऊपर तो बड़े बड़े लोगों का हाथ है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : चोरी रोकने की बात है।

**श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर)** : माननीय श्री गोटेवाला जी ने पूछा कि साहू जैन का बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं काटा, तो साहू जैन की बिजली काटने का काम मन्त्री जी का है या मुख्य मन्त्री जी का है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : बिजली बोर्ड ही काट सकता है। न वित्त मन्त्री को है और न ही मुख्य मन्त्री जी को है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या मुख्य मन्त्री जी के द्वारा जोड़े हुए कनेक्शन को बिजली बोर्ड काट सकता है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : आर. एस. ई. बी. को ही अधिकार है कनेक्शन जोड़ने और काटने का।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मन्त्री मण्डल को ओवर रूल करके ही काट देता है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : बिजली के कनेक्शन का मन्त्री मण्डल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मीठालाल !

**श्री मीठालाल मीणा (लालसोट)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब बिजली की चोरी का मामला चल रहा है तो किसान तो बिजली की कम चोरी करता है, बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा बड़ी बड़ी चोरी की जाती है इसके रोकने के लिये स्थायी रूप से उड़न दस्ते, जैसे बड़े बड़े शहरों में होते हैं और आबकारी विभाग ने भी किया है, ऐसे इसमें भी कायम किये जाने चाहिये ताकि वे अचानक जाकर छापे मारें और बिजली की चोरी हो रही है उसको रोकें और उसके विरुद्ध जिसने चोरी की है सख्त कार्यवाही करें, क्या इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : सुझाव बहुत अच्छा है। कार्यवाही की जावेगी।

**श्री दीपंकर (लाडनूं)** : अध्यक्ष महोदय⋯

**श्री अध्यक्ष** : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने व बोलने पर) इतने एक साथ क्यों बोलते हैं ?

**श्री दीपंकर** : एक छोटा सा प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उड़न दस्तों के नाम पर एस. डी. ओ. ने डीडवाना तहसील के कुओं के कनेक्शन गलत रूप से काट दिये और फिर लिखित में माफी मांगी ? विभागीय अधिकारी, इस तरह की कार्यवाही करें, क्या यह आपके नोटिस में है और अगर है तो उनको रोके जाने की क्या कार्यवाही की है ? भूतपूर्व सैनिकों के कनेक्शन काटने से उनको पीटा है तो उनको रोके जाने के बारे में क्या कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं और न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब तक किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करते हैं तब तक वह इन्नौसेन्ट रहता है। इसी तरह अधिकारी किसी भी किसान के कनेक्शन काट आते हैं और चोरी मानकर कनेक्शन काट देते हैं और उसका शो-काज नोटिस भी नहीं देते हैं। इस तरह के नियम किसानों के साथ ज्यादती करते हैं। दौसा सब डिविजन में सैंकड़ों किसानों के साथ इस प्रकार की ज्यादती हुई है और इस ज्यादती के विरोध में प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों और अधिकारियों ने मनमाने तरीके से बिल बनाये हैं जिससे उनकी फसलें खतम हो गईं। इस तरह किसानों को लूटने के लिये आपने उनको पूरे अधिकार दे रखे हैं। अगर साबित हो कि वह दोषी है तो कनेक्शन काटे अन्यथा कनेक्शन नहीं काटने चाहिये और क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए।

श्री झाबरमल सुण्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है ......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप बीच में कहां से कूद पड़े।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि क्या आपके पास एस्टीमेट है कि हाई टेन्सन की कितना चोरी हुई है और लो टेन्सन की कितनी चोरी हुई है ? क्या आपने इस बात का असेस किया है ? और नम्बर दो, इन हाई टेन्सन और लो टेन्सन के विरुद्ध आपने कोई एग्जेम्पलरी कदम उठाया है ? यह सदन को सूचित करें।

श्री झाबरमल सुण्डा : अध्यक्ष महोदय, एक बात तो मेरी भी यही है और दूसरी बात है क्या पुलिस फोर्स को काम में लिया है, तीसरी बात कनेक्शन काटने से पहले क्या कन्ज्यूमर को नोटिस दिया गया है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं लेकिन कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि मामूली से कर्मचारी जाकर कनेक्शन काट देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं उड़न दस्ते में एडीशनल एस. पी., सुपरिंटेन्डिंग इंजीनियर, ए. ई. एन., वहां के लोकल ए. ई. एन. वगैरह जाते हैं, काफी बड़े स्तर के अधिकारी जाते हैं और वे वहां जाकर स्थिति को देखते हैं और अगर चोरी पाते हैं तब कनेक्शन काटते हैं। मैं इस बात को सोचता हूं और देखता हूं और सदन को देखना चाहिये कि जो चोरी होती है उसको और उड़नदस्ते बनाकर ज्यादा इफेक्टिव तरीके अपना कर रोकनी चाहिये। अगर सरकार ने उडन दस्ते बनाकर कार्यवाही की है और चोरियों को रोकने की कोशिश की है तो मैं समझता हूं सरकार के बारे में सदन को तारीफ करनी चाहिये और बल्कि यह कहना चाहिये कि और उडन दस्ते बनाये जायं और इस तरह की चोरी को रोकें।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री झाबर मल सुण्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब तो आया ही नहीं।

# Page No 14



श्री श्रीराम गोटेवाला : अब जवाब तो म्हारों ही कोने आनो ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हो गया । श्री श्रीराम गोटेवाला !

जयपुर डवलपमेंट ऑथोरिटी

15. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जयपुर में जयपुर डवलपमेंट ऑथोरिटी बनाने का निर्णय कर लिया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्धी प्रारूप विधि विभाग के विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रारूप की प्रतिलिपि सदन मेज पर रखने का कष्ट करें ।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री राम नारायण चौधरी) : (1) जयपुर डवलपमेंट ऑथोरिटी बनाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(2) जी हां, प्रारूप सदन के पटल पर रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता क्योंकि यह अभी प्रारूप स्तर पर ही है व इसे अन्तिम रूप देने में काफी परिवर्तन की सम्भावनायें हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : विचाराधीन है, इसके बारे में निर्णय कब तक हो जायगा ? मैंने पिछली दफा भी पूछा है, मैं यह चाहता हूं आपकी योजना क्या है ? प्रारूप बनाने का केवल मात्र मकसद यही है क्या ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर): डवलपमेन्ट ऑथोरिटी का निर्माण कब तक हो जायगा ? एक प्रश्न और दूसरा प्रश्न है, क्या डवलपमेंट ऑथोरिटी का चेयरमेन जो आप बनाने जा रहे हैं उसमें क्या जयपुर के कांग्रेसी विधायक श्री श्रीराम गोटेवाला की नियुक्ति करने वाले हैं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस बात का जवाब तो दे ही देना ताकि इनके मुंह में घी और शक्कर दे सकूं ।

श्री राम नारायण चौधरी : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जयपुर डवलपमेंट ऑथारिटी के प्रारूप और उसके कर्त्तव्यों के बारे में जानकारी चाही है तो जो डवलपमेंट आथोरिटी है उसने देश में जो और डवलपमेंट ऑथोरिटीज हैं उनका अध्ययन करने के बाद प्रारूप तैयार किया है और उसमें जयपुर का डवलपमेंट किस प्रकार हो, यह कार्य उस ऑथोरिटी को सौंपा जायगा कब तक बन जायगी, यह जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है कि जयपुर में डवलपमेंट ऑथोरिटी स्थापित हो ।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य । श्री भारतीय !

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : जैसा माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया और सदन में पहले भी प्रश्न आया है तब भी विचाराधीन बताया था । यह अहमियत का प्रश्न है, किस स्तर पर वह विचाराधीन है कम से कम इस बात से तो सदन को अवगत करायें—कहां मामला विचाराधीन चल रहा है और विचाराधीन है तो यह

15



(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
कब तक परिपक्व हो जायगा ? पूरे स्टेप्स बताने का कष्ट करें ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : साथ में यह बताने का कष्ट करें कि इसका चेयरमेन कोई ऑफिसियल बनेगा या नान-आफिसियल बनेगा ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गान्धीनगर, जयपुर) : माननीय मंत्री महोदय ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि मामला विचाराधीन है । प्रश्न अब यह है कि कौनसे डिपार्टमेंट से, कौनसी जगह से यह कब तक निकल जायगी - स्पेसिफाई कर दें । राजस्थान सरकार के विचाराधीन होने के नाते अन्य विभाग के मंत्रियों को यह मालूम हो कि किस आधार पर बन रहा है, नगर परिषद् और नगर सुधार न्यास को जोड़कर क्या कोई विकास अधिकरण बनेगा या कोई और आधार है ? स्पेसिफिक जानकारी मिलनी चाहिये कि कौन कौनसे डिपार्टमेंट और कौन कौनसी संस्थायें तोड़ी जायंगी और क्या डवलपमेंट आथोरिटी कोई इलेक्टेड बाडी होगी या केवल मात्र नामिनेटेड होगी ? सदन का मालूम तो हो कम से कम कि आप इतनी बड़ी बात करने जा रहे हैं ।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, जब यह विचाराधीन ही सवाल है तो फिर अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर जो बड़े बड़े स्थान हैं वहां के लिये भी जवाब देने की कृपा करें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, क्या गत सत्र में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने इस सवाल के बीच में हस्तक्षेप करके यह बताया था कि एक महीने के भीतर भीतर इस डवलपमेंट कमेटी का गठन कर दिया जायगा ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी नहीं है कि गत सत्र में मुख्य मन्त्री महोदय ने क्या यह घोषणा की है कि एक महीने के भीतर कर दी जायगी । माननीय जनार्दनसिंहजी ने यह जानना चाहा है कि इस डवलपमेंट ऑथोरिटी का क्या फंक्शन होगा ? यू. आई. टी. और नगर परिषद् को किस प्रकार जोड़ा जायगा ? नगर परिषद् और यू. आई. टी. की यथा पूर्व स्थिति रहेगी और डवलपमेंट कमेटी से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष : आपने प्रारूप फाइनल कर लिया है क्या जो आप बता रहे हैं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आखिर विचाराधीन है कोई मामला तभी तो ?

श्री शंकरलाल (पाली) : अभी फाइनल प्रारूप थोड़े ही तैयार हुआ है ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : सी. एम. की घोषणा हो गई कि एक महीने में गठन कर दिया जायगा तो एक्जीक्यूट करने वालों को स्पष्ट करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री अजीतसिंह!

### टौंक जिले में लेवी की वसूली के लिये बनाये गये सेन्टर

17. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टौंक जिले में लेवी वसूली हेतु कितने सेन्टर बनाये गये हैं ?

(श्री अजीतसिंह)

(2) क्या इन सैन्टर्स को सरकार पर्याप्त समझती है ?

(3) क्या राज्य सरकार का इन लेवी सैन्टर्स को बढ़ाने का विचार है ? और यदि हां, तो काश्तकारों को धान तोलने में असुविधा हो तो क्या जिलाधीश और केन्द्र चालू कर सकेंगे ?

खाद्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) टौंक जिले में लेवी वसूली हेतु 49 संग्रहण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। सूची परिशिष्ट (अ) पर उपलब्ध है।

(2) जी हां।

(3) फिलहाल नहीं। आवश्यकता पड़ने पर केन्द्र और भी खोले जा सकते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सूची के अनुसार एक सैन्टर पांच पंचायतों पर है। एक किसान निश्चित रूप से लेवी चुकाने जायगा तो उसको 10 मील की यात्रा करनी पड़ेगी। माननीय मन्त्री जी को गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि एक काश्तकार को कितनी परेशानी भुगत कर लेवी तोलने के लिये जाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, हर काश्तकार के पास गाड़ी तो है नहीं बहुत से लोगों को सिर पर ढो कर भी ले जाना पड़ेगा। लेवी के लिए एक बहुत बड़ी लाइन बन जाती है, पटवारी भी लग जाता है। जो राजाओं का राज्य था उससे भी भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। जब लगान वसूल करते थे तो काश्तकार को पैसे देते थे। मुफ्त में 10-10 मील लेवी चुकाने के लिये जाना पड़ेगा। 10-10 मील पर आपने जो सेन्टर रखे हैं यह उचित नहीं है। या तो चार्जेज दीजिये या फिर सेन्टर्स को नजदीक कीजिये। यह बहुत बड़ा फर्क है और फिर आपने कहा है पांच पंचायतों पर एक सेन्टर रखा है तो इससे तो काश्तकार को 3-3, 4-4 दिन तक पड़े रहना पड़ेगा। आप विचार करके देखें, दो मील से ज्यादा दूर सैन्टर नहीं हो। अभी भी आप नहीं मानते हैं तो ट्रान्सपोर्ट चार्जेज आप दीजिए। दूसरे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो को-ऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और जहां स्टोर्स बने हुए हैं जैसे उदयपुर के अन्दर बने हुए हैं उसी आधार पर सेन्टर्स बनायें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में उसको लागू कर दें और को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को बुला कर हैण्ड-ओवर कर दें तो ज्यादा अच्छी व्यवस्था होगी।

एक माननीय सदस्य : यह सवाल है या भाषण है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल(अलवर): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल टोंक जिले का ही नहीं है। क्या यह सही नहीं है कि पिछली बार इससे पहले सेन्टर्स करीब-करीब प्रत्येक पंचायत या प्रत्येक पटवार हल्के के अनुसार बहुत बड़ी तादाद में बनाये गये थे ? अब की बार जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है, न केवल टोंक जिले में बल्कि हर जिले में बहुत ही सीमित संख्या में पांच पंचायतों के ऊपर एक सेन्टर रखा है जिसमें बहुत लम्बी डिस्टेन्स पर किसानों को जाना पड़ता है। तो इस तरह से इसको कम करने का क्या आधार है ? क्या सरकार यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
महसूस नहीं करती है कि इससे किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और जिनको उचित तौर पर लेवी देनी चाहिए उनको भी विरोध करने का आधार मिल गया है ? तो इस आधार पर क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करके सेन्टर्स को पंचायत-वाइज बनाने का कार्य करेगी ?

**श्री मालाराम** (नीम-का-थाना): अध्यक्ष महोदय ··

**श्री अध्यक्ष** : ( कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) मर्जी हो तो आप इसका उत्तर सुन लें पहले ।

**श्री मालाराम** : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है····

**श्री अध्यक्ष** : मैं ना नहीं कह रहा हूं । इसका उत्तर सुन लें उसके बाद में आप पूछ लें, मैं अवश्य अवसर दूंगा ।

**श्री मालाराम** : अध्यक्ष महोदय,····

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप विराजिये । पहले मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे दें । आपको फिर मौका दूंगा । मन्त्री महोदय ।

**श्री शिववरण माथुर** : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न के उत्तर के तीसरे भाग में निवेदन किया है कि सेन्टर्स को बढ़ाये जाने की कोशिश की जा रही है आवश्यकता के अनुसार । इसलिए प्रारम्भ में जितने सेन्टर्स थे और पिछले वर्ष की स्थिति विशेष स्थिति थी । ट्रेडर्स लेवी के बीच में कन्ज्यूमर्स लेवी लगाई गई और आवश्यक रूप में निश्चित समय में निश्चित मात्रा में गेहूं की पूर्ति करना जरूरी था इसलिए उसे क्रेश प्रोग्राम के बेसिस पर प्रत्येक पटवार सर्किल पर सेन्टर्स स्थापित करने की कोशिश की गई थी । अब की बार भी 1500 से अधिक केन्द्र स्थापित किये गये हैं । मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने निश्चय किया है और यह आदेश दे दिये हैं कि आवश्यकता के अनुसार और केन्द्र बढ़ा दिये जायें जिससे किसानों को ज्यादा दूरी पर नहीं जाना पड़े ।

**श्री मालाराम** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस आदमी ने एक बीघा में भी गेहूं नहीं बोया है और पटवारी ने गलत गिरदावरी की और यहां तक कि दस दस साल से गेहूं नहीं बोया है और बेजड़ और चना बोया है उनके ऊपर भी लेवी आई है ? अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में कम से कम दसियों केसेज हैं और उन लोगों को घसीटा जा रहा है । पांच, सात साल से गेहूं भी नहीं बोया है और पटवारी ने झूठी गिरदावरी करके काश्तकारों को घसीटा है । कोई भी काश्तकार से पटवारी का मन मुटाव हो तो वह गलत गिरदावरी कर देता है····

**श्री अध्यक्ष** : यह प्रश्न आज नहीं है ।

**श्री गुरदयालसिंह संधु** (करनपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि सेन्टर बनाते समय दूरी को कैसे ध्यान में रखा जायेगा ? ज्यादा से ज्यादा किसानों को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी और ऑक्ट्राय, तुलाई, ढुलाई किसके जिम्मे होगी और पेमेंट का क्या प्रबन्ध होगा ? यह मैं जानकारी चाहता हूं ।

# Page No 18

(18)



**श्री मूलचन्द सामरिया ( दौसा ) :** अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने कहा कि इस बारे में ज्यादा केन्द्र खोले जा सकते हैं तो इसका क्राइटेरिया बतायें कि कितनी ज्यादा से ज्यादा दूरी होनी चाहिए ? दूसरे यह बतायें कि केन्द्र खोलने के अधिकार किन को हैं ? क्या अपनी मर्जी से और किन्हीं व्यक्तियों के प्रभाव में आकर खोली या किसानों की फेसेलिटीज के आधार पर या जनरल क्राइटेरिया तय करगे उसके आधार पर केन्द्र खोले जायेंगे ? और जब आपने लेवी लेना शुरू कर दी है तो यह कब तक फैसला होगा और कब तक यह केन्द्र खोल दिये जायेंगे ?

**श्री पां. के. चौधरी** (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि आवश्यकता के अनुसार सेन्टर्स बढ़ा दिये जायेंगे । यह बहुत वेग इन्सट्रक्शन्स हैं । यह बात सब जानते हैं कि किसान सुबह 8 बजे जाता है और शाम तक उसके माल की तुलाई नहीं होती है । तो आप डिस्टेन्स तय कर दीजिए कि दो मील पर सेन्टर होगा या तीन मील पर सेन्टर होगा । आप कहते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो बढ़ायेंगे लेकिन किसान को सुबह से शाम तक बैठना पड़ता है और इससे उसको नुकसान होता है । तो जो किसान लेवी देना चाहते हैं उनको भी आप डिस्करेज कर रहे हैं । जो आपका इम्पलीमेन्टेशन हो रहा है यह सही नहीं हो रहा है । जो लोग लेवी नहीं देना चाहते हैं और आपके जो तरीके रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को आप एनकरेज करना चाहते हैं । आप इस बात को महसूस करते हैं या नहीं ?

**श्री शंकरसिंह रावत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक लेवी का सवाल है वह ठीक है लेकिन एक क्राइटेरिया इस बात का बनायें कि काश्तकार को लेवी देने के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा और यदि इस प्रकार का क्राइटेरिया बनाया है तो यह सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए कि सेन्टर्स और बढ़ायेंगे । फिर जो क्राइटेरिया बनाया है उसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर बढ़ाना चाहिए ।

**श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि मंत्री महोदय ने कल भी आश्वासन दिया था और आज भ. दे रहे हैं कि सेन्टर अलग अलग ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर खोल दिये जायेंगे ···

**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं ।

**श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** : तो मेरा यह निवेदन है ··

**एक माननीय सदस्य** : यह कब कहा ?

**श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** : किसान अभी लेवी दे रहे हैं और लेवी का आन्दोलन छिड़ा हुआ है तो क्या इस प्रकार के आदेश लेवी वसूल करने के बाद में दिये जायेंगे ? इसलिए मेरा निवेदन है कि आज ही आदेश आप तहसीलों में पहुंचा दीजिए और प्रत्येक पटवारी और गिरदावर को हिदायतें दे दी जायें, आज ही आज इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये जायें तो ठीक है । किसानों से लेवी लेने के बाद ऐसे आदेश निकाले गये तो उससे किसानों

(श्री जयकिशनलाल तोसवाड़ा)
को सहूलियतें नहीं मिल सकती हैं। यह है प्रश्न नम्बर 1 और दूसरा यह है कि जहां किसान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अनाज के बदले में उनको पैसा दिया जाता है तो वहां के डीलर्स के पास पैसा नहीं होने से दो-दो और तीन-तीन रोज तक किसानों को बहुत परेशानियां होती हैं। उनको पैसा लेने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है जिनको भी वहां भेजा जाये उनको रकम देकर भेजा जाये।

**श्री नत्थासिंह** (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, 4 तारीख को मैं मेरे क्षेत्र में बरोली गांव में एक सेन्टर में किसानों से निवेदन करने गया। किसान नदबई क्षेत्र में अपना गल्ला लेकर आ गये। न तो वहां बोरियों की व्यवस्था थी और रात को 8.30 बजे मैंने आकर कहा तो नदबई से बोरियां भेजीं और न पैसे की भी कोई व्यवस्था थी।

यह दस बजे, नौ बजे, आठ बजे, सात बजे, 11 बजे किसान लेकर पहुंच गए लेकिन न तो तुलाई की व्यवस्था, न बोरियों की व्यवस्था, किसानों को पैसे देने की व्यवस्था नहीं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इनके लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : यह प्रश्न केन्द्र से सम्बन्धित है।

**श्री नत्था सिंह** : यह जो आपने लेवी के बारे में हालत की है वह क्यों ?

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

**श्री अध्यक्ष** : श्री शंकरलाल।

**श्री शंकरलाल** (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि यह पंचायतों का सर्किल बना दें और एजेन्ट के रूप में पंचायत समितियों से अगर काम लिया जावे तो मैं समझता हूं कि पंचायत समितियों के पास कोई अधिक काम भी नहीं है और यदि आप किसानों को विश्वास में लेना चाहते हैं, चुने हुए आदमियों को विश्वास में लेना चाहते हैं तो जो पंचायत समितियों के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको आप एजेन्ट के रूप में काम सौंपे और पंचायत हैड क्वार्टर को वहां गांव में लेवी को इकट्ठा करने का केन्द्र बना दें तो मैं समझता हूं कि किसानों के अन्दर बहुत बड़ा विश्वास पैदा होगा।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। क्या यह सही है।

**श्री अध्यक्ष** : मैं मौका तो आपको दे दूंगा, मौका देने में कोई एतराज नहीं है लेकिन आपके और सवाल रह जाते हैं। इस पर कल भी डिस्कशन हुआ था और जितने सवाल इससे सम्बन्धित हैं उसके अलावा पाइन्ट आप रेज करते हैं तो वह डिफिकल्ट हो जाता है और आगे के सवाल भी रह जाते हैं। इसलिए जो भी पूरक प्रश्न पूछें वह इससे सीधे सम्बन्धित हों बाकी सारे रिलेटेड विषय ले लें तो वह तो कोई सप्लीमेंट्री है नहीं और नतीजा यह होता है कि और सवाल रह जाते हैं। इसलिए आप पूछें लेकिन थोड़े में पूछें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या यह सही है कि जिलाधीशों ने भी इस बात की मांग की है कि पटवार हल्के पर सेंटर बनाए जावें।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी !

**श्री मनोहर लाल (कामां)** : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो एक सप्लीमेंट्री और पूछ लूं। आप मानते हैं कि लेवी के अन्दर सेंटर्स की दूरी का प्रावधान नहीं है तो इसमें क्यों कर दिया।

(व्यवधान-अश्रव्य)

**श्री मीठालाल मीणा** (लालसोट) : आपका कहना है कि आपने जैसा कहा कि सेंटर वगैरह बढ़ाने की आवश्यकता पड़ने पर बढ़ा दिए जावेंगे तो इनका अधिकारी कौन होगा, यह अधिकार आपने कलेक्टरों को दे दिया है या तहसीलदारों को अधिकार दे दिया गया है ? मेरा निवेदन है कि इस बारे में स्पष्ट जवाब आना चाहिए।

**श्री शिवचरण माथुर** : मैं आपको उत्तर दे दूं........

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय** : अध्यक्ष महोदय ......

**श्री अध्यक्ष** : पूछिए आप।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय** : माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन और है कि जो कांग्रेस की पॉलिसी है इसको वसूल करने की गल्ले को, उसका विरोधी पार्टीज विरोध कर रही हैं और आपका इन्तजाम पक्का नहीं होने से इनको और बल मिलता है। इसलिए इस बात के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और आपको स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि किस प्रकार से सेंटर्स होंगे, कितना डिस्टेंस होगा ? सदन लम्बे अर्से के लिए एडजोर्न होने वाला है इसलिए स्पेसिफिक पॉलिसी देने की जरूरत है।

**श्री शिवचरण माथुर** : अध्यक्ष महोदय...

**श्री लक्ष्मणसिंह** : एक सप्लीमेंट्री मैं भी पूछ लूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। एक ही सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : जल्दी ही पूछ लेते। अब भी जल्दी पूछ लें।

**श्री लक्ष्मण सिंह** : बहुत जल्दी पूछूंगा। मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है मेरी समझ में अपर्याप्त है। मैं लेवी का विरोध नहीं करता हूं। कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेवी लेनी पड़ेगी वर्तमान परिस्थितियों में, यह मैं समझता हूं। लेकिन माननीय प्रश्नकर्त्ता ने जो मुद्दे उठाये थे उसका उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया। काश्तकारों को दिक्कत है। छोटे काश्तकारों को दिक्कत है। छोटे काश्तकारों की दिक्कत रफा करना सरकार का फर्ज है। सरकार ने जो व्यवस्था अब तक की है वह अपर्याप्त है। उस व्यवस्था के अन्दर पुनर्विचार मंत्री महोदय करके कुछ सुधार लाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली इसका जवाब दीजिये।

**श्री शिवचरण माथुर** : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने लेवी के सिद्धान्त का समर्थन किया है इसलिए तो मैं उनका आभारी हूं।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : कीमत का नहीं है।

**श्री शिवचरण माथुर** : उसमें सब आ जाता है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : कीमत इसमें नहीं आती है।

**श्री अध्यक्ष** : हां या ना के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं।

**श्री शिवचरण माथुर** : जहां तक लेवी केन्द्रों की अधिक स्थापना का प्रश्न है माननीय सदस्यों की चिन्ता और व्यग्रता से सरकार परिचित है। उसके अनुसार कल ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सदन में घोषणा की थी और हमने इस पर विस्तृत चर्चा की है और लेवी का काम प्रारम्भ होने के बाद में कितने अधिक केन्द्रों की किसानों को आवश्यकता है उस विषय में विस्तृत रूप से विचार किया है। कल ही हमने जो इसकी पर्चेजिंग एजेंसीज है, एफ. सी. आई. और आर. डब्ल्यू. एच. सी. इनसे बात की है और कहा है कि अधिक केन्द्र खोल दें और यदि उनको कोई दिक्कत हो तो यह भी निर्णय लिया है कि हम अपनी तरफ से सरकारी विश्लेषण करके अधिक से अधिक केन्द्र खोल कर लोगों को राहत देने की कोशिश करेंगे·······

**कई माननीय सदस्य** : स्पष्ट उत्तर दें कि कहां तक केन्द्र खोल देंगे ?

**श्री शिवचरण माथुर** : स्पष्ट उत्तर यह है कि हम पटवार सर्किल तक केन्द्र खोलने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी बात····· ···

**कई माननीय सदस्य** : बस हो गया। अब आगे कोई जरूरत नहीं है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : श्री राजेन्द्रसिंह !

## पश्चिमी रेल्वे को दी गई बिजली

**18. श्री राजेन्द्र सिंह** ( उनियारा ) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पश्चिमी रेल्वे को राजस्थान विद्युत् मण्डल द्वारा वैगन रिपेयर शॉप, चम्बल पम्पिग स्टेशन और सीवेज प्लान्ट, कोटा इत्यादि के लिए बिजली दी गई थी ? यदि हां, तो किस वर्ष में ?

(2) इस सम्बन्ध में क्या कोई एग्रीमेंट बोर्ड द्वारा रेल्वे से हुआ था ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो कंज्यूमर को किस आधार पर बिल दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि बोर्ड की गलती से मार्च सन् 1973 तक सात लाख अट्ठाईस हजार का घाटा भुगतना पड़ा ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी कि किस अधिकारी की गलती से यह नुकसान उठाना पड़ा ?

**वित्त मंत्री** (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां। वैगन रिपेयर शॉप को·······

(व्यवधान-अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज !

**श्री राजेन्द्र सिंह** : शुरू से पढ़ दीजिए।

# Page No 22

(22)



**श्री चन्दन मल बैद** : (1) जी हां। वैगन रिपेयर शॉप को बिजली नवम्बर-1958 से दी जा रही है। चम्बल पम्पिंग व सीवेज प्लान्ट को बिजली भूतपूर्व कोटा स्टेट के समय से ही मिल रही है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अगर बात करना जरूरी हो तो आहिस्ते से ही कर ली जाय।

**श्री चन्दन मल बैद** : (2) अभी तक हाईटेंशन सप्लाई जो रेल्वे को 12-2-1967 से दी जा रही है, के सम्बध में एग्रीमेंट नहीं हो सका है......

**श्री अध्यक्ष** : मैंने निवेदन किया था कि अगर बात करना जरूरी ही हो तो आहिस्ते से हो जाय।

**श्री चन्दन मल बैद** : 1961 से पूर्व उस समय प्रचलित टैरिफ के अनुसार बिल दिया जाता था। 1961 से प्रोवीजनल चम्बल टैरिफ के अनुसार 95 पैसा प्रति युनिट की दर से बिल दिया गया है। 1964 से मण्डल की टैरिफ के अनुसार बिल दिया गया है।

(3) जी नहीं। रेल्वे व विद्युत् मण्डल के बीच "अण्डर एसेसमेंट" (लगभग 7.88 लाख रुपये का है) यह मामला विचाराधीन है। मण्डल को घाटा भुगतने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

**श्री राजेन्द्र सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि जो एग्रीमेंट नहीं हुआ उसका कारण क्या था? विलम्ब क्यों हुआ? और उनका जो कनेक्टेड लोड है जो कि विद्युत् विभाग को देर से मालूम पड़ा जिसका कि 3 लाख 73 हजार, 183 किलोवाट का था उसका उन्होंने कम रेट दिया जिससे सात लाख 88 हजार का लॉस हुआ, उसका क्या कारण है?

**श्री चन्दन मल बैद** : लॉस नहीं हुआ है। रूल्स में हमारे स्पष्ट प्रावधान हैं। इस विषय में कोई लॉस का प्रश्न नहीं है। दूसरी बात यह कि एग्रीमेंट नहीं होने का स्थिति में बिलिंग किस तरह से होगा और एग्रीमेंट होने पर किस तरह से होगा इसका प्रावधान है। इसलिए एग्रीमेंट नहीं होने से नुकसान होने का कोई प्रश्न नहीं है। एग्रीमेंट नहीं हो तो बिलिंग किस तरह से होगा यह बात मौजूद है। अब एग्रीमेंट नहीं था तो बिलिंग किस तरह से होना चाहिए उस तरह से किया गया है। अब इसमें कुछ गलती रह गई जिससे 7.88 लाख का फर्क है जिसके बारे में हमारे और रेल्वे के बीच में पत्र व्यवहार चल रहा है। बातचीत चल रही है और अन्त में जो भी फर्क पाया जाएगा उसके बारे में आपस में बैठ कर फ़ैसला हो जायगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ अब तक? क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि आपके अधिकारी इस बारे में विजिलेंट नहीं रहे और जो एग्रीमेंट पहले से हो जाना चाहिए था उस एग्रीमेंट के नहीं होने की सूरत में बिजली बोर्ड को कुछ न कुछ नुकसान सहन करना पड़ेगा और जिस तरह से टर्म्स पहले आप मनवा सकते थे एग्रीमेंट के अन्दर, अब एग्रीमेंट के बिना उनको नहीं मनवा सकते हैं? क्या गवर्नमेंट ने उन ऑफिसर्स के खिलाफ, जिन्होंने विजिलेंस नहीं बर्ती, कोई एक्शन लिया है?

**श्री चन्दन मल बैद** : मैं अर्ज करूंगा कि एग्रीमेंट और किसी बात का नहीं बल्कि एग्रीमेंट लोड के बारे में है। अगर एग्रीमेंट होगा तो किस तरह से लोड का असेसमेंट होकर बिलिंग किया जायगा और अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो किस तरह से होगा इसका प्रावधान मौजूद है। इस वक्त भी एग्रीमेंट नहीं होने की स्थिति में भी कोई नुकसान का प्रश्न नहीं है। एग्रीमेंट, यह तो उस लोड के बारे में है बाकी एग्रीमेंट होने या नहीं होने से हमारे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एग्रीमेंट होने से एक सुविधा होती है लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो बिलिंग किस तरह से किया जावे इसके लिए दूसरी व्यवस्था है, दूसरा प्रावधान है। इसमें कोई नुकसान हुआ हो यह बात नहीं है।

**श्री राजेन्द्र सिह** : एग्रीमेंट नहीं होने की स्थिति में आपका बोर्ड किस प्रकार से बिलिंग करता है यह बता सकते हैं ?

**श्री चन्दनमल बैद** : इसका प्रावधान अलग है।

**श्री राजेन्द्र सिह** : क्या है, बता सकते हैं ?

**श्री चन्दनमल बैद** : यह जो टेरिफ है उस पर सप्लाई करते हैं ...

**श्री राजेन्द्र सिह** : इसमें जो बिलिंग दिया है वह एक्चुअल कन्जम्पशन के अनुसार है।

**श्री चन्दनमल बैद** : जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार बिलिंग होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं हैं तो कनेक्टेड लोड या जो मेजरिंग इन्डीकेटर लगा हुआ है उसके अनुसार बिलिंग होता है। इसमें इतना ही फर्क है, कनेक्टेड लोड और मेग्जीमम इन्डीकेटर–इनमें जो ज्यादा होगा उसके अनुसार बिलिंग किया जाता है। इसका मेग्जीमम इन्डीकेटर के अनुसार बिलिंग हो गया है। इसके बावजूद दूसरे भी नियम हैं, जो हमारे नियम हैं उसके अनुसार इसका बिलिंग होगा। इससे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या आप किसी की ड्यूटी मानते हैं एग्रीमेंट नहीं करने की ?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय** : What are the reasons behind it ?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### हरिजन बस्ती लाडनूं में बिजली की व्यवस्था

1. **श्री दीपंकर (लाडनूं)** : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अब तक जल प्रदाय योजनाओं और समाज कल्याण विभाग से हरिजन बस्ती लाडनूं तहसील, जिला नागौर में कनेक्शन हेतु कितने रुपये जमा हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें

(2) उक्त क्षेत्र में रकम जमाशुदा कनेक्शन न देने का क्या कारण रहा है तथा प्राईवेट बेरों पर कनेक्शन देने में विलम्ब का क्या कारण रहा है ?

(3) बाकलिया से लाडनूं तक 33 के. वी. लाईन बिजली लगाने का प्रस्ताव

(श्री दीपंकर)
क्या राज्य सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग से जो राशि लाडनूं तहसील के विद्युतिकृत ग्रामों के अनुसूचित जाति व जन जाति तथा हरिजन मोहल्लों के विद्युतिकरण के सम्बंध में विद्युत् मंडल को दी गई थी, उसकी सूची 'अ' संलग्न है। इन सभी मोहल्लों का विद्युतिकरण हो चुका है।

(2) जलदाय योजनाओं को विद्युत् उपलब्ध कराने के लिये जलदाय विभाग ने जिन 4 गांवों के लिये धनराशि जमा कराई थी उनकी स्थिति संलग्न सूची 'ब' में दर्ज है।

कुओं के कनेक्शन के लिये ऐसा कोई केस पेण्डिग नहीं है जिसमें एस्टीमेट की राशि जमा हो।

(3) इस समय इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

## क्रूड एवं मोबिल आयल पर टैक्स

**2. श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में क्रूड एवं मोबिल ऑयल पर दूसरे पड़ौसी प्रान्तों के मुकाबले सबसे ज्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा है ? अगर हां, तो कितने प्रतिशत टैक्स वसूल किया जा रहा है एवं पड़ौसी प्रान्तों में कितने प्रतिशत टैक्स वसूल होता है ?

(2) क्या सरकार उक्त टैक्स कम करके गुजरात प्रान्त के बराबर टैक्स वसूल करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) राजस्थान में क्रूड एवं मोबिल ऑयल तथा केरोसिन तेलों की टैक्स की दर कब और कितनी कम कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जिला जालौर में बिक्री कर उसी दर से वसूल किया जा रहा है जिस दर से राज्य के अन्य भागों में किया जाता है। हमारे राज्य में क्रूड ऑयल (लाईट स्पीड डीजल ऑयल) पर 20 प्रतिशत एवं मोबिल ऑयल पर 7 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जा रहा है। पड़ौसी राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में डीजल ऑयल, क्रूड आयल तथा पैट्रोल आदि पर कर आदि बिक्री कर अधिनियम के तहत वसूल न किया जाकर मोटर स्प्रिट टैक्सेशन एक्ट के अन्तर्गत वसूल होता है। गुजरात बिक्री कर क्रूड आयल पर 8 प्रतिशत एवं मोबिल आयल पर 3 प्रतिशत की दर से वसूल किया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

## जिला जालौर के लिए आवंटित धनराशि

**3. श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जालौर में चिकित्सा व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवायें तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए पिछले साल कुल कितना कितना बजट प्रावधान था ? इसमें से दिनांक 31-3-75 तक कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई एवं कितनी कितनी धनराशि लेप्स की गई ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(2) उक्त विभागों के बजट प्रावधानों को दिनांक 31-3-75 तक काम में न लाकर बजट लैप्स करने की जवाबदारी किस किस की थी एवं उनके विरुद्ध सरकार द्वारा कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(3) जिला जालौर में अन्य सरकारी विभागों को आवंटित राशि दिनांक 31-3-75 तक क्या पूरी कार्य में लाई जा चुकी थी ? अगर हां, तो किस किस विभाग की कितनी धनराशि कब तक खर्च कर दी गई थी ? अगर नहीं तो किस किस विभाग की कितनी कितनी धनराशि दिनांक 31-3-75 के बाद लैप्स की गई एवं उसकी जिम्मेदारी किसकी थी एवं उनके खिलाफ कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

### पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में पानी की व्यवस्था

4. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में डेडवा, जाखल, हरियाली, डांगरा आदि गांवों के लिये क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सरकार द्वारा मन्जूर की गई है ? अगर हां, तो कब एवं कितनी धनराशि की ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत नजदीकी गांव डांवल, सागडना, झोपड़ा एवं भिवाडा भी आते हैं जिससे इस क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना द्वारा पीने का पानी सप्लाई आसानी से कम खर्चे में किया जा सकता है ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों को पीने के पानी की समस्या इसी योजना द्वारा मिटाने का निर्णय लेना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

(3) उक्त क्षेत्रीय योजना के लिये पीने के पानी का नलकूप कहां पर बनाया जावेगा ? क्या उक्त योजना के लिये ग्राम अकोली में नलकूप बनाना सरकार उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि देवड़ा-झाब आदि ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत ग्राम देवड़ा के नलकूप का पानी खारा हो गया है ? अगर हां, तो उक्त योजना के ग्रामों को पीने का पानी कहां से सप्लाई किया जावेगा ? उक्त योजना द्वारा क्षेत्रीय योजना के ग्रामों में पीने का पानी कब तक सप्लाई करना शुरू कर दिया जावेगा ?

(5) क्षेत्रीय जल योजना सांकड़ पालडीपुर के सब ग्रामों में पीने का पानी कब तक शुरू करवा दिया जावेगा ? सीलू, गोलासण आदि क्षेत्रीय जल योजना द्वारा ग्राम में पीने का पानी कब तक उपलब्ध करवा दिया जावेगा ?

(6) क्या यह सत्य है सांचोर हाडेचा क्षेत्रीय जल योजना द्वारा अभी तक सब ग्रामों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है ? अगर हां, तो कौन से स्थानों पर पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है ? इन स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था बूस्टर लगवा कर कब तक करवा दी जावेगी ? उक्त योजना के लिये सांचोर में एक ट्यूबवैल और बनवाया गया है, अगर हां, तो नये नलकूप से पानी सप्लाई कब तक शुरू करवा दिया जायेगा ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

### नागौर जिले में डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्तियां

5. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नागौर जिले में डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम में कितने अधिकारी किस किस विभाग के अब तक लगाये गये हैं ? एवं इन अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं अन्य पदों पर किस किस तारीख से किन किन व्यक्तियों को भर्ती कर नियुक्तियां दी हैं ? ऐसे कर्मचारियों के नाम, पिता का नाम, कौम, सकूनत, तहसील व जिला की सूचना सहित सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

### लेवी में अनाज की खरीद के लिये निर्धारित कीमत

6. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लेवी में खरीद किये जाने वाले अनाजों की कीमत राज्य में क्या क्या निर्धारित की गई है ?

(2) क्या सरकार ने ऐसे अनाजों के उत्पादन मूल्य के बारे में कोई जानकारी प्राप्त की है ? यदि हां, तो विभिन्न राजकीय फार्मों एवं विश्वविद्यालयों से ऐसे अनाजों का उत्पादन मूल्य क्या क्या बताया गया है ?

उत्तर

(1) लेवी में खरीद किए जाने वाले अनाजों की कीमत कृषि मूल्य आयोग, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ही निश्चित की जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्तमान गेहूं लेवी का मूल्य 105/- रु. प्रति क्विन्टल रखा गया है।

(2) विभिन्न राजकीय कृषि फार्मों में अनाजों का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि केवल उनका उन्नत बीज पैदा किया जाता है जिस पर अधिक कीमत वाला बीज, अधिक मात्रा में खाद एवं अन्य खर्च किए जाते हैं। फलतः उन्नत बीज उत्पादन पर, उपभोग हेतु उत्पादित अनाज की तुलना में उत्पादन मूल्य अधिक होता है।

### कृषि भूमि और सीलिंग सीमा

7. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य ने काश्त की भूमि पर जो सीलिंग सीमा निर्धारित की गई है, उसके सैद्धान्तिक आधार क्या क्या हैं ?

(2) क्या राज्य में काश्त की भूमि की जो सीलिंग सीमा निर्धारित है वह लाभप्रद जोत कही जा सकती है ? यदि हां, तो कैसे ?

(3) क्या सीलिंग सीमा के निर्धारण में अकाल की स्थिति का भी लिहाज रखा गया है ?

उत्तर

(1) कृषि भूमि पर सीलिंग सीमा का आधार राष्ट्रीय मार्गदर्शिका (National Guide lines) है जो राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक में निर्धारित किये गये।

(राजस्व मन्त्री)

(2) जी हां। पांच या पांच से कम सदस्यों के परिवार के लिए कम से कम दो फसलें उगाने योग्य सुनिश्चित सिंचाई वाली 12 एकड़ भूमि लाभप्रद जोत है।

(3) सीलिंग सीमा निर्धारण में सिंचित, असिंचित, भूमि एवं रेगिस्तानी, अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। अधिकतर अकाल इन्हीं क्षेत्रों में होता है।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**श्री अध्यक्ष :** मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 23 अप्रैल, 1975 को सवाई मानसिंह अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में एक 26 वर्षीय युवती की मृत्यु हो जाने के विषय में,

2. श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से सिरोही जिले में गत सप्ताह लेवी वसूली के दौरान पुलिस द्वारा काश्तकार महिलाओं की पिटाई के विषय में,

3. श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा की ओर से भरतपुर नगरपालिका द्वारा अनधिकृत अतिक्रमणों को 6 दिन के अन्दर समाप्त कर देने की एक विज्ञप्ति के विषय में,

4. श्री केशरीमल, सदस्य विधान सभा की ओर से ब्यावर के अमृतकौर अस्पताल के स्टाफ द्वारा 14 मार्च को टांटोली ग्राम में महिला नसबन्दी कैम्प में 5 औरतों को कार्बोलिक एसिड मिली हुई औषधि के प्रयोग के कारण हुई क्षति के विषय में,

5. श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अधीक्षक द्वारा आर. जे. एस., आर. ए. एस. आदि में उत्तीर्ण व्यक्तियों को मेडिकल फिटनेस के प्रमाण-पत्र देने में अनियमितताएं बरतने के विषय में,

6. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) सदस्य विधान सभा की ओर से किसान संघर्ष समिति द्वारा गत 24 मार्च को किये गये प्रदर्शन के बावजूद सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही न करने के विषय में,

7. श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से सूरजपोल, उदयपुर के बाहर कब्रस्तान की कुछ भूमि पर गृह राज्य मन्त्री श्री गुलाबसिंह शक्तावत द्वारा अनधिकृत कब्जा करने के विषय में,

8. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला गंगानगर में भूमिहीनों के कब्जों की कुछ भूमि को बेदखल किये जाने के विषय में,

9. श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से तख्तेशाही मोती डूंगरी के नीचे लोगों के मकानों को तोड़कर जयपुर राजघराने द्वारा एक ट्रस्ट बनाये जाने के विषय में,

10. श्री रताराम यादव, सदस्य विधान सभा की ओर से अलवर में गत 6 अप्रैल को कुछ व्यक्तियों द्वारा एक दंगल आयोजित करने के नाम पर लोगों से धनराशि वसूल करने के विषय में,

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है

(श्री अध्यक्ष)
और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अगले सत्र में ?

**श्री अध्यक्ष** : मेरे पास उसका कोई उपाय नहीं है।

11. श्री मनोहरलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से कामां के थानेदार श्री हाकिमसिंह द्वारा शराब पीकर शरीफ आदमियों की मारपीट करने के विषय में,

12. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान नहर के उपनिवेशन विभाग की विजयनगर तहसील के डी. सी. द्वारा भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर देने के विषय में,

13. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित विश्व कर्मा औद्योगिक क्षेत्र के बहुत से कारखाने बन्द हो जाने के विषय में,

ये प्रश्न किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है।

14. श्री मालाराम, सदस्य विधान सभा की ओर से खनिज विभाग द्वारा थोड़ी अवधि के अनुमति पत्र रद्द कर के खानों के ठेके बड़े ठेकेदारों को देने के विषय में।

यह प्रश्न भी किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और नीति से सम्बन्धित है।

15. श्री वेगाराम चौहान, सदस्य विधान सभा की ओर से गंग कैनाल के भूमिहीनों की जमीनें खारिज कर देने के विषय में।

यह प्रस्ताव अस्पष्ट है और घटना विशेष स सम्बन्धित नहीं है।

16. श्री अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से मालपुरा विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति मालपुरा के प्रधान के साथ की गई मारपीट के विषय में।

इस प्रस्ताव से यह पता नहीं चलता कि कब की घटना है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल भारतवर्ष के जितने भी अन्य अस्पताल हैं उनमें से सबसे बढ़िया अस्पताल गिना जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर के लोग ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लोग यहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : इतने स्थगन प्रस्ताव हैं सब को मौका मिल जाये इसलिए प्रत्येक सदस्य अपने अपने स्थगन प्रस्ताव पर दो-तीन मिनिट ही ले ताकि सब को मौका मिल जाये।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि इस सवाई मानसिंह अस्पताल में अव्यवस्था है। मैं समझता हूं कि ये जो विधायकगण हैं वे इसको भली प्रकार से समझते हैं, उससे परिचित हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी दो-तीन रोज पहले ऑक्सीजन के अभाव में एक 26 वर्षीया महिला की मृत्यु हो गई

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ऑक्सीजन के अभाव के कारण यह गड़बड़ हुई। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं ने अस्पताल को देखा है। वहां पर भोजन की किस प्रकार की व्यवस्था है। मरीजों को जो भोजन मिलता है वह किस प्रकार का मिलता है, वह सड़ा गला है और जिन थालियों में उनको यह परोसा जाता है वे काली कलूटी हैं और कोई उसमें भोजन कर ले तो बीमार हो जाय। इसके अलावा अस्पताल के भीतर और अन्य वार्डों के भीतर जो हिस्से हैं उनमें भयंकर गन्दगी है। जितने भी शौचालय अस्पताल में हैं वे गन्दगी से पूर्ण हैं और कोई भी मरीज भली प्रकार से वहां पर निवृत्त नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की दशा, अव्यवस्था इस अस्पताल में है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन का अभाव है, टिंचर आयोडिन का अभाव है, यह इस प्रकार की औषधि है जिसकी कि प्रारंभ में हा आवश्यकता होती है। वहां पर टिंचर, स्प्रिट नहीं है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को देखने के लिए वहां पर एक मशीन लगी हुई है परन्तु वह वार्ड में उपलब्ध नहीं है। एम्बुलेन्स गाड़ी नहीं है। इस प्रकार वहां की मशीनें मरीजों के काम नहीं आती हैं।

**श्री अध्यक्ष**: ऑक्सीजन के बारे में ही कहें।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव**: इसकी दुर्व्यवस्था के बारे में ही कह रहा हूं। ऑक्सीजन के साथ अन्य जो मशीनें लगी हुई हैं वे खराब पड़ी हुई हैं। मुर्दाघाट की एक मशीन है, वह भी खराब है। एक्सरे की मशीनें बेकार पडी हुई हैं। एक्स-रे प्लेट वहां पर नहीं मिलती हैं। यह अव्यवस्था तो है ही किन्तु अस्पताल में ठंडे पानी की भी व्यवस्था भली प्रकार से नहीं है। मरीजों का पानी तक नहीं मिलता है। जिस समय चिकित्सा विभाग की डिमांड हाउस में चल रही थी उस समय भी मैंने यहां पर कहा था और हमारे मंत्री महोदय ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया था। वहां जाकर मंत्री महोदय ने स्वयं ने इस दुर्व्यवस्था को देखा है। सवाई मानसिंह अस्पताल में इस प्रकार की जो अव्यवस्था है, यह जयपुर की नाक का प्रश्न नहीं है, यह सारे राजस्थान की नाक का प्रश्न है। पड़ौस में ही दुर्लभजी का अस्पताल है। वहां पर समुचित व्यवस्था है। इसलिए इस अस्पताल की दुर्व्यवस्था को भी ठीक किया जाय। वहां पास में ही जनाना अस्पताल बन रहा है। यदि इस अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो इसका प्रभाव इस अस्पताल पर भी पड़ेगा और वहां की व्यवस्था भी बिगड़ जायेगी। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अस्पताल की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आये दिनों जयपुर के लोगों को ही नहीं बल्कि राजस्थान के लोगों को और बाहर के लोगों को असुविधा हो रही है। ऑक्सीजन का अभाव और अन्य आवश्यक औषधियों का वहां पर अभाव है।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया समाप्त करें।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव**: इस प्रकार मैं सवाई मानसिंह अस्पताल की अव्यवस्था की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा जिससे राजस्थान का गौरव बढ़े। राजस्थान की राजधानी के अस्पताल की व्यवस्था बढ़िया हो ताकि हमारे राजस्थान

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
का गौरव बढ़ वरना दिनों दिन इस अस्पताल की हालत बिगड़ती जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री हाण्डा !

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** ( सूरतगढ ) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है वह व्यूरोक्रेसी का एडहेरेन्सी का है, उनके डेमोक्रेसी के प्रति एटीट्यूड का नग्न चित्र है। विजयनगर के एक टी. सा. हैं श्रीवास्तव जिनको मैंने माननीय कॉलोनाइजेशन मंत्री महोदय के एक दर्जन आदेश ले जाकर के दिये और उन्होंने उन एक दर्जन आदेशों को यह कहकर फेंक दिया कि मुझे ऐसे मंत्री की कोई परवाह नहीं है। अगर मुझे भेजना है तो जैसलमेर भेज दें। अध्यक्ष महोदय, क्या डेमोक्रसी में·······

**श्री रामकिशन** : मंत्री कौन से ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : उपनिवेशन मंत्री के स्वयं के लिखे हुए आदेश, उनके दिये हुए स्टेटमेंट्स वह रद्दी की टोकरी में उठाकर फैंक देता है, और कम नहीं 500 लोगों की एप्लीकेशन्स यह कहकर उसने काट दीं कि यह खेतिहर मजदूर है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप खेतिहर मजदूर को जमीन नहीं देना चाहते हैं तो किसको जमीन देना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मेरी परिभाषा के अन्दर खेतिहर मजदूर को जमीन दे दी जाय ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अध्यक्ष महादय, वैसे तो हाई पावर कमेटी, एक उच्चस्तरीय जांच समिति, गंगानगर क्षेत्र के लिए नियुक्त की थी जिसने कुछ विशेष किस्म के गंगानगर के अन्दर बेनामी काश्तकार हैं उनके बारे में सिफारिश की थी और उस सिफारिश को राज्य सरकार ने स्वीकार किया है, और उस स्वीकृति के अनुसार जो बाकायदा फोटो तस्दीक कराकर पेश करेगा उसका जमीन देंगे। गांव गांव में तहसीलदार ने जाकर उनके फोटो तस्दीक करके वहां पर भेजे हैं। उसके अनुसार उनकी स्वीकृति होती है। यह ठीक है कि आज उस फोटोग्राफ की तस्दीक में बहुत बड़ा करप्शन है, और मैं इस सदन के अन्दर लिस्ट प्रस्तुत कर सकता हूं कि आज 13 रेवेन्यू के तहसीलदार हमारे यहां पर इसके लिए फंक्शन कर रहे हैं और वे फोटो तस्दीक कर रहे हैं। उनकी बन्धी हुई रेट्स हैं। सबसे ज्यादा रेट फोटोग्राफ तस्दीक करने की 5 हजार रुपया है, और इस समय अनूपगढ़ का तहसीलदार यह वसूल कर रहा है····

**श्री अध्यक्ष** : थोड़े में।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : इसके अतिरिक्त सादूलशहर के तहसीलदार की रेट 3 हजार रुपया है। और जो फोटोग्राफ तस्दीक करेंगे पांच हजार से तीन हजार रुपया लेंगे। वहां पर खेतिहर मजदूरों को भूमिहीनों को जमीन मिलने वाली नहीं है। यानी खेतिहर मजदूरों के बेसिस के अन्दर भूमिहीन, देश के अन्दर जो दूसरे लोग हैं बेनामी लेते हैं वह जमीनें ले रहे हैं। बड़ी कठिनाई से वे गरीब अपना फोटो तस्दीक कराते हैं। उनके सारे कपड़े तस्दीक करवाने में फट जाते हैं और उस गरीब के पास एक कच्छा ही रह जाता है। उस हालत में वह गरीब खेतिहर मजदूर श्रीवास्तव के पास जमीन लेने के लिए जाते हैं। तो वह कहते हैं कि खेतिहर जमीन कौनसी जमीन की परिभाषा में आती है। केवल भूमिहीन जमीन की परिभाषा में आता है। अपने हाथ से काश्त करने वाला श्रीवास्तव भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आता है····

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त करें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : एक बात कहकर समाप्त करता हूं। जयपुर में स्वयं मंत्री महोदय ने जमीन के लिए आर. बी. एन. टी. में आदेश दिया था और उनको हनुमानगढ़ के अन्दर जमीन मिली हुई थी। वह जमीन वहां पर मण्डी एरिया के अन्दर आ गई तो उसकी जमीन वहां से ट्रान्सफर होकर उनको जैतसर फार्म के अन्दर अलॉट हो गई। लेकिन फिर वह जमीन जैतसर फार्म के अन्तर्गत आ गई तो वह लोग बेचारे भूमिहीन हो गये और खुद मंत्री महोदय ने इस केस को सिम्पेथेटिकली कन्सीडर करके 3-4 दफा वायरलैस दिये, टेलीग्राम दिये, लेकिन आज तक उन लोगों को जो दो-दो दफा अपरूट हुए, एक दफा हनुमानगढ़ से अपरूट हुए, दूसरी दफा जैतसर से अपरूट हुए और आज उसने उन सारे किसानों की एप्लीकेशन्स को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह अर्ज करना चाहता हूं निहायत अदब से कि आज ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से एक्ट कर रही है, और अगर उनकी एप्लीकेशन्स टेन्डर नहीं करते हैं तो इस सदन के अन्दर कोशिश करते हैं। दो-दो दफा इन्होंने प्रदर्शन किये तो श्रीवास्तव बिगड़ता ही गया है। अगर उसने इसके मामले में ठीक तरह से विचार नहीं किया तो कम्युनिस्ट पार्टी उन श्रीवास्तव के खिलाफ बड़ा कदम उठायेगी, और केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही उनके साथ नहीं है, वहां के सारे के सारे गरीब कांग्रेस के वर्कर्स तिरंगा और लाल झण्डा उठाकर इस टी. सी. के खिलाफ जबरदस्त आन्दोलन उठाने वाले हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : माननीय अध्यक्ष!

**श्री अध्यक्ष** : श्रीराम किशन!

**श्री रामकिशन** (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में कुछ अजीब सफाई का सिस्टम है। भरतपुर बना तब एक चैनल बनाई गई थी जो शहर की गन्दगी को साफ करती रहती थी। राजस्थान बनने के बाद राजस्थान सरकार का व्यवहार भरतपुर के साथ ठीक नहीं रहा और भरतपुर की हालत बहुत खराब हो गई। इस समय मौका नहीं है फिर कभी चर्चा करूंगा लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि नगर परिषद् ने यह फैसला किया है कि शहर में सफाई के लिए यह बहुत जरूरी है कि अभी तक जो निर्माण कराये गये हैं उनको तुड़वा दिया जाय। अब ऐसा अन्देशा है कि 1-1॥ करोड़ के करीब मकान बन चुके हैं। किसी के 10 साल पहले के हैं, किसी के 20 साल पहले के हैं और किसी के 50 साल पहले के हैं उन मकानों को तुड़वाना चाहते हैं। जिलाधीश अथवा भरतपुर नगर परिषद् के प्रशासक ने एक विज्ञप्ति निकाली है और उसमें 7 दिन का समय दिया कि 7 दिन में मकान को नहीं हटा लें तो नगर परिषद् की तरफ से मकानों को तुड़वा दिया जायगा। इस बात को लेकर भरतपुर शहर में बहुत बड़ा असन्तोष है। वहां पर प्रदर्शन हुए हैं और जलूस निकाले। कलेक्टर की और नगर परिषद् के प्रशासक की इस मामले में बड़ी शिकायत है। मैं यह नहीं कहता कि सफाई का प्रबन्ध न हो, लेकिन सफाई का प्रबन्ध मकानों को तोड़ कर किया जा रहा है। गरीब लोगों की जो छोटी-छोटी दुकानें

(श्री रामकिशन)
हैं इस हालत में उनके मकान तोड़ देंगे तो नाला बीच में आया हुआ है उस नाले को पार नहीं कर सकते हैं और दुकानों के पास कोई नहीं पहुंच सकेगा। मैंने सरकार से निवेदन किया और माननीय मुख्य मंत्री जी से बात की तो उन्होंने जिलाधीश को टेलीग्राम करके कह दिया है कि इस कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जाय। आज उसको रोका गया है, लेकिन 5, 10, 15 दिन में यह स्थिति फिर दुबारा आने वाली है। तो मेरा राजस्थान सरकार से यह निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे शहर की सफाई भी हो सके और साथ ही साथ जिन लोगों ने निर्माण कार्य कर लिया है, नगरपालिका ने जिसकी मंजूरी दी है उनके साथ में एक अलग तरह का व्यवहार हो और जिन्होंने अनधिकृत रूप से बनाये हैं उनके साथ में अलग सा व्यवहार किया जाय।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, वहां के कलेक्टर का एक अजीब रुख है इस मामले में। वहां पर एक अजीब ही बात हुई। आज के लोकतान्त्रिक समाज में कोई जिलाधीश जलूस निकालने को रोके, उनके सामने जलूस नहीं निकाला जाय। उन्होंने कलेक्टरी का वह दरवाजा बन्द करवा दिया और दूसरा दरवाजा खुलवा दिया। जलूस ले जाने वालों से कहते हैं एक मील दूर रखा जाय जलूस, शहर से। आज के इस युग के अन्दर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इतने नाजुक......

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : हमारे टी. सी. से ज्यादा नाजुक इन्सान आ रहे हैं।

**श्री रामकिशन** : नये कलेक्टर्स हमारे बहुत ही नाजुक हैं। ऐसा लगता है कि कबड्डी खेलने जा रहे हैं और व्यवहार उनका बड़ा अजीब होता है......

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : हरे राम हरे कृष्ण के मामले में वह गड़बड़ करते हैं।

**श्री रामकिशन** : मैं इस संबंध में राज्य सरकार से यह कहना चाहूंगा कि भरतपुर के मामले में खास तौर से मकानों के मामले में ऐसी स्थिति पैदा नहीं करें जिसकी वजह से आतंक हो। इस बात को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं और इस पर सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : श्री केसरीमल !

**श्री केसरीमल** (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है इस बारे में निवेदन है कि हमारे यहां अजमेर जिले में टांटोली ग्राम है वहां पर परिवार नियोजन का कैम्प रखा, 10 तारीख का कैम्प रखा तो 10 तारीख बदलकर 14 तारीख की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैम्प रखना आवश्यक है, लेकिन इस कैम्प से इस सारी योजना धक्का पहुंचा है, और जिन लोगों ने इस बात की कोशिश की और उनके काम करने के ढंग और उनका बदला निकालने की भावना से जो सूची गई वह बहुत ही निन्दनीय और बहुत ही अशोभनीय है। माननीय अध्यक्ष, 14 तारीख को जिस कैम्प में जिन लोगों को जाना था उनमें से कुछ लोगों को बदल दिया और वहां के अधिकारियों ने दूसरे लोगों को दे दिया। जिन लोगों को भेजना था, न भेजकर दूसरे लोगों को भेजा। क्यों भेजा बाद में पता लगा,

(श्री केसरीमल)
उस कैम्प में पांच औरतों का ऑपरेशन किया तो जो दवा लगाई गई उस दवा में जो लोशन होता है उसके बजाय में लोशन के अन्दर कार्बोलिक एसिड मिली हुई दवा लगा दी गई जिससे उन पांच औरतों के गुप्तांग जल गये ...

**श्री अध्यक्ष** : यह सदन में आ चुका है।

**श्री केसरीमल** : अध्यक्ष महोदय, नहीं आया है।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती भगवती देवी ने उठाया है। फिर भी आप उठाइये।

**श्री केसरीमल** : इसके बाद और घटनाएं हो गई हैं। जो काम करने के लिए टोली गई थी, उस टोली को जब पता चला कि हमारे हाथ से गलती हो गई है। तो रातों रात टेक्सी लेकर ब्यावर से दवाई लेकर आये। दवाई जहां ऑपरेशन थियेटर में रखी रहती है। वह कैसे वहां पर पहुंचे। उसके बाद यह चर्चा होती है। और सी. एम. एच. ओ. को यह रिपोर्ट की गई लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।

**श्री अध्यक्ष** : थोड़े में फरमायें।

**श्री केसरीमल:** थोड़े में ही कह रहा हूं। जब जांच होने का मौका आया तो सी एम एच ओ. ने रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया। कागजों को मोड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। गांव में बहुत झगड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच का मौका आया तो उन्होंने कह दिया कि हमें रिपोर्ट नहीं मिली है। जब कि दस्तखत हैं। अखबारों में भी यह छपा है। वह कहते हैं कि हमको रिपोर्ट नहीं मिली है। 14 तारीख से 29 तारीख तक कोई पता नहीं लगाया गया। 29 तारीख को मरीज़ों को ब्यावर लाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी दवाई को लगाने से ऐसा हो गया है, यही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में कुछ लोगों की गुटबाजी की भावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सत्र में एक प्रश्न पूछा गया था। वह यहां आया नहीं है। वहां सुशीला नाम की एक औरत है उस औरत को कहा गया कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। जब उसने कहा और ऑपरेशन किया तो उस औरत की हालत यह कर दी कि उसके रक्त बह रहा था। उसकी हालत खराब थी।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

**श्री केसरीमल** : मैं समाप्त कर रहा हूं।

वहां जो डॉक्टर थी उसको कहा कि यह लिख दो कि यह छोड़कर चली गई है। उसने जब यह लिख कर नहीं दिया तो अधिकारियों ने यह कहा कि हम इसको सबक दे देंगे। यही कारण है कि डॉक्टरों में वैमनस्य फैला है। माइक्रो कार्बोलिक एसिड जो चाबी के अन्दर बन्द रहता है, वह उनको कैसे मिला? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मसला ऐसा है, कौन दोषी है, कौन नहीं। यह कैसे दवा उन्हें मिली।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

या कौन लोग अभी तक बचे हुए हैं। हमारे पास टेक्सी वाले का बयान है। वहां नीचे के अधिकारियों को यह कहा गया है कि इस प्रकार के बयान देना। फिर उनसे

# Page No 34

(34)



(श्री केसरीमल)

पूछा गया कि क्या बयान दोगे। इसके बाद उनको कहा गया कि आप डरो मत। राज्य सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अधिकारी लोग राज्य सरकार की परवाह नहीं करते हैं। फिर आम जनता के लिखने का क्या परवाह करें। इसलिए सही तरीके से उसकी जांच करायें कि कैसे उनको दवाइयां मिली हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गत विधान सभा के बजट सत्र में एस. एम. एस. हॉस्पिटल के डॉक्टर श्री शारदा की अनियमितताओं के के बारे में कहा गया है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे। उनमें एक आरोप यह भी था कि जो आर. जे. एस. आर. पी. एस., और आर. ए. एस. इन में सलेक्शन जिन लोगों का हुआ। इन्हीं में से कोई कलेक्टर बनेगा। कोई मजिस्ट्रेट और जज बनेगा। उनको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उन्होंने उनको गलत सर्टिफिकेट दिया। और आंखों के बारे में उनको अनफिट कर दिया गया कि वह आंखों से देख नहीं सकते हैं। फिर अपनी निजी क्लिनिक से दूसरे लेंस देकर हजारों रुपयों के लेंस खरीदवा कर यह सर्टिफिकेट दिया कि ये ठीक हैं। मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त आपत्तिजनक है वह व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट बनेंगे। न्यायाधीश बनेंगे। जो कलेक्टर बनेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस बनेंगे। ऐसा मैंने यहां पर एक आरोप लगाया था। विधान सभा में यहां पर बोला था। इसके अतिरिक्त तीन चार मुद्दों की बातें कहीं थीं। उनमें एक यह भी थी कि सवाई मानसिंह हॉस्पीटल में बिस्तर और कम्बल नहीं है। इसके बाद 60 हजार के रद्दी कम्बल जलाये गये। उनको रद्दी बताया गया और किसी मायने में वह नहीं जलाये गये। दूसरा मैंने आरोप लगाया था कि महारानी गायत्री देवी विदेशों से कुछ मेडिकल उपकरण लाई थीं। सरकार ने उन पर काफी टैक्स लगाया। तो उन्होंने कहा कि यह तो मैडिकल उपकरण हैं। अस्पताल के लिए लाई हूं। आखिर उन्होंने उनको वैसा ही छोड़ दिया। मेरा निवेदन है कि फिर राज्य सरकार उनको ले आई। लेकिन आज वह कोई उपकरण वहां पर नहीं हैं। इसके अलावा बिजली के तार खरीदे गये हैं जो लगे हुये हैं। और अगर नये खरीदे गये हैं तो पुराने कहां गये हैं। मेरा, अध्यक्ष महोदय, यह कहना है कि लाखों का घोटाला वहां पर एक व्यक्ति कर रहा है। माननीय मन्त्री महोदय बैठे हैं। हमने प्रिन्टेड स्टेटमेंट दिया है। आर. जे. एस., आर. पी. एस. और आर. ए. एस. को दो सर्टिफिकेट दिये गये हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जांच करा ली जायेगी। मेरा निवेदन है कि क्या उस व्यक्ति के बैठे-बैठे जांच हो सकती है? आज भी उसके बाद कितने घोटाले हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं निवेदन करता हूं कि जांच पूरी हो गई है कि नहीं। अगर पूरी हो गई है तो सदन को अवगत कराया जाये। नहीं तो उस व्यक्ति को हटायें। स्थिति को सदन में स्पष्ट करें। उस व्यक्ति को बनाये रख कर मेरा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है, इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले में वह पीछे कदम नहीं

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

रखते हैं। वह साहस के साथ सामने आते हैं। उन्होंने आज तक ऐसे कदम उठाये हैं, जिनकी सराहना हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया था। विधान सभा के पटल पर आरोप लगाये गये हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय स्पष्ट रूप से जिन पर आराप लगाये गये थे, जांच के लिए कमेटी नियुक्त की गई थी, उनके सारे कागजात सीज कर लिये गये हैं, मैं चाहूंगा, जांच रिपोर्ट पूरी सदन के सामने रखें।

और उस व्यक्ति को वहां से हटायें नहीं तो सन्देह होने की गुंजाइश है। वह व्यक्ति वहां बना रहे और चाहे सो करता रहे। संक्षेप में और अन्त में मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस हॉस्पिटल को, इस विभाग को सुधारना चाहती है तो इस व्यक्ति को हटाकर जो जांच कराई है उसको सदन के पटल पर प्रस्तुत करें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सन्धु !

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में है कि राज्य सरकार जमीनों की सीलिंग करने के मामले में बिल्कुल फेल हो चुकी है, सीलिंग आज तक नहीं हो पाई है और हो यह रहा है कि कांग्रेस जन जो हैं जिन लोगों के पास पुराने कब्जे हैं जमीनों के उनको परेशान करते हैं और उन पर हमला करते हैं और उनसे मनमानी रकम वसूल करते हैं, यह गंगानगर में नीति चल रही है। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेकर एक ही बात कहना चाहूंगा कि वहां पर जो बच्चनसिंह था, वह कांग्रेस विरोधी था उसके पास बहुत सा जमीन है, वह सीलिंग से बचने के लिये खद्दर के कपड़े पहनकर कांग्रेस में आ गया। इसी तरह की ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैं यह मामला सरकार के सामने लाना चाहता हूं। केवलचन्द एक रिफ्यूजी है गंगानगर में उसने दीवानचन्द के नाम अपनी जमीन दे दी। 1960 में आठ हजार रुपये दे दिये गये और कह दिया कि 1700 रुपये आज ले लो। लेकिन पटवारी ने उस जमीन का बेचान मुनासिब न समझा। लेकिन कुछ गुण्डों को लेकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया। ऐसे और भी मामले हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डी. आई. आर. में रह चुके हैं कुन्दनलाल वगैरह उन्होंने भी 11-2-75 को जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उस जमीन···

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त करें।

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु** : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी हालत हो रही है गंगानगर में। जिन आदमियों को मुफ्त में खातेदारी मिल गई है उनसे बीस हजार रुपये ले रहे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सीलिंग के मामले में बिल्कुल फेल हो चुकी है और म्यूटेशन करवा रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जमीनें सीलिंग में आ सकती हैं। तो इस तरह का काम गंगानगर जिले में चल रहा है और सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है। मैं कहूंगा कि जो लोग यह काम कर रहे हैं वह खद्दर के कपड़े पहन-कर कर रहे हैं, यह एक बहुत लम्बी कहानी है। मैं साबित कर सकता हूं कि गंगानगर में खद्दर के कपड़े पहनकर जो लोग यह

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
काम कर रहे हैं उनमें से 90 फी सदी चोर हैं । इसलिए मैं इस प्रस्ताव के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : केदारजी का तो ख्याल रखा होता, खद्दर के कपड़े के लिए ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह तो सन् 47 के पहले का चोला है ।

**श्री अध्यक्ष** : यह तो आप तक भी पहुंच सकते हैं, केदारजी की क्या बात है ।

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु** : वहां पर लोगों को नाजायज कब्जे करवाये जा रहे हैं । जिन भूमिहीनों को कब्जे मिल चुके हैं उनसे पैसे वसूल किये जा रहे हैं । सीलिंग के मामले में गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो चुकी है । इन सब मामलों की आप जांच करवायें । इनमें से एक भी आदमी यदि बच जाय सीलिंग से तो आप हर तरह की सजा दे सकते हैं । सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो यह इर्रेग्युलेरिटीज हो रही हैं उनको रोकना चाहिए ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री अग्रवाल !

**श्री केदारनाथ** : मान्यवर, मैं दो मिनट कुछ बोलना चाहता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : हां कहिये ।

**श्री केदारनाथ (गंगानगर)** : मान्यवर, मेरा स्थगन प्रस्ताव राजस्थान के शहरों के भूतपूर्व नरेशों की बहुत बड़ी सम्पति के बारे में है । इन्वेन्टरीज ऑफ पर्सनल प्रोपर्टीज में सरकार इन्ट्रेस्टेड है या नहीं इसके विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूं । परन्तु उस जमीन का ट्रस्ट बनाने के बाद भी उसका बेचान शुरू कर दिया । राज्य सरकार ने उस पर पाबन्दी लगा दी । जयपुर के राजघराने के पास मालूम नहीं कितनी कीमत के जवाहरात और प्रोपर्टीज शहर में हैं । बहुत पुराने समय से वे मजदूर लोग शहर में आये, उनको जमीन देकर वहां बसाया गया । पुलिस को उनको डिप्लॉय करने का अधिकार है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता । गवर्नमेंट ने उनको कौनसी प्रॉयोरिटी दी है कि उन झुग्गी झोंपड़ी वालों को बेदखल कर दिया, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं, गवर्नमेन्ट का ऑर्डर भी नहीं था । चार मई को 60-70 आदमी और तीन सौ के लगभग आर.ए.सी जवान मिलकर उन झुग्गी झोंपड़ी वालों को डेस्ट्रॉय करते हैं । वहां पर जो औरतें थीं उन पर भी हमला करते हैं । पांच-सात औरतों के चोटें भी लगीं । पुलिस ने पर्चा भी दाखिल नहीं किया । पांच तारीख को डीवाई. एस. पी. मिस्टर गौड़ के कहने से पर्चा दाखिल हुआ । जब ट्रस्ट बना दिया और लोग वहां पर बसा दिये गये तो क्या उन झुग्गी झोंपड़ियों को डिप्लॉय कर सकते हैं, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री अग्रवाल !

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)**: अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पेश किया है वह माननीय राज्य गृह मंत्री श्री गुलाबसिंहजी शक्तावत से सम्बधित है और नियमानुसार मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी उनको दी है । अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में मुसलमानों का एक कब्रिस्तान है, सूरजपोल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के बाहर उससे लगती हुई शहर की दीवार है और उस दिवार के बाहर अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने एक शॉपिंग सेन्टर बनाना तय किया है और तमाम प्लॉट्स ऑक्शन करने का निर्णय किया। पहले तो मेरा निवेदन यह है कि श्री गुलाबसिंह जी शक्तावत को प्लॉट नम्बर 29 बजाय ऑक्शन करने के और रिजर्व प्राइस पर, कन्सेशनल रेट्स पर उनको अलॉट कर दिया गया। जो मेरे पास एक लैटर है, यह अलॉटमेंट 25-11-71 को किया गया। यह सर्टिफाइड कॉपी है श्री गुलाबसिंह जी शक्तावत, 121-अशोक नगर, उदयपुर 17.73 पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से इनको 15,558.08 में यह अलॉट हुआ। इनके अलावा और जो इनके मेहरबान थे पांच सात, उनको भी इसी तरह से रिजर्व प्राइस पर रूल्स के खिलाफ प्लॉट्स अलॉट किये गये। इसी के मुकाबले में जो प्लॉट्स ऑक्शन हुए तीन को, उनमें नम्बर 32, श्री गुलाबसिंह जी शक्तावत को जो अलॉट हुआ उसका एरिया 887.6 स्क्वेयर फीट था। इसके मुकाबले में प्लॉट नम्बर 32 जिसका एरिया 836.3 जो कुछ ही कम है यह 41,451/- में ऑक्शन हुआ। प्लॉट नम्बर 32 (ए) जिसका एरिया 793 स्क्वेयर फीट है, और भी कम है, 43 हजार रुपये में ऑक्शन हुआ। प्लॉट नम्बर 32-बी जिसका एरिया 790.25 स्क्वेयर फीट है जो उससे भी कम है, 46,051 रुपये में ऑक्शन हुआ। इस प्रकार से अगर वर्क आउट करायें 54-55 हजार रुपये कीमत आती है। जो प्लॉट्स ऑक्शन किये गये उसके मुकाबले में श्री गुलाबसिंह शक्तावत को 17 रुपये और कुछ पैसे में यह अलॉटमेंट किया गया जो कि करीब 40 हजार का कन्सेशन इस अलॉटमेंट में उनको है। अध्यक्ष महोदय, यह तो अलॉटमेंट की बात है, अब उन्होंने अपना मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए एप्लाई किया····

**श्री अध्यक्ष** : स्थगन प्रस्ताव पर ब्रीफली कहें। पर्सनल एलीगेशन वाली बात ज्यादा न कहें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उन्होंने इस प्लॉट को बनाने का नगर विकास न्यास और म्युनीसिपल बोर्ड में नक्शा दिया है उसकी सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास है। इस सर्टिफाइड कॉपी के अनुसार वह प्लॉट है उसमें शहर पनाह शामिल नहीं है, शहर पनाह के अलावा या बाहर उनका प्लॉट है। उसमें उनको बनाना चाहिए। मेरे स्थगन प्रस्ताव का मुद्दा यह है, श्री शक्तावत ने एक मिनिस्टरी कवर में, जब कि वह राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य बन गये, उसके बाद इसका निर्माण किया और निर्माण करके अनअॉथोराइज्ड- तरीके से शहर की दीवार, जो सात फीट चोड़ी है, को भी अपने निर्माण में शामिल कर लिया। खुद सरकार की तरफ से पिछले सदन में इसका उत्तर दिया गया था। स्वर्गीय श्री निरंजननाथ जी आचार्य के प्रश्न के उत्तर में। उसमें दूसरा प्रश्न था, क्या यह सही है कि उक्त भूखण्ड मालिकों ने अपने मकानात बनाते समय उक्त शहर कोट पर भी नाजायज कब्जा कर उस पर खिड़कियां, दरवाजे और गन्दे पानी के नाले के पास के कब्रिस्तान की तरफ रख दिये हैं? उत्तर "भू खण्ड 8, 12, 15, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 29 एवं 31 के

# Page No 38

(38)



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मालिकों ने स्वीकृत प्लान के विरुद्ध अर्थात् शहर कोट काम में लाते हुए निर्माण कार्य किया है।" यह स्वयं सरकार का उत्तर है, उसमें इस बात को कबूल किया है कि प्लॉट नम्बर 29 के मालिक, जिसका मैंने अलॉटमेंट आॅर्डर पढ़ कर सुनाया, गुलाब सिंह शक्तावत और गृह राज्य मंत्री हैं। सरकार ने इसमें लिखा है, अनआॅथोराइज्ड तरीके से शहर पनाह पर इस प्रकार मकान बना लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह प्रश्न केवल सस्ती जमीन लेने का और अनआॅथोराइज्ड तरीके से कन्स्ट्रक्शन करने तक नहीं है, यह दोनों बातें अपने आपमें बहुत आॅब्जेक्शनेबल हैं, इसके साथ हमारी डेमोक्रेसी का हमारे सिस्टम का जो सिक्यूलेरिज्म आधार है, जिसकी रक्षा करने की, माइनोरिटीज को प्रोटेक्ट करने की सरकार की जिम्मेदारी है और खुद गृह राज्य मंत्री, होम डिपार्टमेंट के इन्चार्ज होने के नाते उसकी रक्षा करने का उनका अधिकार है। मुस्लिम कम्युनिटी की तनजीमी कमेटी ने उस कब्रिस्तान की रक्षा करने के सम्बन्ध में बार-बार दरख्वास्त दी कि इनका देख कर, माननीय मंत्री को देख कर दूसरे अलॉटी हैं, जो बिल्कुल पड़ौसी हैं, उन्होंने भी दीवार को तोड़ दिया। उन्होंने जितनी ऊंचाई थी, उस पर पीछे पुल बनाया और बालकनी पीछे की तरफ रख ली। इस तरह राइट आॅफ ईजमेंट क्रियेट करने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी को ऐतराज है कि गन्दा पानी इधर डालें, कूड़ा इधर डालें, कब्र है उनको नापाक इस तरह किया जाय—यह गलत बात है। इसलिए इनकी रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि हमारे राज्य मन्त्री गृह ने ऐसा कर लिया है, दूसरे लोगों ने कहा, तुम भी कर लो। जो प्लॉट नम्बर बताये, और लोगों ने इस प्रकार किया यहां तक कि कुछ प्लॉट वाले ट्रेसपास करके कब्रिस्तान में घुस गये और कब्रों पर गन्दा पानी, गन्दा कूड़ा डालने लगे....

**श्री अध्यक्ष** : ब्रीफली कहें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मुस्लिम कम्युनिटी तनजीमी कमेटी, वक्फ बोर्ड की वक्फ कमेटी है, उसने बराबर जिलाधीश के पास इस प्रकार का प्रतिवेदन किया, इस तरह मुस्लिम कम्युनिटी के अधिकार को समाप्त करने का काम हो रहा है इसको रोका जाय। अव्वल तो शहर पनाह अलॉट नहीं हुई है, इसलिए इसको रोका जाय और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाय, नहीं तो कम से कम कब्रिस्तान को बचाने के लिए दीवार बनाने की इजाजत दे दी जाय और उसको डिफाइल न करें, कब्रिस्तान को ट्रेसपास न करें, कब्रिस्तान में मैला, कूड़ा कचरा ना डालें, और उसकी रक्षा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, बावजूद इन दरख्वास्तों के क्योंकि मन्त्री जी द्वारा इस प्रकार का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और मन्त्री जी का निर्माण कार्य पूरा होने की वजह से कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। मुस्लिम कम्युनिटी ने बार-बार प्राईम मिनिस्टर को लिखा है, चीफ मिनिस्टर को लिखा है, दूसरी आॅर्गेनाइजेशन को लिखा है कि एक कब्रिस्तान को इस प्रकार डिफाइल किया जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी के हकूक पर ट्रेसपास किया जा रहा है, इससे रक्षा होनी चाहिए, लेकिन मुझे खेद

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के साथ कहना पड़ता है कि न जिलाधीश ने, न मुख्य मंत्री ने कोई कार्यवाही की । अभी मैं खुद उदयपुर गया था, वहां तनजीमी कमेटी और वक्फ कमेटी के लोग मेरे पास इकट्ठा होकर आये थे, और इस प्रकार के सारे के सारे दस्तावेज दिखाये थे । आखिर हिन्दुस्तान में रह रहे हैं, आप कहते हैं कि अधिकारों की रक्षा होगी, जो सरकार है जिसकी जिम्मेदारी माइनोरिटी की रक्षा करने की है, उस सरकार में बैठे हुए मुस्लिमों के हकूक का सफाया करें तो उनकी रक्षा कैसे हो सकेगी । इसलिए आज उनमें तीव्र असन्तोष है । आज वह महसूस कर रहे हैं कि हमारे अधिकारों की रक्षा किसी प्रकार से नहीं की जा रही है । खुद मन्त्री जी इसके अन्दर उसको डिफाइल करने वाले, अनऑथॉराइज ऑक्युपेशन इनकी होने की वजह से इस सम्बन्ध में किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो ....

**श्री अध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैं निवेदन करना चाहता हूं, वजाय इसके कि मन्त्री जी उस चीज को रोकते, मन्त्री जी अपने ट्रेसपास को, अनऑथोराइज आक्यूपेशन को अपने प्रभाव से नगर विकास न्यास के जरिये से रेगुलेराइज कराने की कोशिश कर रहे हैं । वह चाहते हैं और पैसा ले लिया जाय और रेगुलेराइज कर दिया जाय इसी तरह दूसरे लोगों का भी, जिन्होंने इस तरह डिफाइल किया है, इस तरह का मौका मिल जायेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ मिनिस्टर के कण्डक्ट का सवाल है, जिसको दूसरे मोशन के रूप में इस सदन में लाकर प्रस्तुत करूंगा, इस समय इस प्रस्ताव का मकसद है, वह मुस्लिम कम्युनिटी का अधिकार है उसके ऊपर इस तरह इस कन्स्ट्रक्शन से जो डिफाइलमेंट हो रहा है, उसको तुरन्त रोका जाना आवश्यक है और जिन्होंने इस प्रकार ट्रेसपास करके अनुचित तरीके से राइट ऑफ ईजमेंट क्रियेट करके नाला निकाल कर और पानी पहले निकलता था, उसकी निकासी बन्द करके कार्यवाही की है, मैं कहना चाहूंगा, राज्य सरकार द्वारा तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए । ईजमेंट राइट किसी को नहीं है इस लिए उनको हटाया जाना चाहिए और जिन लोगों ने कन्स्ट्रक्शन शहर दीवार पर किया है, उसको तुड़वा दिया जाना चाहिए, और इस तरह मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोटेक्शन देने की कार्यवाही कर उनको कब्रिस्तान की रक्षा करने का पूरा मौका देना चाहिए, और सरकार इस पर दीवार बनाने की इजाजत दे दे, अध्यक्ष महोदय ......

**श्री अध्यक्ष** : कृपया समाप्त करिये ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आखिर राज्य के मन्त्री व्यापारी नहीं हैं, उनको रहने का प्लॉट अलॉट हो — तो बात समझ में आ सकती है, रिहायशी प्लॉट दिया हो तो बात समझ में आ सकती है । लेकिन दुकान बना कर बारह सौ माहवारी का बैंक से किराया मन्त्री जी ले रहे हैं, मैं समझता हूं ......

**श्री रामकिशन** : वह जमीन कांग्रेस के दफ्तर के नाम से ली है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह सीधा सीधा पद का दुरुपयोग है, उस दुरुपयोग के कारण मन्त्री जी को मन्त्रिमण्डल में रहने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का अधिकार नहीं है। और मुख्य मन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल की इमेज को कायम रखने के लिए, उचित होगा, मन्त्री जी को अपने मन्त्रिमण्डल से बाहर करें और उन्होंने जो जबर्दस्त गैर कानूनी कार्यवाही की है, एक नागरिक के नाते, मिनिस्टर के नाते की है, उसकी अटोर्नमेंट करना चाहिए और उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, वह दें। आखिर मुस्लिम कम्युनिटी का अधिकार है उस पर ट्रेसपास किया जा रहा है, उसको डिफाइल किया जा रहा हैं, उसको प्रोपर रखना चाहिए, वरना अनुचित तौर पर साम्प्रदायिक लोग इस प्रकार की बात को लेकर इसे साम्प्रदायिक रूप दे सकते हैं, और अनुचित तौर पर गलत दिशा इस सारे मामले को दे सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा, चाहे सदन एक दिन के लिए हो, वह काफी इम्पोर्टेन्ट मामला है, मन्त्रिमण्डल के सदस्य से सम्बन्धित है, गवर्नमेंट इसके बारे में उत्तर दे और तुरन्त इसके बारे में कार्यवाही करके जो तमाम डिफाइल कब्रिस्तान का हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए तनजीमी कमेटी वक्फ कमेटी मांग कर रही है कि इसे बन्द करें और दीवार खड़ी करने की इजाजत दे दें, जो ट्रेसपास किया है उसको हटायें और पानी की निकासी का रास्ता दे दें। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थगन प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री रामकिशन : जमीन कांग्रेस के दफ्तर के नाम से ली है।

श्री नेगाराम (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, भूमिहीनों को जमीन देने का मामला है। एक मिनिस्टर महोदय ने अध्यक्ष महोदय, पिछली साल 1974 में दरख्वास्त ली, भूमिहीनों की कमीपूर्ति करने की दरख्वास्त ली, यह कहा, एक बीघा है तो चार बीघा देंगे। राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल, भाखरा क्षेत्र में उन लोगों, हरिजनों की दरख्वास्त मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, मन्त्री महोदय विराजमान हैं। जिन हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की कमीपूर्ति में दरख्वास्त थी, भूमिहीनों की दरख्वास्त थीं, उसकी तस्दीक करके तहसीलदार ने लिख दिया मजदूर पेशा हैं। यह दरख्वास्त बीकानेर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, छत्तरगढ़ नम्बर 1 के तहसीलदार ने जब तस्दीक की तो क्या उनके पास जमीन नहीं थी, और वास्तविक मजदूर थे बीकानेर से लेकर सूरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़, छत्तरगढ़ नं. 1 व 2 उनको जमीनें नहीं दीं। मजदूर पेशा है, दरख्वास्तें दे दी। तहसीलदार ने कह दिया कि मजदूर पेशा है, डी. सी. ने कह दिया कि मजदूर पेशा है, खेती का पेशा नहीं है इसलिए जमीन नहीं मिलेगी, उनकी दरख्वास्तें खारिज की गईं। कई भूमिहीनों ने अपने बच्चे गिरवी रखकर काम चलाया, क्योंकि तहसीलदार के पास गए तो 500) रु. पटवारी के पास गए तो भी 500 रु.। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों की दरख्वास्तें खारिज की गई हैं उनका 1955 का सबूत है, मजदूरी पेशे के कारण खारिज की गई हैं उन दरख्वास्तों को बहाल किया जाए। गंग कैनाल या भाखरा कैनाल में किसी भूमिहीन के पास एक बीघा जमीन है, उनकी दरख्वास्तें भी खारिज की गईं। किसी के बाप के नाम एक बीघा जमीन है, 5 लड़के हैं, तो एक-एक की पांती में एक

(श्री बेगाराम)

बिस्वा आएगा । उनसे कहते हैं कि आपके बाप के पास जमीन है इसलिए आपको नहीं दी जाएगी । उनकी दरख्वास्तें क्यों खारिज कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता, यहां तो कोई ऐसी बात नहीं है. परंतु वहां, जमीन किसी को नहीं दे रहे हैं, दरख्वास्तें खारिज कर रहे हैं । तो जिसके पास एक बीघा जमीन है और 5 लड़के हैं उनको भी जमीन मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहूंगा की ज्यादा दी जाए । इसलिए जो दरख्वास्तें खारिज की गई है उनको बहाल किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहरसिंह !

**श्री केदारनाथ** : जिस तरह सूरतगढ़ और रायसिंहनगर और दूसरी जगह पैसा जिस तरह चल रहा है, धांधली चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, राजस्व मंत्री 'विराजमान हैं, वह इन्तजाम करें क्योंकि नहीं तो कोई भूमिहीन एलॉटमेंट नहीं ले पाएगा ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह तो क्लीयर कर दें जैसे खेत मजदूर हैं उनको एलॉटमेंट नहीं हो रहा है तो उनको मंत्रीजी आश्वासन दें कि खेत मजदूरों को एलॉटमेन्ट होगा ।

**श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा)**: मेरी कब्रिस्तान के बारे में दरख्वास्त है ।

**श्री अध्यक्ष** : मुख्तसर में फरमाएं ।

**श्री हाजी जान मोहम्मद** : श्री अग्रवाल ने उदयपुर के कब्रिस्तान का सवाल उठाया था । कितने अफसोस की बात है कि कब्रिस्तान पर कब्जा किया जाए, वह भी मिनिस्टर साहब द्वारा ? कोटा में एक तालाब है उसके पास ही कब्रिस्तान है । सरकार ने 30-35 हजार रुपए खर्च कर बाउण्डरी वाल लगवाई, सारे मिनिस्टर्स और एम.एल.एज. जानते हैं, वहां के कब्रिस्तान को भी तोड़ा गया । राजस्थान के 20 लाख मुसलमानों के दिल पर क्या गुजरती होगी ? एक जगह मिनिस्टर साहब कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करें और हजारों रुपए किराया वसूल करें ऐसे मिनिस्टर को इस्तिफा देना चाहिए, इसको राजस्थान के मुसलमान बरदाश्त नहीं करेंगे । मैं यहां बैठा हूं, मुझे जनता ने चुनकर भेजा है, मुसलमानों ने भी वोट दिया है इसी तरह एम.एल.ए. क्वार्टर्स के पास कब्रिस्तान पर कब्जा करके क्वार्टर्स बना लिए तो मुसलमानों के साथ इन्साफ किया जाए, छोटी सी बात है ।

**श्री अध्यक्ष** : खतम फरमायें ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह कब्रिस्तान का मामला है, अध्यक्ष महोदय सबको एक दिन वहां जाना है ।

**श्री अध्यक्ष** : हरएक को जाना है ।

**श्री हाजी जान मोहम्मद** : कब्रिस्तान पर कब्जा करने की क्या जरूरत है ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : शायद गुलाबसिंह जी के पास स्पेशल परमिट है, वह नहीं जायेंगे ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहरसिंह !

**श्री मोहरसिंह (सादुलपुर)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है । राजस्थान के अन्दर उभरती हुई जन समस्याओं का कोई हल राज्य सरकार ने नहीं निकाला

(श्री मोहरसिंह)

उसके विरोध स्वरूप है । 3 नवम्बर को राजस्थान भर के किसानों के प्रतिनिधि जयपुर में इकट्ठे होकर फैसला लेते हैं कि

(9.58 म. पू.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

अकाल, राशन, लेवी से संबंधित समस्याओं के साथ, बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध में, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन एवं पुलिस के जुल्म के संबंध में सुनवाई होनी चाहिए । कन्वेन्शन ने अपना मेमोरेंडम भेजा उसके बाद आन्दोलन शुरू किया था उसके बाद जिलों से सत्याग्रही पहुंचे, तरह-तरह के जुल्म बर्दाश्त किए, उसके बाद 24 मार्च को मजदूरों व किसानों ने मिलकर जयपुर के अन्दर 25 हजार लोग प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए और यहां पर अपने हस्ताक्षरों के साथ याचिका पेश करते हैं । लेकिन आज तक इतने दिन बीतने के बाद भी कोई माकूल जवाब तक नहीं मिला, कम्प्लायेन्स तो दूर रहा । अब भी चाहे जनता की समस्याएं हों, किसानों की समस्याएं हों, चाहे राज्य कर्मचारियों की समस्याएं हों, चाहे मजदूरों की समस्यायें हों, राज्य सरकार ने उन को ताक पर रख दिया है । उपाध्यक्षजी, हम आंदोलन करते हैं कि पाठ पढ़ाया जाता है कि लोग शांति नहीं रखते । मुख्य मंत्री भी कहते हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए । हमने अपने आंदोलनों में शांति रखी, उसके बावजूद लाठी चार्ज हुआ, अश्रु गैस छोड़ा । महात्मा गांधी के चेलों की इस सरकार ने सत्याग्रहियों पर लाठी प्रहार किया । इतना करने के बावजूद भी आज इन समस्याओं का कोई हल नहीं निकला । आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसी दवा है, कौनसा तरीका है जिसके द्वारा हम इन समस्याओं की रेमेडी सोचें । उपाध्यक्ष महोदय यह सरकार प्रदर्शनों से नहीं मानती, सत्याग्रह से नहीं मानती, याचिकायें दें तो ये नहीं माने तो फिर आखिर कौनसा कर्म करें कि यह सरकार मान जाये । कोई रेमेडी तो होनी चाहिये । ऐसी कौनसी दवा है जिसको अगर यह बता दें कि ऐसा करने से यह सरकार मान जायेगी । तो वह की जाय । उपाध्यक्ष महोदय, जनता बहुत ही परेशान है और जब वह आन्दोलन करती है तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि आन्दोलन क्यों करते हैं मुख्य मंत्री जी ने किसान संघर्ष समिति से बात करने को कहा बात हुई लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला । वह तो वही हुआ कि पंचों का फैसला सर ऊपर लेकिन परनाला वहीं गिरेगा। मतलब यह है कि हालत वही की वही रहेगी । नतीजा कुछ भी नहीं निकलता । जब इससे दुखी होकर जनता आन्दोलन करती है तो राज्य सरकार लाठी चार्ज करती है, झूठे मुकदमे बनाती है । अश्रु गैस छोड़ती है, गोलियां बरसाती है । अभी उपाध्यक्ष महोदय चूरू में छात्रों ने आन्दोलन किया, उन पर लाठी चार्ज किया और उन पर मुकदमे बनाये । इसलिये मेरा उपाध्यक्ष महोदय यह निवेदन है कि सादुलपुर में जो किसान संघर्ष समिति ने 24 मार्च को प्रदर्शन किया था उसके लिये राज्य सरकार जल्दी से जल्दी हल निकाले और उसके लिये विधान सभा में आज या कल कभी भी उसके लिये कोई कांप्रीहेन्सिव हल निकाले, यहां पर उसकी कोई रेमेडी निकाले । इसी तरह उपाध्यक्ष

(श्री मोहरसिंह)

महोदय आज जो गांवों में अनाज दिया जा रहा है वह डेढ़ किलो और दो किलो ग्राम दिया जा रहा है उसमें भी सड़ा हुआ अनाज दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय हमारी सरकार समाजवाद की बातें करती है और इस प्रकार से कार्यवाही कर रही है। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि या तो जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का हल निकाला जाये अन्यथा अब जनता ज्यादा दिन तक इन्तजार नहीं कर सकती है। यहां पर राज्य सरकार के मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि शान्ति रखो। लेकिन आखिर शान्ति की भी कोई सीमा होती है कितनी शान्ति रखें। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसान आखिर कितने दिन तक शान्ति रखे। आपके मुख्य मन्त्री और राजस्थान का मन्त्रिमण्डल जनता को, किसानों को, मजदूरों को, विद्यार्थियों को शान्ति रखने को कहें और खुद इनको ठोकरें मारें, हम पर जुल्म करें, लाठी चार्ज करें, गोलियां बरसायें, अश्रु गैस छोड़ें और हमें नीचा दिखायें। राजस्थान की जनता उनसे रोटी मांगने जावे और वह लाठी दे तो यह कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। हम इनको उपाध्यक्ष महोदय चेतावनी दे देना चाहते हैं कि बिल्कुल बरदाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी को यह निवेदन है कि इस बारे में जल्दी से जल्दी घोषणा करें। अब इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिये और अगर आपने काई जल्दी से जल्दी किसानों के हित में निर्णय नहीं लिया तो हमें मजबूर होकर किसान संघर्ष समिति की मीटिंग बुलाकर फैसला करना पड़ेगा। हम उसके लिये दब कर नहीं रहेंगे। हम तो आज तक लड़ते आये हैं और जुल्म के खिलाफ में हमने हमेशा संघर्ष किया है और आज भी हम जुल्म के खिलाफ में लड़ने को तैयार हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

इन्हीं शब्दों के साथ में उपाध्यक्ष महोदय मैं पुरजोर शब्दों के साथ आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि किसान संघर्ष समिति की जो मांगें हैं उन्हें तुरन्त पूरी की जायं इसके लिए जल्दी से जल्दी हल निकाला जाना चाहिये। यहां पर मुख्य मन्त्री महोदय को हाउस में बतलाया जाना चाहिये, हाउस में ऐलान किया जाना चाहिये कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के लिए क्या हल निकालने जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय आज इस राज्य में किसान परेशान हैं, सरकारी कर्मचारी बेचारे अपनी छोटी-छोटी मांगें लेकर आते हैं तो कोई नहीं सुनता है, विद्यार्थी अपनी मांगें लेकर आते हैं तो राज्य सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है बार बार प्रदर्शन करते हैं तो भी यह मुर्दा गवर्नमेन्ट कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय मैं मुख्य मन्त्री जी को और राजस्थान की सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर यह जल्दी से जल्दी कोई हल निकालने को तैयार नहीं हैं तो हम अब किसी से डरने वाले नहीं हैं हम आन्दोलन करने को तैयार हैं। जिस राजस्थान की जनता ने हमको चुनकर भेजा है उसके साथ हम अब ज्यादा दिन तक गद्दारी नहीं कर सकते हैं. हम राज्य सरकार के खिलाफ आन्दोलन करेंगे, उनसे लड़ेंगे. हमने पहले भी सामन्तशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी है अब भी हम राज्य सरकार के खिलाफ आन्दोलन करेंगे

(श्री मोहरसिंह)

नहीं तो राज्य सरकार जल्दी से जल्दी आज या कल में किसान संघर्ष समिति की मांगों पर कोई हल निकाले और हाउस में ऐलान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा !

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से किसानों पर जो जुल्म हो रहा है जो अत्याचार हो रहा है और आज राजस्थान में चारों ओर से किसानों पर जिस ढंग से अत्याचार हो रहा है वह बहुत शर्मनाक बात हमारे राज्य सरकार के लिए है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां का काश्तकार अपनी कड़ी मेहनत-मजदूरी करके जब धान पैदा करता है और वह धान जब पक जाता है तो हमारी सरकार उन किसानों पर उस तरह टूट पड़ती है जिस प्रकार कि डाकू लोग डाका डालने के वक्त टूट पड़ते हैं। मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार जहां एक तरफ अमेरिका को 150, 160 और 200 रुपये प्रति क्विन्टल तक विदेशी गेहूं के देने को तैयार हो जाती है लेकिन हमारे गरीब किसान को वह इतने पैसे देने को तैयार नहीं है। और बन्दूक की नोक पर हमारे किसानों से 105) रुपये के भाव से गेहूं लेती है। कितनी बड़ी विडम्बना है कि हमारी सरकार विदेशी सरकार को 150) रुपये से 200) रुपये प्रति क्विन्टल गेहूं के देने को तैयार है लेकिन हमारे यहां के काश्तकार को देने को तैयार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, लेवी के प्रश्न को लेकर किसान यूनियन और भारतीय जनसंघ व अन्य पार्टियों ने राजस्थान भर के किसानों ने शोषण के खिलाफ आन्दोलन छेड़ रखा है। राज्य सरकार ने लेवी की वसूली बन्दूक के नोक पर डन्डे बरसा कर कर रही है। इसके विरोध में किसान आज आन्दोलन कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले करीब 8 हजार किसानों ने जोधपुर में लेवी के विरोध में प्रदर्शन किया जिसमें कई कांग्रेसी नेता भी सम्मिलित थे। इसमें आपके लूनी की पंचायत के थानाराम और कर्नल मेघसिंह जी जो कि कांग्रेसी नेता हैं, थे।

एक माननीय सदस्य : वह कांग्रेस में नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कौन कांग्रेस के सदस्य हैं और कौन नहीं हैं यह सदस्यता की बात थोड़ी तय हो रही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह तो आपको मालूम होगा मुझे तो जैसा बताया गया है वह मैं बता रहा हूं कि कर्नल मेघसिंह कांग्रेस के सदस्य हैं। हो सकता है बाद में उन्हें आपने कांग्रेस से निकाल दिया हो। वह अलग से बात है। तो उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था कि हजारों की संख्या में लेवी के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और यह मांग की कि लेवी वसूली को रोका जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई पर्टीक्यूलर उदाहरण देना चाहें तो बता दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में लेवी के मामले को लेकर पुलिस ने बुरी तरह से डन्डे बरसाये। उपाध्यक्ष महोदय सिरोही जिले में

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

रेवदर तहसील के अनानास के वास के ग्रामीण लोगों पर भयंकर अत्याचार किया गया। वहां पर ग्रामीण जनता पर लेवी वसूल करने के लिए पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार और पुलिस के सिपाही व पुलिस के अफसर गए और उन्होंने बन्दूक की नोक पर उपाध्यक्ष महोदय पुलिस ने संगीनों के बल पर लोगों से लेवी वसूल करने की कार्यवाही की और जिन्होंने भी लेवी का विरोध किया उन पर डन्डे बरसाये गए। गरीब काश्तकारों की झोंपड़ियां से महिलाओं को निकाल कर उन्हें बुरी तरह से पीटा गया आपका आश्चर्य होगा उन महिलाओं के संगीन चोटें आई हैं लेकिन पुलिस ने उल्टे वहां के लोगों पर झूठे मुकदमे बनाये। वहां की महिलाओं के जो चोटें आई हैं उसके लिए मैडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट हैं। लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ पहले ही झूठे मुकदमे बना दिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय जिनको पीटा गया है उसमें एक 60 वर्ष की महिला मूली और उसके अलावा एक स्त्री 70 साल की पुत्री के कन्ट्रीयूजन और एब्रीजन्स आये हैं इसी प्रकार से कलवी नाम की महिला को बुरी तरह से पीटा गया उसके भी कन्ट्रीयूजन्स और एब्रीजन्स आये यह सरकार जो कि समाजवाद का ढोल पीटती है वह गरीब किसानों पर डन्डे बरसाती है। जो सरकार गरीबी हटाने का दम भरती है, नारे लगाती है वह बन्दूक की नोक पर गरीबों पर जुलम कर रही है। कम से कम चालीस आदमियों को गिरफ्तार कर लिया।

उपाध्यक्ष महादय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस थाने में उनकी पिटाई की गई। कल हाउस में एक रंगरेलियों का मामला आया था। एक कीलर काण्ड जोधपुर में हुआ था लेकिन उसको पुलिस के द्वारा एसकोर्ट करके ले जाया गया, पुलिस के द्वारा उनको पायलेट करके ले जाया गया और उनको एक वी. आई. पी. का ट्रीटमेन्ट दिया गया। वा अदव वा होशियार जिस तरह से किया जाता है वी. आई. पीज. का उसी प्रकार उनका सम्मान किया गया। दूसरी ओर उन किसान महिलाओं पर अत्याचार किया गया। उन पर डन्डे बरसाये गये।

पुलिस ने फिर क्या किया? डन्डे बरसा कर ही पुलिस शान्त नहीं हो गई। उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए। पुलिस ने स्वयं ने रिपोर्ट कराई। उनके खिलाफ मामले दर्ज किये गए 307 के, 395 के, 353 के, 332 के, 148 के, 149 के, 452 के। दो व्यक्ति वहां पर गये। एक तेजमल एडवोकेट गये। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिये एक तरफ आप महिला वर्ष मना रहे हैं। प्रधान मन्त्री भी महिला है और दूसरी ओर बूढ़ी किसान औरतों पर, महिलाओं पर डन्डे बरसाये जाते हैं। लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 307 के अन्दर उनको बन्द कर दिया गया।

यही नहीं वहां पर भाला, भीखा, सोमा, समरथा, दांतरिया, कालीचरण, शंकर, सूखा, रणछोड़, रामा, रघुनाथा, बागा इस प्रकार से मोटो कल्मी, पुरोहित, इस प्रकार से 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उन पर लाठियां बरसाई गईं। किस अपराध में? वह यह बात कह रहे थे कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बन्दूक की नोक पर लेवी मत लो। हम लेवी देंगे लेकिन हमको कीमत पूरी मिलनी चाहिये। इस बात पर उन पर पुलिस के द्वारा डंडे बरसाये गए और उनके हथकड़ियां डाली गईं। हथकड़ियां डालकर उनको घुमाया जाय यह पहला केस नहीं है। यह पहला उदाहरण नहीं है। बाड़मेर में शम्भूसिंह और दूसरे व्यक्तियों को अकाल राहत कार्य खुलने चाहियें इस मांग को लेकर वे कह रहे थे तो उनके हथकड़ियां डालकर उनको घुमाया गया। झालावाड़ में कोमलकिशोर को हथकड़ियां डाल कर घुमाया गया। सिरोही जिले में इन सारे व्यक्तियों को हथकड़ियां डाल कर घुमाया गया। अभी एक मित्र ने कहा था कि जमीन हथियायी गई। वे ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। समाज का खजाना और जितना भी है वह तो मंत्रिमंडल की एक प्रक्रिया है। लेकिन आप उन्हीं व्यक्तियों पर लाठी चलाते हैं जिनसे वोट लेते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये दो मापदंड क्यों? क्या मंत्री महोदय इस बात की घोषणा करेंगे कि किसानों पर से 307 के मामले उठाये जावेंगे। एक को तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पुलिस ने इतना मारा उसको क्या आप इस तरह से हथकड़ियां, बेड़ियां डाल.कर किसानों को शान्त करना चाहते है? उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के साथ में जुड़े हुए हों और उनको रंगरेलियां उड़ाने की छूट देते हो। कल आपने, उपाध्यक्ष महोदय, यह देखा होगा कि मैंने कुछ बातें कहने का प्रयास किया उधर से सारे के सारे खड़े हो गये। उन रंगरेलियों का संरक्षण करने के लिये खड़े हो गये। उनके आपने हथकड़ियां क्यों नहीं लगायीं? कल सदन में जब चर्चा होगी तब इस सम्बन्ध में बताऊंगा। ये कौन व्यक्ति थे जिन्होंने जोधपुर में इस प्रकार से रंगरेलियां की और उनके पुलिस ने हथकड़ियां नहीं लगायीं और उनको वी. आई पी. का ट्रीटमेन्ट दिया?

**श्री उपाध्यक्ष** : कल इस पर स्टेटमैंट होगा।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : ये दो तरह की बातें क्यों?

**श्री उपाध्यक्ष** : यह आज का सब्जेक्ट नहीं है।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : यह सबजेक्ट आज का नहीं है और मैं आज इस पर विचार नहीं करूंगा। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करके धान पैदा करें ऐसे व्यक्ति के हाथों में हथकड़ियां डालो और आप कहो कि हम समाजवादी सरकार हैं। जोधपुर कांड के सम्बन्ध में जिनको गिरफ्तार किया गया उनके यदि आप फोटो देखेंगे तो एक के भी हथकड़ी नहीं है। मैं कल फोटो प्रस्तुत करूंगा। आज इसका नोटिस दूंगा और कल इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन उन लोगों के हथकड़ी नहीं लगायी गयी। उनको पुलिस सेल्यूट मारती है और उनको वी. आई. पी. का ट्रीटमेन्ट देती है। एक तरफ तो उनको इस प्रकार का ट्रीटमेन्ट दे और दूसरी ओर जो लोग गरीब हैं, जो गरीब किसान हैं, काश्त करते हैं, मेहनत करके पैदा करते हैं धान उन पर आप लाठियां चलायें और उनके हथकड़ियां डालें यह आपका जनतन्त्र है। मैं इस प्रश्न को आज छेड़ना नहीं चाहता हूं। आप इस पर कल स्टेटमेन्ट दें। आप यह घोषणा करें आज सदन के अन्दर लेवी की वसूली के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
मामले में किसी भी किसान पर लाठी नहीं चलायी जायगी और न ही उसके हथकड़ी लगायी जायगी। कांग्रेस के लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि यदि वे सही रूप में किसान के हिमायती हैं और किसानों का भला चाहते हैं तो उनको भी निर्भय होकर अपने मन की सही बात को कहना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय परसराम जी मदेरणा को जब किसानों ने घेर लिया, जहां पहले उन पर गुलाल उछाली जाती थी, अब की बार उनके ऊपर धूल डाली गयी। वह किसी जनसंघ वाले ने, किसी कम्युनिस्ट पार्टी, किसी समाजवादी पार्टी, वाले ने नहीं डाली लेकिन उन लोगों ने ही डाली जिनसे आप वोट लेकर आते हो और जिनका आप 25 वर्ष से शोषण कर रहे हो। उनका कहना है इस कीमत पर लेवी नहीं दे सकते।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया समाप्त करिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : आप मुलाहिजा करिये। पुलिस बचाव करती है परसरामजी मदेरणा का और हथकड़ियां डालती है किसान पर। मैं समझता हूं कि आप को इस सम्बन्ध में आज ही सदन के अन्दर यह घोषणा करनी होगी कि किसान को हथकड़ी नहीं लगायेंगे लेवी के मामले में और न ही उन पर डंडे बरसाये जावेंगे। लेकिन आपने उन किसानों के हाथों में हथकड़ियां डालीं और उनको पीटा और जेल के सींकचों में बन्द कर दिया गया। उन के विरुद्ध धारा 307 लगायी गयी। आज यह किस पर लगायी जाती है? जो किसान मानव जीवन का रक्षक है, उसकी आज यह सरकार स्वयं भक्षक बन गयी है। सिरोही के अन्दर उनको गिरफ्तार करके रखा गया। उनको रिहा किया जाय और पुलिस के मंत्री सार्वजनिक रूप से सदन के अन्दर माफी मांगे कि उनके साथ मारपीट का गयी है और उनके हथकड़ियां लगायी गयी हैं और आगे के लिये सदन के अन्दर आश्वासन दें कि लेवी की वसूली के मामले में इसका प्रयोग नहीं किया जावेगा। वरना आज यह सिरोही में हुआ है कल अन्य स्थानों में होगा और चारों तरफ से ये आन्दोलन भड़केंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया समाप्त करिये।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : राजस्थान का किसान खड़ा होगा और जिसने आज तक सत्तारूढ़ दल को बल प्रदान किया है वह खड़े होकर कहेगा कि इस प्रकार किसान का शोषण किया जाता है वह नहीं करने दिया जावेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : काफी रिक्वेस्ट की जा चुकी है। आप विराजिये। इससे अधिक मैं समय नहीं दे सकता। आपको काफी टाइम दे दिया गया है दूसरे भी हैं बोलने वाले। I have requested so many times.

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : यह ऐसा विषय है ···

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : आप घंटी बजायेंगे, मैं बैठ जाऊंगा। लोग जेलों में पड़े हुए हैं। आज तीन दिन का सैशन बुलाया है···

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट): उपाध्यक्ष महोदय हमारे इलाके में लोग भूखों मर रहे हैं किसी प्रकार लकड़ियां बेच-बेच कर अपना गुजारा कर रहे हैं और पुलिस उन पर अत्याचार कर रही है। इसका निराकरण आज होना चाहिये और मंत्री महोदय जवाब दें। जिस इलाके में भयंकर अकाल है वहां पर लेवी वसूल नहीं होनी चाहिये यह मुख्य मंत्री जी को घोषणा करनी चाहिये। अगर यह नहीं हुआ तो यह आग भड़केगी और हम आन्दोलन करेंगे। हम भूखे लोगों पर पुलिस की लाठी नहीं खाने देंगे और हरगिज नहीं खाने देंगे यह हमारा प्रण है, आप कुछ भी समझें—सीधे तरीके से समझें चाहे किसी तरीके से समझें। जहां भयंकर अकाल है और आदिवासी इलाका है, जहां पानी नहीं है, कुएं नहीं हैं और जिन लोगों ने कभी-कभी नदियों और नालों में गेहूं बोया है—एक-दो क्विन्टल किसी प्रकार अनाज हो गया है जो अपने बाल बच्चों को खिला कर किसी प्रकार मजदूरी पर जा रहे हैं। आज वहां किसी के पास एक क्विन्टल, किसी के पास दो क्विन्टल और किसी पर तीन क्विन्टल की लेवी लगा रहे हैं हम कहते हैं लेवी वसूल अवश्य करें जिनके पास काफी अनाज हुआ है। हम कभी उसका विरोध नहीं करेंगे लेकिन गरीबों से जिनके पास खाने तक को गेहूं नहीं है उनसे वसूल करना चाहते हैं, यह कतई नहीं हो सकता है।

यह सत्र खतम होने पर क्या होगा, उन पर पुलिस के डण्डे पड़ेंगे, पुलिस और आपके सब लोग उनको मारेंगे यह नहीं चलेगा इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय घोषणा करें जिस इलाके में, जिस गांव में बिल्कुल अकाल है ....

श्री उपाध्यक्ष : कल अकाल पर बहस हो रही है ......

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : लेवी पर विचार प्रकट कर रहे हैं, इस पर कुछ होना चाहिये........

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय कोई सुनने वाला नहीं है, न हरदेव जी हैं, न परसराम जी हैं, न शिवचरण जी हैं। इधर काश्तकारों के हथकड़ियां डाली जा रही हैं और इस पर आज कोई विचार करने वाला ही नहीं है।

श्री विट्ठल भाई : मैं उपाध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं। कल भी मसला था, आज भी मसला है। कांग्रेस की ओर से भी विरोध हुआ है कि लेवी वसूली में अत्याचार हो रहा है लेकिन मन्त्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया। कल मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया वह सही ढंग से जवाब नहीं है। जो भी होगा, हम उसके लिये कलेक्टर को लिख देंगे लेकिन ऐसा करने से नहीं होगा। आज ही फोन किया जाय कि जिस इलाके में बिल्कुल अकाल है और अनाज बिल्कुल नहीं है उनसे कोई लेवी वसूल नहीं की जाय और इस प्रकार की घोषणा तुरन्त की जाय। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं जिस इलाके में पका है वहां वसूल करें, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं लेवी वसूल नहीं करें लेकिन जहां पानी नहीं है, तालाब नहीं है और सरकार ने कोई साधन नहीं बनाये हैं वहां लेवी

( श्री विट्ठलभाई )

वसूल नहीं करें। कुशलगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पानी नहीं है, वहां वसूल न करें। ऐसा कभी नहीं हो सकता है और न हम होने देंगे। नदियों में नालों में जो थोड़ा बहुत पानी आदिवासियों को मिला है किसी को एक पानी मिला, किसी को दो पानी मिला उनका खाद गया, बीज गया, सारी मेहनत गई और आज जिस प्रकार सरकार लेवी वसूल कर रही है वह कम से कम न करें और इसका आज ही घोषणा करें और वहां के कलक्टर को वायरलेस से कह दें।

यहां आज हम बोल रहे हैं और वहां किसानों पर लेवी वसूल करने के लिये डण्डे पड़ रहे हैं, डण्डे के बल पर लेवी की वसूली हो रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है ...

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रतिराम।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

एक ही माननीय सदस्य को मौका दे सकता हूं....

**श्री गुरदयाल सिंह सन्धु** : मैं अर्ज कर रहा था....

**श्री उपाध्यक्ष** : किस सम्बन्ध में ? आज उनका (रति राम) एडजोर्नमेंट मोशन है।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** :
**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : } लेवी
**श्री गुमानमल लोढ़ा** :
का मसला है : (अश्रव्य)....

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : उपाध्यक्ष महोदय, महिलायें हॉस्पिटल में भरती हैं और आप इधर सरकार चलाने का बात करते है। इधर काश्तकार अपना अन्न बेचता है और उचित दाम मांगता है तो उनकी हथकड़ी लगा दी जाती है। एक तरफ सरकार के अधिकारी रंग रेलियां उड़ाते हैं, बड़े बड़े अफसर उन रंगरेलियों में शामिल होते हैं लेकिन सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाती है। बड़े खेद की बात है मुख्य मंत्री जी किस आधार को लेकर बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं। किसानों से जबरन लेवी वसूल करने के लिये पुलिसके डण्डे बरसाये जा रहे हैं, महिलाओं पर लाठी चार्ज किया जाय और उनके घर वालों को गिरफ्तार किया जाय, 307 के मुकदमें लगाकर उनको बन्द किया जाय इससे बढ़कर क्या और अधिक शर्म की बात हो सकती है। राज्य सरकार कम से कम उन किसानों को जेलों से रिहा करे। उचित न्याय नहीं दे सकती है तो क्या सरकार उनको जेल देगी ? साल भर किसानों ने ठण्ड में, गर्मी में, बरसात में जा जाकर खेतों का बोया है, सब प्रकार की तकलीफों को सहते हुए उन्होंने अनाज बोया है और जिनके खाने लायक अनाज हुआ है उनसे भी जबरन लेवी वसूली की बात करते हैं। जो रोटी नहीं दे सके, कपड़ा नहीं दे सके वह सरकार निकम्मी है। सब काम करते हुये किसान अन्न बोता है, अनाज पैदा करता है उसके लिये कम से कम यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के नाम पर यह अत्याचार बन्द करें, पुलिस द्वारा किया जा रहा उन पर अत्याचार तत्काल बन्द करें और आज ही एक आदेश जाना चाहिये कि जो किसान लेवी के विरोध में जेलों में बन्द हैं उनको रिहा किया जाय

( श्री भानुकुमार शास्त्री )

और जो महिलायें लाठी चार्ज से घायल होकर, जख्मी होकर हॉस्पिटल में भरती हैं उनको उसका पूरा मुआवजा दिया जाय।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** मेरा निवेदन करना यह है कि····

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं अलाऊ नहीं करूंगा ऑर्डर प्लीज।

(बराबर बोलते रहने पर)

Not to be recorded.

**श्री गिराधारीलाल भार्गव :** × × ×

**श्री उपाध्यक्ष :** आसन के आदेश की पालना करनी चाहिये।

ऑर्डर प्लीज।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** × × ×

**श्री उपाध्यक्ष .** Not to be recorded. Not to be recorded.

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** × × ×

(व्यवस्था सूचक घन्टी)

**श्री उपाध्यक्ष :** ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो तरीका आप जानते है वह उचित नहीं है न तो मैं रिकार्ड करने की अनुमति दे रहा हूं और इससे आपको भी लाभ नहीं हो रहा है और सदन का समय ले रहे हैं आसन की आज्ञा की पालना नहीं करना चाहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है उसके बावजूद भी आप बार बार नहीं मानते हैं और कोई हल भी नहीं निकलवाना चाहते हैं। जो परम्परायें आप कायम करना चाहते हैं यह न आपके उपयोग के लिये हैं और न सदन के उपयोग के लिये हैं····

(व्यवधान-अश्रव्य)

ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

(व्यवस्था-सूचक-घन्टी)

ऑर्डर प्लीज।

**श्री खेतसिंह ( मुख्य सचेतक ) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो कल इस पर भी खाद्य मन्त्री जी वक्तव्य दे दें।

**श्री गुमानमल लोढा :** आप वक्तव्य तो दे दें लेकिन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं उनका क्या होगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप (श्री गिरधारीलाल भार्गव) बिराजिये। ऑर्डर प्लीज। आप बैठिये। ऑर्डर प्लीज।

(व्यवस्था-सूचक-घन्टी)

आप ( श्री गिरधारीलाल भार्गव ) बिराजिये। आप बैठिये।

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया !

( श्री उपाध्यक्ष )

ऑर्डर प्लीज। सरकार की तरफ से जो इस बात का आश्वासन दिया गया है कि कल इस सम्बन्ध में सरकार स्टेटमेंट देना चाहती है इसका मतलब यह है कि लेवी के सम्बन्ध में जो भी माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहें, गवर्नमेंट स्टेटमेंट देना चाहती है, गवर्नमेन्ट के स्टेटमेंट देने के बाद में जो भी आपके विचार होंगे, जैसा आपने इन्सीडेन्ट बताया है सिरोही वाला आप उसको भी उठा सकते हैं और दूसरे मुद्दे भी जितने इन्वाल्व्ड हैं वह उठा सकते हैं। जब गवर्नमेन्ट की तरफ से प्रस्ताव आया है उस पर कल सदन में विचार कर लिया जाये तो मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में आपको अवसर मिलेगा कि जो भी मुद्दे आप उठाना चाहते हैं उनको हल करने का या सदन में रखने का या मन्त्री महोदय तक उस बात को पहुंचाने का या अपनी बात कहने का अवसर दिया जा रहा है। सरकार मानती है कि कल स्टेटमेंट इस पर दिया जाये लेवी के बारे में और जो हमारी प्रक्रिया है उसके अनुसार कर लेंगे। मैं समझता हूं कि लेवी के मामले को यहीं समाप्त कीजिये। अभी मैं अध्यक्ष जी से बात करके....

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। आप (श्री भार्गव) बिराजिये। ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** उपाध्यक्ष महोदय, कल सदन समाप्त हो जायेगा। यह सरकार किसानों के साथ अन्याय करना चाहती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही स्टेटमेन्ट होना चाहिए। इसकी आज ही व्यवस्था करें।

**श्री उपाध्यक्ष :** ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज। ऐसा है कि आप जो इस तरह से प्रक्रिया अपनाना चहते हैं मैं कुछ बात कहना चाहता हूं उसके पहले ही आपने बोलना शुरू कर दिया। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि माननीय अध्यक्ष जी से बातचीत करके आपको भी इस सम्बन्ध में जो विरोधी दल के नेता हैं उनको भी बुलाकर आपकी सलाह से समय का बंटवारा निश्चित कर लिया जायेगा और उस पर डिस्कशन रख दिया जायेगा और यह सारा मामला तय हो जायेगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि अकाल की बहस शुरू होने से पहले यह स्टेटमेन्ट हो जाये। आम तौर से ऐसा ही होता है। यह बात मान लेनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष :** मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** जो लोग जेल में पड़े हुए हैं, यह बहुत अहमियत का प्रश्न है। आज किसानों को जेल में ठूंसा जा रहा है........

**श्री उपाध्यक्ष :** ऑर्डर प्लीज। (श्री गिरधारीलाल भार्गव के अनवरत बोलते रहने पर) Not to be recorded.

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** ××××

---

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह चाहते हैं कि मैं कल स्टेटमेन्ट नहीं रखूं। आप चाहें तो एक घन्टा और बोल लें। मैं आपकी बात को पहले ही मान रहा हूं...... ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पार्टी मत बनिये। आप चेलेन्ज मत कीजिए... The Deputy Speaker should not become a party.

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि समय दिया जा रहा है और कल गवर्नमेन्ट का स्टेटमेन्ट हो जायेगा।

(शोरगुल, व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज, आॅर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढा : तीन दिन के सेशन में मुख्य मन्त्री जी गायब, गृह मन्त्री जी गायब यह सेशन का मखौल है और इतने इम्पोर्टेन्ट मैटर्स हैं। सारे के सारे मेन मैटर्स इनवाल्व्ड हैं। अनुसूचित जाति और जन जाति का डिबेट का प्रश्न है और वह यहां रहे नहीं, that is a fraud on the people.

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री लोढ़ा) बिराजिये।

श्री महारावल साहब !

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता हूं, न मैं कोई लेवी के प्रश्न पर अनुचित लाभ उठाना चाहता हूं लेकिन यह तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी होती जा रही है कि पुलिस स्टेट बन रही है। पुलिस स्टेट बनने के साथ ही साथ मुझे आशंका है कि सरकार भी घबराती है और डरती है। इसका परिणाम क्या होगा। लेवी ले सरकार लेकिन ऐसी बदतमीजी और बहशियाना तौर पर लेवी ले और गांव के गांव खाली हो जायें, लोगों को आतंकित किया जाये, महिलाओं की बेइज्जती की जाये तो मेरे ख्याल में यह सरकार है यह सड़ी गली, निकम्मी और नालायक सरकार है। उपाध्यक्ष महोदय, कल जो कुछ भी विषय लिये जायेंगे सदन में आप भलीभांति उनसे परिचित हैं। भला समय कहां से मिलेगा। अगर सरकार इस सम्बन्ध में अपनी साफ नीयत रखती है तो आज शाम को सदन की बैठक 5 बजे तक या 6 बजे तक चल सकती है। आज सरकार इसका उत्तर क्यों नहीं देती है और जो जेल में बन्द हैं उनको क्यों नहीं रिहा करती है और जो गांव खाली हुए हैं उनको जाकर और आश्वासन देकर और दिलजमी करके उनको वापिस क्यों नहीं बुलाती है? मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि यह लेवी मान ली जाये कि जहां 5 बीघा और 5 बीघा से कम के जो काश्तकार हैं ऐसे उदाहरण हैं कि जहां गेहूं लोगों ने बोया वहां एकदम कुओं का पानी नीचे गिर गया। पानी नहीं रहा और सिंचाई के बिना वह सारी फसल सूख गई और फिर हिटलर जैसे अत्याचारी आपके पटवारी जो नालायक लोग हैं वह जाकर जबरदस्ती लेवी वसूल कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ आपने लक्ष्य कायम कर दिया है कि येन केन प्रकारेण, 'थ्रू फेयर आर फाउल वे, इन एनी वे' हमको इतना गेहूं इकट्ठा करना है—यह सरकार का कोई वतीरा है, लक्ष्य है, सिद्धान्त है? बड़े अफसोस की बात है कि अगर इस तरह का अत्याचार राजस्थान के अन्दर रहा तो

( श्री लक्ष्मण सिंह )

इससे बढ़कर और कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो नहीं सकती। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। मैं नहीं चाहता कि अनुचित लाभ उठाया जाये। मैं चाहता हूं कि बडे किसान लेवी दें और नहीं दें तो उनको सजा दा जाये लेकिन एक दाना भी जिनके पास नहीं उनसे लेवी ली जाये यह अन्याय है। मैंने कहा बहुत सारे लोगों को मत दो लेवी, तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है। घर के अन्दर बकरा, बकरी सब बेचकर जो भी उन के पास बरतन थे सब बेचकर बिलकुल खाने के लिए और अपनी जिन्दगी बसर करने के लिए बेच दिये उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए ऐसी स्थिति में यह समाजवाद का ढकोसला है। यह तो जबर्दस्त अधिनायकवाद की पराकाष्ठा है। ऐसी स्थिति में मैंने उनसे कहा कि लेवी मत दो और डंडे खाने हैं तो सबसे पहले सिर के ऊपर मैं डंडे खाऊंगा। यह असह्य बात है, नाकाबिले बरदाश्त है। अगर इस तरह से आपका वतीरा रहा तो मैं ता कहता हूं कि हम तो बहिर्गमन करने के लिए तैयार हैं लेकिन सचेतक महोदय ने जो आश्वासन दिया उस आश्वासन को थोड़ा बहुत और हमारी भावनाओं का भी आदर करते हुए बहरी, गूंगी, नालायक और नादान सरकार को चाहिए कि 4 बजे या 5 बजे तक भी कोई स्टेटमेंट दे अगर यह स्टेटमेंट सरकार नहीं देती है तो मैं समझता हूं कि यह गद्दार और गुनहगार सरकार है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि पहले भी निवेदन किया है, बहुत ही भावना में आ गए विरोधा दल के नेता, हम भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार से छोटे काश्तकारों पर जुल्म किया जावे और हमारी कोई भावना नहीं है

श्री गुमानमल लोढा : हो रहा है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : : आर्डर प्लोज।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब कि विरोधी दल के नेता ने सरकार को गूंगी, बहरी, नालायक क्या क्या शब्द कह दिए तब भी उन सब शब्दों को सुना और हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सोचा कि हमारा भी मौका आएगा तब हम भी निवेदन करेंगे। इनमें इनका भी धैर्य नहीं है कि जब सरकार इस बात के लिए तैयार है कि सारी जानकारी हासिल करके कि किसके साथ जुल्म हुआ है, क्या हुआ है, क्या कारण हैं क्यों गिरफ्तार किया गया हैं, क्यों जेल में डाला गया है, आखिर माननीय सदस्य भी जानते हैं कि इतनी दूरी से इत्तिला मंगवाने में समय लगता है। इसलिए निवेदन किया कि कल यह स्टेटमेंट जैसा कि अलवर से आने वाले माननाय सदस्य ने कहा कि अकाल की डिबेट के पहले इस स्टेटमेंट को लें तो उससे भी एग्री करते हैं और उसी वक्त में यह स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। उससे पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें कि कैसे किसके साथ अन्याय हुआ है और पूरी जानकारी के आधार पर यहां पर निश्चित रूप से बयान दिया जाय। सरकार भी यह मानता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, गलत गिरफ्तारी नहीं की जावे। सारी बातों

( श्री खेतसिंह )
की छानबीन करने में समय चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस स्टेटमेंट का कल ही रखने की बात आप मान लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : स्टेटमेंट तो कल हो जाय लेकिन जिन महिलाओं की गिरफ्तारी करके जेल में डाल दिया हैं उनको तो रिहा करावें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** मैं निवेदन करूंगा कि यह जो स्थगन प्रस्ताव है यह एक सीमित किन्हीं घटनाओं के सम्बन्ध में हो सकता है लेकिन जब स्टेटमेंट दिया जावे और कल बहस हो तो कई ऐसे प्रश्न हैं जो इससे जुड़े हुए हैं इसलिए इसको थोड़ा विस्तृत करके माननीय सदस्यों को इस पर पूरी बहस करने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्योंकि सरकार ने भी इस सम्बन्ध में घोषणा की है कि बड़े 2 लोगों से पहले वसूल करेंगे और उसको वसूल करना चाहिए; छोटों से नहीं करना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं और यहां छोटों के साथ वसूली हो रही है, गड़बड़ियां हो रही हैं, बड़ों से वसूली नहीं हो रही है, यह बात साफ है। बहुत सारी बातें कहनी हैं ...

**श्री लक्ष्मण सिंह :** उनको रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** अभी महारावल साहब ने कहा कि वे बड़ों से लेवी के पक्ष में हैं, बड़ी खुशी है लेकिन अमली तौर पर कुछ दल और बुनियादी तौर पर उनका स्वयं का दल इसका विरोध कर रहा है, हमारा इस बारे में डिमारकेशन है, हम बड़े लोगों से लेवी के पक्ष में है कि पूरी तौर से ली जानी चाहिये ...

**श्री उपाध्यक्ष :** कम ही फर्मायें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** लेकिन इससे कितने ही प्रश्न जुड़े हुए हैं इसलिए समय थोड़ा अधिक रख कर, चाहे थोड़ा और भी बढ़ाना पड़े तो भी इसको रख कर उसका वक्तव्य दें ताकि लोग बहस में भाग ले सकें।

**श्री उपाध्यक्ष :** (मुख्य सचेतक महोदय की ओर मुखाक्षेप) : सरकार की तरफ से इस पर डिबेट होगी ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** सिरोही काण्ड स्पेसिफिक हो और जो अत्याचार हुए हैं वे भी हो जावें। ...(व्यवधान अश्रव्य)

**श्री खेतसिंह :** और भी कोई मुद्दे होंगे तो उस पर भी बहस हो जाएगी।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** जो जेलों में है उनको तो रिहा करवाइये।

(व्यवधान-अश्रव्य)

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** जो महिलायें जेलों में बन्द हैं उनको तो तुरन्त रिहा कराइये।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं निवेदन करूंगा मुख्य सचेतक महोदय से कि जो जनरल स्टेटमेंट हो लेवी के सम्बन्ध में, जो कल होगा उस सम्बन्ध में जो पर्टीक्यूलर पाइन्ट उठाये हैं उसमें इनका समावेश हो जाय, जो इंस्टासेज बताये हैं उनका भी समावेश हो जाय।

# Page No 55

(55)



श्री रामसिंह कुड़ी : जेल से तो आज ही रिहा करायें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : स्टेटमेंट तो गृह विभाग के, पुलिस विभाग के मंत्री देंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : स्टेटमेंट तो कल हो जाये लेकिन रिहा तो आज ही हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कल डिस्कसन के लिए रखा है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री रामकिशन

श्री भानुकुमार शास्त्री : रामकुमारजी माननीय सदस्य के विधायक निवास से डाकू पकड़े जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखा था उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सदन में इसको एक मोशन के रूप में लिया जाएगा, वह कब लिया जा रहा है. क्या व्यवस्था है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रिविलेज मोशन था ...

श्री उपाध्यक्ष : वह. माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है आप उनसे मिल लें चैम्बर में।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करना चाहता था कि कल अकाल का प्रश्न भी है लेवी का प्रश्न भी है और इसके साथ साथ दो वक्तव्य इस प्रकार के हैं कि मैं समझता हूं इस पर ही बहुत समय बंट जाएगा। डकैती वाला मामला और जोधपुर काण्ड का मामला है जिसमें सदन का बहुत समय लगेगा। इसलिए यह ज्यादा उचित होगा कि लेवी के मामले में जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उन पर आज ही चर्चा हो जाय। शाम तक समय बढ़ा दिया जाय सदन का। अकाल के सम्बन्ध में जब कल चर्चा होगी तो इन दो बयानों के बाद में अकाल की डिबेट के साथ कितना न्याय कर सकेंगे। अकाल राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लिए सोचना पड़ेगा "इसलिए मेरा सुझाव है कि इस सदन का समय बढ़ा कर आज लेवी के मामले को ले लिया जाय। कल दो वक्तव्यों के बाद में मुझे नहीं जंचता कि हम अकाल के प्रश्न पर कोई न्याय कर सकेंगे, खुल कर चर्चा हो सकेगी।

दूसरी लेवी के सम्बन्ध में सरकार ने बारबार घोषणा की ...

श्री उपाध्यक्ष : कल ही रख दें इसको तो। कल मौका देंगे लेवी के समय पर।

श्री रामकिशन : दूसरा मौका मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से अकाल पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार दोनों बयान दे रही है उसी में समय चला जाएगा। आप देख लीजिए मौका नहीं मिलने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं कि मौका देने के समय मौका देंगे ही। इसके लिए समय निकाला जाएगा किसी तरह से। अभी मैं अध्यक्षजी से निवेदन करूंगा, 1 बजे बुला लेंगे महारावल साहब

( श्री उपाध्यक्ष )
को और कल के समय का बंटवारा तय कर लेंगे।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : यह हो नहीं पाएगा। आप ही उस समय आसन पर होंगे और सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देंगे, यह मेरा पक्का शक है, इसलिए आज ही स्टेटमेंट हो जाय, आज ही समय बढ़ाया जाय।....

श्री **उपाध्यक्ष**: आप बिराजिये।

(व्यवधान-अश्रव्य)

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : उपाध्यक्ष महोदय ...

**श्री शंकरलाल** ( पाली ) : अकाल जैसी समस्या के लिए दो दिन होना चाहिये, एक दिन तो काफी नहीं है। समय का बंटवारा नहीं हो पाएगा।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : अकाल के सवाल के समय में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिये।

**श्री लक्ष्मण सिंह** : मेरा निवेदन है और मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य रामकिशनजी ने जो सुझाव दिया है वह एक हद तक में आशा करता हूं कि सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और अगर हो सके तो आज शाम का ही ले लिया जाय। दो घन्टे के लिए सदन बन्द कर दिया जाय। दो बजे, तीन बजे, पांच बजे, दो घन्टे के लिए चर्चा हो जाय, इस लेवी के सम्बन्ध में चर्चा हो जाय तो सरकार को आपत्ति क्या है? आपको अपनी नीति की घोषणा करनी है। सरकार की इन गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में क्या नीति है, लेवी के सम्बन्ध में क्या नीति है? छोटे काश्तकारों से लेवी वसूली की गई है और निश्चित रूप से की गई है। उन्होंने बाजार से खरीद 2 करके गरीब लोगों ने गेहूं सरकार को दिया है जबकि गेहूं नहीं बोया। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार को कोई न कोई उत्तर देना चाहिए और उत्तर देने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इस बारे में वक्तव्य हो जाता तो ठीक होता।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री **गिरधारी लाल भार्गव** : अकाल को समय का अकाल खा जाएगा।

श्री **खेतसिंह** : मैंने जैसा निवेदन किया, मैंने खाद्य मंत्री जी से भी बात की है वे भी यह चाहते हैं कि सारी इन्फार्मेशन क्लेक्ट करनी पड़ेगी इसलिए लेवी पर स्टेटमेंट तो कल ही रखा जाय। आवश्यकता हो तो कल सदन का समय बढ़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : एक दिन का समय और बढ़ा दो न।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : मुख्य मन्त्री यहां नहीं है इसलिए नही बढ़ा सकते। उनसे इतना डरते क्यों हो।

**श्री शिवचरण माथुर** : उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन का कार्यक्रम निर्धारित था उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की रिपोर्ट पर दिन भर बहस होने को इसमें थी। अब लेवी के बारे में अचानक एक आपने स्थगन

( श्री शिवचरण माथुर )

प्रस्ताव की सूचना दी । इसमें फैक्ट जानने की बात है । यही इसमें कठिनाई है वरना कोई बात नहीं है । आज ही बहस करना चाहें फैक्ट्स के अभाव में तो मैं मानता हूं कि हम न्याय नहीं कर सकते । मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, वक्तव्य दे दूंगा, बहस कर लीजिए इसमें मुझे कोई विरोध नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि कठिनाइयों के कारण आज ही बहस करना उचित नहीं होगा इसलिए कल आप बहस रख दीजिए यही मेरा निवेदन है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जन जातियों के कमिश्नर की रिपोर्ट के लिये भी समय कम है, और अकाल है ............

**श्री उपाध्यक्ष** : अभी फिर डिसकशन शुरू न हो जाये ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं शुरू करना भी नहीं चाहता । मैं यह कहता हूं कि जो हालत है, उसमें डिसकशन आवश्यक भी नहीं है । और जोधपुर काण्ड और दूसरी बातें भी हैं, डाकुओं वाला कांड है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपने नेता महोदय से असहमति रखते हैं क्या ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं असहमति नहीं रखता, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं । आज छोटे किसानों और मध्यम श्रेणी के किसानों से लेवी वसूल की जा रही है यह छोटी उत्तेजना का प्रश्न नहीं है। और इस प्रकार से प्रश्न हल भी नहीं होगा। आखिर इस सम्बन्ध में सरकार को सैद्धान्तिक घोषणा करनी पड़ेगी । कई लोग लेवी पर भी बोलना चाहते हैं और इसके सिवाय कोई चारा नहीं कि सदन के दिन बढ़ाये जायें आप भले ही लगातार दो सिटिंग्स कर लें, लेकिन यह सारे प्रश्न दो सिटिंग्स में फेस आउट नहीं हो सकते । आखिर सरकार को क्या ऐतराज है सदन का काल बढ़ाने में ? चार दिन के लिये ही सदन बुलाने का कष्ट क्यों किया ? प्रजातन्त्र की सरकार है, सरकार को सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिये । पिछले सदन में भी एक ही दिन में आठ-दस बिल एक ही दिन में पास करवाकर रेकार्ड तोड़ दिया । इसलिये मेरा आप से निवेदन है कि सदन का काल आप बढ़ायें और इसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता ।

**श्री उपाध्यक्ष** : जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं........ ..........

**श्री मूलचन्द सामरिया** : एक मिनट में भी बोलना चाहता हूं । जैसा माननीय हांडा साहब ने कहा है, ऐसी सभी माननीय सदस्यों की मान्यता है, कांग्रेस के मेम्बर्स की भी ऐसी मान्यता है कि सरकार सदन को फेस करने से कतराती है । जनता को लेवी से तकलीफ है उस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिये । इसलिये जब आप सदन का समय बढ़ायेंगे तब ही न्याय हो सकेगा और तब ही चर्चा हो सकेगी अन्यथा नहीं ।

(10.53 म. पू. )

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : तब तक यह सारा प्रश्न हल नहीं होने वाला है । सदन को और चलाना चाहिये ।

**श्री अध्यक्ष** : कहिये, क्या हुक्म है आपका ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : हुक्म नहीं, अर्ज है। सदन का समय बढ़ाना चाहिये ।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, सारे सदन की यही भावना है कि समय बढ़ाया जाये। अलग अलग क्षेत्रों से हम लोग आते हैं। लेवी के बारे में वहां की कई समस्याएं हैं। अकाल का मामला है, लेवी के मामले हैं, और पुलिस अत्याचार के मामले हैं, और इनके साथ दूसरा प्रश्न है जोधपुर रंगरेलियां कांड, गवर्नमेंट हॉस्टिल डकैत कांड इन सब के अलावा अनुसूचित जाति और जन जाति के कमिश्नर की रिपोर्ट पर भी बहस आज तक तीन दिन तक होती रही है, उसके लिये भी आप पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं, मुझे तो माननीय सदस्यों ने बताया कि अनुसूचित जाति और जन-जाति के माननीय सदस्यों ने यह फैसला किया है कि वह इस बहस में भाग नहीं लेंगे क्योंकि सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है यह डिसीजन उन्होंने लिया है। दिस डिसीजन हैज बीन टेकिन। और यह कांग्रेस के सदस्यों ने मुझे कन्वे किया है।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** (यातायात मंत्री) : कांग्रेस के सदस्य आपको कन्वे करते हैं क्या ?

(शोरगुल)

**श्री अध्यक्ष** : सभी एक साथ न बोले। सभा की कार्यवाही ढंग से चलने दी जाये।

**श्री मूलचन्द सानरिया** : (अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : हरएक बात मजाक में नहीं लेनी चाहिये। कभी कभी सीरियस भी होना चाहिये।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट पर हमेशा दो-तीन दिन डिबेट होती है। केवल औपचारिकता निभाने के लिये आप इस पर बहस रख लें, अभी 11 बजने को हैं, अभी कुछ स्थगन प्रस्ताव हैं, जयप्रकाश नारायण पर हमला हुआ, उसके बारे में भी एक प्रस्ताव है, यह सभी इतनी जल्दी कैसे हो सकते हैं? अगर आप राजस्थान की ढाई करोड़ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिये ही रिपोर्ट पर बहस करा लें तो यह नहीं हो सकता। इसलिये हम सबकी यही भावना है कि दो तीन दिन के लिये सदन एक्सटेंड कर लिया जाये या इवनिंग सैशन और रख दी जाये। खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री भी यहां नहीं हैं। वे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा समझते हैं। दे आर फीलिंग टू वीक। वह वीकनेस फील कर रहे हैं। तो कम से कम 4 बजे लेवी पर स्टेटमेंट हो जाये, और अकाल समस्या को लेकर दो-तीन दिन एक्सटेंड कर दें। अध्यक्ष महोदय, हृदय को भांपने के लिये कोई यन्त्र नहीं है, वरना आपको मालूम पड़ जाता कि कांग्रेस के भी कई विधायकों की यही भावना है।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : अकाल के बारे में हम भी बोलना चाहेंगे, There is no dispute about it.

**श्री मोहम्मद गफ्फारअली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक दो रोज एक्सटेंड करने की बात है। अनुसूचित जातियों और जन जातियों के कमिश्नर की रिपोर्ट

( श्री मोहम्मद गफ्फारअली )

पर बहस करने के लिये समय पूरा मिलना चाहिये ताकि सभी माननीय सदस्य अपने विचार अच्छी तरह से रख सकें। इस रिपोर्ट से सभी माननीय सदस्य सम्बन्ध रखते हैं और इसमें पूरा अवसर मिलना चाहिये। इसलिये समय बढ़ाना आवश्यक है और 9 तारीख के बजाय 11 या 12 तक सदन चलाना चाहिये ताकि सभी मेम्बर्स संटिसफाइड हों और प्राब्लेम्स का सोल्यूशन निकल सके।

**श्री मोहरसिंह (सादूलपुर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट अर्ज करना चाहता हूं। सदन का जो सत्र होता है उसमें माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं लेकर आते हैं कि उनका हल इकट्ठा होकर निकालेंगे। चार दिन का आपने समय निकाला और समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, लेवी का मसला है जिसके बारे में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अनुसूचित जातियों और जन जातियों के कमिश्नर की रिपोर्ट पर भी बहस करनी है। ऐसी हालात में जब हमने चार दिन का समय निकाला है, तो दो दिन और बैठकर प्राब्लेम्स का हम हल निकालें तो जनता, जो आशा लेकर बैठी है, उनको भी कुछ राहत मिलेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि सदन का समय दो-तीन दिन बढ़ाकर इन समस्याओं पर विचार किया जाये।

**श्री खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के अन्दर माननीय राजगढ़ से आने वाले सदस्य भी थे, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी थे, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी थे, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य भी थे, और जो अलग अलग पार्टियों के नेता थे, वे भी थे। सभी ने यह तय किया था। उसके बाद में एक प्रश्न लेवी के बारे में और आया। उसके लिए मैंने हाउस से निवेदन किया कि उसके बारे में आज स्टेटमेंट नहीं हो सकते हैं। कल सवेरे वह स्टेटमेंट दे देंगे। आवश्यकता हो और सभी यह महसूस करें कि अकाल की डिबेट पूरी नहीं हो रही है तो शाम को और सेशन बुला लीजिये और कल से शुरू कर दिया जाय।

**श्री मोहरसिंह** : समय बढ़ाने में इतनी रिजिडिटी क्यों है, यह बात समझ में नहीं आती है। अगर एक रोज समय और बढ़ा दिया जाय तो ....(व्यवस्था-सूचक-घंटी) क्या होता है। लेकिन हम कई समस्याओं को यों ही बिना वाद-विवाद किये छोड़कर नहीं जायेंगे। जनता हमसे उम्मीद करती है, यहां बैठने के लिए और लाट साहब बनने के लिए हम नहीं आये हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं खासतौर से कहना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को फिर काल कर लें। 15-20 मिनिट और लग जायेंगे। एक-दो दिन का समय और बढ़ा दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : मैं यह जानना चाहता हूं कि हम आगे डिबेट प्रोसीड करें कि न करें? क्या राय ?

**श्री रामकिशन** : अध्यक्ष महोदय, एक बात है....

**श्री अध्यक्ष** : आपने फर्मा दिया उसका कोई कन्क्लूजन तो निकालें। एक इश्यू पूरा नहीं हुआ, उसका निर्णय नहीं हुआ जब

(श्री अध्यक्ष)
तक दूसरे इश्यू पर चले जाते हैं। दूसरा इश्यू कैसे ले सकते हैं जब तक कि आज का इश्यू पूरा न हो....

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : सारा सदन दो दिन का समय और बढ़ाना चाहता है...

**श्री अध्यक्ष** : यह बात सभी माननीय सदस्यों ने कही है कि समय बढ़ा दिया जाय और उसको चाहे कितनी दफा फर्मा दें बात तो वही की वही रहेगी कि समय और आगे बढ़ा दिया जाय। मेरा निवेदन करना यह था कि जो पहलू हमारे सामने आये हैं एक तो स्थगन-प्रस्तावों के बारे में और अनुसूचित जाति और जन-जाति की रिपोर्ट के बारे में बातचीत करना और वाद-विवाद करना, और दूसरा अकाल बारे में जो नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम सूची के अन्दर हैं। और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन पर समय भी काफी मिलना चाहिए, इसमें भी दो राय की बात नहीं है। मेरे खयाल से पहले पूरा ही एक दिन अकाल के लिए रखा था। कब जब बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग हुई थी तो उसमें कल का जो समय है वह फेमीन, अकाल के बारे में था और आज के बारे में अनुसूचित जाति और जन जाति की रिपोर्ट और एक-दो स्टेटमेंट के लिए था। उनको कल रखा गया है। उनको आज ही इस सदन के काफी माननीय सदस्य चाहते हैं, और जो दूसरा था उसको कल के लिए रखा गया है। आज स्थगन-प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो लेवी की बात आई है उसमें कुछ और बातें भी आई हैं पुलिस वगैरह की। उसमें आपने लेवी के बारे में कुछ और बातचीत करना चाहा, उस पर वाद-विवाद करना चाहा है तो यह मुद्दा इस वक्त आया है। अकाल, अनुसूचित जाति की रिपोर्ट, रामकुमार जी वाला, जोधपुर वाला और लेवी वाला। यह पांच चीजें हमारे सामने हैं। उनके बारे में बातचीत इस सदन में कर ली जाय। दो स्टेटमेंट रामकुमार वाला और जोधपुर वाले का सवाल है उनका टाइम फिक्स्ड कर चुके हैं कल के लिए। आज का जो प्रश्न है लेवी वाला यह आज भी हो सकता है। उसमें ऐसी बात नहीं है। तो जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि पूरी जानकारी के साथ होगा तो अच्छा है। अधूरी जानकारी में तो आप भी कुछ नहीं कर पायेंगे। उसके लिए समय निर्धारित हो जाय वह बात ठीक है। उससे खाली कृषि मंत्री जी का सम्बन्ध होता तो कोई बात नहीं लेकिन उसमें पुलिस का भी एक पार्ट है तो यह जानकारी कर लें उसके लिए समय उनको देना चाहिए। कल इसको रखें। मेरी आपकी इस मामले में यही राय है। कल निश्चित रूप से वह रखा जायगा। वक्तव्य में डिटेल्स सब आपको कल मिल जायेंगे।

अब एक इश्यू सामने रहता है। वह यह रहता है कि कल का जो बिजनेस है और आज का जो बाकी बिजनेस है तो आज के लिए मैं कहता हूं कि अनुसूचित जाति और जन-जाति की जो रिपोर्ट है यह बिजनेस खत्म होने पर उसकी बात हो जाय....

**एक माननीय सदस्य** : एक बजे होगी।

**श्री अध्यक्ष** : तो उसको अभी शुरू कर दें। ज्यादा बैठना है तो ज्यादा बैठ जायं।

[redacted]



( श्री अध्यक्ष )

(किसी माननीय सदस्य के बोलने पर) थोड़ा सब्र रखिये। आपकी भावना को समझता हूं। तो कुछ ज्यादा बैठ सकते हैं। अकाल के बारे में और एक स्टेटमेंट और नया आ गया। मेरा ऐसा मानना है कि यह दो इश्यू अभी हो सकते हैं। एक दिन के लिए या दो दिन के लिए और बढ़ा दें जैसा कि आपने कहा है या किसी न किसी रूप से अकाल पर ज्यादा बात हो, अधिक समय दिया जाय, यह निर्णय तो मैं तुरन्त नहीं कर सकता हूं। एक-दो दिन के लिए समय बढ़ा दिया जाय यह तो नेता लोग आयें तभी हो सकता है। कल आप उनके सामने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होंगे उनके आने पर बात हो सकती है। वी डोन्ट से एट प्रजेन्ट। अभी तो इतना ही कह सकता हूं कि उनके आने पर एक या दो दिन बढ़ाने की बात पर निर्णय लिया जायगा। यह आप खुद समझते हैं। इतना निर्णय मैं अभी ले सकता हूं कि अकाल का समय कम रहता है तो सैकण्ड सीटिंग हम कर सकते हैं इवनिंग में और एक, दो, तीन या चार घन्टे जितना बैठना चाहें बैठकर अकाल के बारे में बात कर सकते हैं। इतना टाइम बढ़ाने की बात मैं कर सकता हूं। ज्यादा एडिशनल टाइम आपको चाहिए, अगर सदन चाहता है कि और बातचीत करें तो कल शाम को सैकण्ड मीटिंग अपन कर लेंगे, और उसमें आपकी बातचीत हो जायगा। मैं समझता हूं कि इससे आपकी आशंका निश्चित रूप से हल होगी। बाकी आपकी बात है निर्णय के बारे में उसके लिए कल ही बात कर सकूंगा आज नहीं कह सकता हूं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर काफी बातचीत हो चुकी है। अब रेग्यूलर बिजनेस अनुसूचित जाति और जन-जाति की रिपोर्ट पर बातचीत शुरू करें।

**श्री मोहम्मद गफ्फारअली** : अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट है इसका भी आज ही अगर समय बढ़ा दिया जाय तो इस रिपोर्ट के साथ जस्टिस कर सकेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने कहा कि बहुत ज्यादा बैठना चाहते हैं ...

**श्री मोहम्मद गफ्फारअली** : आज के लिए अर्ज किया है।

**श्री अध्यक्ष** : अगर ज्यादा बैठना चाहें तो ज्यादा करेंगे।

**श्री मोहम्मद गफ्फारअली** : सैकण्ड सीटिंग कर दें।

**श्री अध्यक्ष** : अगर ज्यादा बैठना चाहें तो बैठिये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, अगर सैकण्ड सीटिंग की जाय तो बीच में ब्रेक देकर ताकि माननीय सदस्यों को खाना वगैरह खाना होगा वह खाकर आ जायं। बीच में ब्रेक देकर लंच करके आ जायं और चार बजे से वह दुबारा सीटिंग कर दी जाय और चार घंटे बैठ जायं तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स पर बहस अच्छे तरीके से हो सकती है। अभी बाकी के विषय डिसपोज आॅफ हो जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : अभी 11 बजे हैं और दो घण्टे एक बजे तक है उसको एक घण्टा और बढ़ा दें और बैठने की इच्छा हो तो।

**श्री रामकिशन** : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या बड़ी गम्भीर है। हालत यह है कि

( श्री रामकिशन )
कल भी निवेदन किया था और आपको ध्यान होगा कि सारे इम्पार्टेन्ट स्टेटमेंट रख दिये कल। सरकार की यह रेग्यूलर स्थिति रही है समय आगे नहीं बढ़ायेंगे तो क्या चारा होगा और कल किसी भी सूरत में अकाल के साथ न्याय नहीं होगा।

श्री **अध्यक्ष** : न्याय हो जायगा। समय बढ़ा देंगे।

श्री **रामकिशन** : दो दिन का काम डेढ़-दो घण्टे में कैसे हो सकता है ?

श्री **अध्यक्ष** : थोड़ा न्याय आप कर पायेंगे यानी सीटिंग बढ़ा देंगे।

श्री **विट्ठल भाई** : दो दिन, अध्यक्ष महोदय, और समय बढ़ा दें। वह समय बढ़ा सकते हैं। अनुसूचित जाति और जन-जाति की रिपोर्ट पर कम से कम दो दिन बहस होनी चाहिए। अगर आप बहस नहीं करेंगे तो हम बोलना नहीं चाहते हैं।

श्री **मूलचन्द सामरिया** : एक्स्ट्रा टाइम दे दें। अभी 11 बजे हैं। यह कितनी गम्भीर समस्या है।

श्री **अध्यक्ष** : एक बात को कितनी दफा कहना चाहते हैं।

श्री **मूलचन्द सामरिया** : एक्स्ट्रा टाइम इसमें दो-तीन घण्टे का होना चाहिए। एक बात कितना दफा कहना चाहते हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था। एक घण्टा दो घण्टा, कितना बैठना चाहते है ? अगर और बैठना चाहते हैं तो और बात है। नहीं तो रेग्यूलर बहस शुरू करें।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सब्सटेण्टिव मोशन था। वह मैंने दिया था। श्री जयप्रकाश नारायण का सुरक्षा की व्यवस्था की जाये।

श्री **अध्यक्ष** : वह सरकार को भेजा है।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : आपने सरकार को भेजा है। पहले भी इलाहाबाद और दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं घटीं तो हमने एक मत होकर उनकी भर्त्सना की है। जिससे कि राजनैतिक क्षेत्र में इस प्रकार की हिंसा की प्रवृत्ति न पैदा हो। लोकसभा में भी इस पर चर्चा की गई है। और, देश के अन्य भागों में भी चर्चा की गई है। मैं निवेदन करूंगा कि इन हिंसात्मक घट-नाओं की हमने भर्त्सना की है। इसी प्रकार से कलकत्ता में जा जयप्रकाश नारायण जी पर हमला किया गया है, एक मन्त्री ने भी उस में भाग लिया है। इस बारे में हमने प्रारम्भ होने से पहले भी निवेदन किया था। अब भी निवेदन करता हूं कि आप भी विचार करने के लिए एक घण्टा आधा घण्टा रख लें। बिजनेस कमेटी में भी मैंने निवेदन किया था।

श्री **अध्यक्ष** : मैंने उसे सरकार के पास भेजा है। कल तक देख लेते हैं। उससे पहले.......

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महो-दय, अभी तो कई लोगों के स्थगन प्रस्ताव ही बाकी रह गये हैं।

श्री **अध्यक्ष** : गवर्नमेंट को भेजने में वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री **मनोहरलाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव नहीं भेजा है।

**श्री रतीराम** : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। अलवर शहर में गत 6 अप्रेल को दारासिंह आदि प्रसिद्ध पहलवानों का नाम लेकर कुश्ती दंगल का प्रयत्न किया गया। लाखों रुपया धोखाधड़ी से आम जनता का लूटा गया। इस सम्बन्ध में मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

(11.12 म. पू.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, अलवर शहर में गत 6 अप्रेल को दारासिंह आदि मशहूर पहलवानों का नाम लेकर एक दंगल का आयोजन किया गया। 5 रुपये, 10 रुपये, और 15 रुपये का टिकट आयोजकों ने बेचा। राज्य सरकार ने कुश्ती दंगल का मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया। आयोजकों ने जिलाधीश और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट से भी इजाजत प्राप्त कर ली। इतना ही नहीं अग्रवाल टैण्ट हाउस से फर्नीचर भी लगवाया गया। और अलवर शहर के अलका हाटल में आयोजकों ने ऑफिस खोल लिया 6 अप्रेल का दिन आया। लगभग 20-30 हजार जनता कुश्ती के मैदान में पहुंच गई। 3 बजे से दंगल शुरू था। जब 3 से 4 बज गये। कोई नहीं आया तो जनता को बेचैनी हो गई। क्या रामसिंह नहीं आयेगा और होते होते यह अफवाह फैली कि यह धोखा धड़ी है। दारासिंह को निमन्त्रण नहीं दिया गया है। दूसरा कोई आने वाला नहीं है। तो जनता का धैर्य टूट गया। उस समय जो स्थिति सामने आई जो रोमांचकारी घटना घटी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस समय जनता में उत्तेजना फैली। उसकी उग्रता यहां तक फैली कि उस उत्तेजित जनता ने मैदान में उसी जगह जो फर्नीचर लगा हुआ था, उस फर्नीचर की कुर्सियों को उठा उठाकर एक दूसरे पर मारना शुरू कर दिया। कितने ही लोग हताहत हुये। जिन्होंने अस्पताल में जाकर मरहम पट्टी करवाई। इतना ही नहीं बाजार में होकर भीड़ निकली तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि शहर में जनता की जानमाल की सुरक्षा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भीड़ जब आयोजकों के कार्यालय अलका होटल के सामने से निकली तो होटल में जो कुर्सियां आदि लगी हुई थीं, उनको तहस नहस कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी घटना गत 6 अप्रेल को अलवर शहर में होती है। यह गम्भीर घटना इसी रूप में नहीं है कि जनता का लाखों रुपया लूट लिया गया है। बल्कि इस मायने में है कि प्रशासन को जो व्यवस्था करनी चाहिए आर जो जिम्मेदारी होनी चाहिए राज्य और प्रशासन ने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है। और एक तरह से तमाशबीन की तरह से देखती रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे कई प्रश्न पैदा होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि राज्य सरकार ने बिना देखे भाले और बिना साचे समझे उसको मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया। इस प्रकार से यह खैरथल गृह निर्माण सहकारी समिति है। उसके नाम से यह आयोजन किया गया था। दारासिंह विश्व प्रसिद्ध पहलवान है। उसका आना साधारण बात नहीं हो सकती है। जिला प्रशासन ने उसे बिना पूछे कर मुक्त कर दिया। साधारण पहलवान होता तो कोई बात नहीं थी। दारासिंह को देखने के लिए हजारों आदमी इकट्ठे हो

( श्री रतीराम )

गये। इसलिए मनोरंजन कर मुक्त करने से पहले जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी थी। सरकार को जिला प्रशासन से पूछना चाहिए था। क्या वास्तव में दारासिंह आ रहा है ? जिन्होंने दंगल का आयोजन किया है, उन्होंने कोई इजाजत मांगी है। कोई एग्रीमेण्ट दिया है या नहीं ? लेकिन राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाई।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

जिला प्रशासन ने कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई है। उन्होंने हल्के ढंग से इजाजत दे दी। इतना ही नहीं इसके बाद यह स्थिति आई। जब यह सब कुछ हो चुका तो चाहिए तो यह था कि जिला प्रशासन उस सहकारी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्त्री और कोषाध्यक्ष, ठाकुरदास और गिरधारीलाल आदि थे, खैरथल सहकारी समिति के जो लोग थे जो कि एक ही परिवार के सारे लोग हैं। जिन्होंने इस प्रकार की धोखाधड़ी की है, आज भी पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। बल्कि इस बारे में जो निरपराध लोग हैं, उनको पुलिस लूट रही है। पुलिस को यह एक मौका मिला है। कितने ही गरीब लोगों के झूठे केस बनाकर पकड़ कर ले जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री **उपाध्यक्ष** : समाप्त कीजिये।

श्री **रतीराम** : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा गम्भीर मामला है। मैंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री **उपाध्यक्ष** : एडजोर्नमेण्ट मोशन का यह कायदा नहीं है कि उस पर भाषण हो।

**श्री रतीराम** : मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं।

तो इसलिए मेरी राज्य सरकार से यह मांग है। मैं राज्य सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह इतना गम्भीर फ्रॉड हुआ है अलवर शहर में। तो मैं यह चाहता हूं कि उन लोगों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाये। जो आयोजक हैं, उनसे सारा पैसा लेकर राज्य सरकार की ट्रेजरी में जमा कराया जाये।

दूसरी मेरी यह मांग है कि जिन लोगों से टिकिट बेचकर के और पैसा मिल गया उनका पैसा उनको वापिस दिलाया जाय। तीसरी मेरी मांग है कि अग्रवाल टैन्ट हाउस का फर्नीचर बरबाद कर दिया, लूट लिया गया और तोड़ फोड़ की गई अथवा वहां का अल्का होटल जो बिल्कुल बरबाद हो गया उनको कम्पेन्सेशन राज्य सरकार की तरफ से दिलाया जाना चाहिए और इनके साथ ही साथ जिन सरकारी अधिकारियों, चाहे जिला प्रशासन हो अथवा राज्य सरकार के अन्दर बैठे हुए अधिकारी हों जिन्होंने मनोरंजन कर से वहां पर मुक्ति दी उनके खिलाफ भी पूरी तरह से एन्क्वायरी करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। इसलिए मेरी मांग है कि जिले से बाहर के अधिकारियों-उच्च अधिकारियों से इसकी न्यायिक जांच करायी जानी चाहिए ताकि जिले के जिन अधिकारियों की वजह से जो यह गलती हुई अथवा राज्य सरकार के जिन अधिकारियों की वजह से यह हुआ और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया उनके खिलाफ तथ्य सही ढंग से

(श्री रतिराम)

जनता के सामने आ सकें और जो लोग अपराधी हैं चाहें इसके आयोजक हों या राज्य सरकार के अधिकारी हों उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मनोहरलाल।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का सवाल है, इसलिए....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इस पर कह चुके हैं—यह अभी रेग्यूलर बिजनेस में भी नहीं आया है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह आपके क्षेत्र का भी मामला है और मेरे क्षेत्र से भी सम्बन्धित है। मैंने इस सम्बन्ध में कलेक्टर साहब से और एस. पी. साहब से बात की थी और उनका कहना है कि हमने इसलिए एन्क्वायरी नहीं की क्योंकि गवर्नमेन्ट ने इस पर टैक्स एग्जम्पशन दे दिया है तो उन्होंने इसकी एन्क्वायरी कर ली होगी। माननीय वित्त मन्त्री महोदय इस बात के अन्दर बहुत सख्त हैं और होना भी चाहिए कि उन्होंने मनोरंजनकर से मुक्ति की इजाजत नहीं दी, यह अच्छा है कि उन्होंने सामाजिक संस्थाओं को भी मनोरंजन-कर से मुक्ति नहीं दी। लेकिन यह एग्जम्पशन क्यों दिया और कैसे दिया और इसमें जिलाधिकारियों को बाई-पास करके क्यों एग्जम्प्शन दिया गया, कौनसी हालातें थीं, इस पर कल गवर्नमैंट को वक्तव्य देना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मनोहरलाल !

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : उपाध्यक्ष महोदय, एक फ्रॉड ऐसा ही पिछले वर्ष गंगानगर में....

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

हुआ था, दारासिंह के नाम पर पांच लाख रुपये कलेक्ट हुए। पाकिस्तान से एक पहलवान आने वाले थे। आखिर यह क्यों दारासिंह के नाम पर ही फ्रॉड किया जाता है। पाकिस्तान के पहलवान के साथ उनका दंगल होने वाला था। यह सब फ्रॉड............

**एक माननीय सदस्य** : जगजीवनराम जी पर भी फ्रॉड..........

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : जगजीवनराम जी वाले फ्रॉड पर तो मैं हरिजनों की कमेटी पर बोलूंगा। परन्तु यह फ्रॉड एक कॉलेज के नाम पर, एक संस्था के नाम पर गंगानगर में हुआ। यही दारासिंह पहलवान पाकिस्तान के एक पहलवान से लड़ने वाले थे। फ़र्जी पहलवान के नाम पर लोगों से लाखों रुपयों की जेब काटी गई, वह भी लाखों रुपयों का एक फ्रॉड था, मैं जानता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप विराजिये। श्री मनोहरलाल।

**श्री मनोहरलाल (कामां)** : उपाध्यक्ष महोदय, कामां एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और वहां पर पुलिस स्टेशन भी है। उपाध्यक्ष महोदय, लाखों की तादाद में तीर्थ यात्री वहां पर आया करते हैं। लाखों तीर्थ यात्री वहां पर दर्शन करने आते हैं, ऐसे स्थान पर कोई थानेदार शरीफ आदमियों के साथ शराब पीकर दुर्व्यवहार करता है और

(श्री मनोहर लाल)

यात्रियों के साथ मारपीट भी करता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म आती है, मैं सदन के अन्दर इस मामले को नहीं छेड़ना चाहता था। इस बात को लेकर जब कई आदमी मेरे पास आये। जब कोई आदमी मर्यादा तोड़ दे बिल्कुल—रिश्वतखोर भी मैंने बहुत देखे हैं पुलिस वाले और ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारे पुलिस विभाग को और पुलिस अफसरों को बदनाम किया है। जहां तक रिश्वतखोरी का सवाल है मैं तो यहां तक कहूंगा कि न्यायिक अदालतों में बैठने वाले और दूसरे विभागों में भी रिश्वतखोरी है, पुलिस अकेली ही घूस के लिये जिम्मेदार नहीं है। मैं इसके लिये तीन-चार प्रमाण देना चाहूंगा। एक महिला आती है कामां में मथुरा से, रात्रि में मोटर स्टेण्ड पर वह रुकती है उसको कामां का थानेदार पकड़कर ले जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है, उसको पीटा जाता है और उससे चार सौ रुपया लेकर उसको छोड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद अभी चार दिन पहले की बात है कामां से दस मील की दूरी पर कामां तहसील में ही एक गांव सतवाड़ी है वहां की एक लड़की को पकड़कर थाने में बन्द कर दिया गया। ए. एस आई. का इसकी जानकारी नहीं थी, यह सच है लेकिन वह वहां पर काफी दिनों से है, सारे आदमियों को वह जानता है। कामां तहसील की लड़की को पकड़ कर ले जावे थानेदार और उसको पता नहीं होवे। कामां के पास ही दो मील की दूरी पर तमाम गांव जल गया, थानेदार जीप के अन्दर वहां पर गया। मुर्गियां भागने लगी तो चार मुर्गियों को थानेदार ने पकड़कर उनकी गर्दन मरोड़कर अपनी जीप में डाल दी। थानेदार वहां पर तफतीश के लिये जाता है और गांव वालों को कहता है कि सौ रुपये दो। एक थानेदार जीप रखता है परन्तु उसको मेन्टेन नहीं कर सकता, बड़े आदमी भी मेन्टेन नहीं कर सकते हैं परन्तु कामां का थानेदार जीप रखता है और उसको मेन्टेन करने के लिये जनता से पैसे वसूल करता है। वह तफतीश के लिये जाता है और जीप के बिना नहीं जा सकता है यह तो अच्छी बात है लेकिन उसकी मेन्टीनेन्स का पैसा जनता से वसूल करे। एक दिन में और रात में आठ आदमियों को बुलवाये और उनको पीटे, उन आदमियों में से एक से दो सौ रुपया, एक आदमी से पांच सौ रुपया, एक से चार सौ रुपया और एक से सौ रुपया मांगा। वे गरीब आदमी थे, उन्होंने अपना सामान बेचा और थानेदार को रुपये देकर पीछा छुड़वाया। थानेदार शराब पीकर लोगों को पीटता है बिना अपराध के। एक ट्रक वाले को पकड़कर उससे पचास रुपये ले लिये, लोगों ने इसका विरोध भी किया लेकिन उसको थाने में बिठा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, एक घटना और है, दिल्ली से कुछ मिस्त्री लोग काम करने के लिये आये, कुछ गाडियों को देखने के लिये आये थे, वह भले आदमी थे और गाडियों की मरम्मत करना चाहते थे। उनको थानेदार ने तंग किया और नतीजा यह हुआ कि डेढ़ सौ रुपये उस थानेदार को देने पड़े जब उनका पीछा छूटा। उनका कोई काम नहीं थानेदार से जो हिन्दुस्तान समाचार में काम करते थे। थानेदार शराब में धुत होकर शरीफ लोगों को रात में सत्यपालजी यादव को गालियां देता है। उनका कोई झगड़ा नहीं था, उनको गाली देते हैं। रूपराम जी वहां के सरपंच हैं,

(श्री मनोहरलाल)

थानेदार ने उनको बुलवाया, वह शराब में धुत था, सरपंच ने कहा, हुक्म फरमाइये तो उसको गाली दी। मैंने उनको कहा कि अपने आपको सम्भालो लेकिन वह पिये हुए था लेकिन मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर देना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी हो। लेवी चल रही है, लेवी में थानेदार का क्या काम। मांग-पत्र काश्तकारों के पास पहुंचा नहीं, थानेदार पहुंच जाता है, वह धमकी देता है, एस. डी. एम. को अपने साथ लिवा ले जाता है। और मांग-पत्र बिना दिये थानेदार और एस. डी. एम. दोनों गैर कानूनी हरकतें करते हैं···

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये।

**श्री मनोहरलाल** : इसके साथ निवेदन कर देना चाहता हूं कि बढ़िया गेहूं काश्तकारों से लेवी में लिया और वह गेहूं थानेदार और एस. डी. एम. और तहसीलदार ने अपने घर पर भेज दिया और उसके स्थान पर घटिया गेहूं लेवी के रूप में गोदामों में भेजा गया। मैं इस बात को थानेदार तक सीमित रखना चाहता हूं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस थानेदार को तुरन्त हटाया जाय और उसके स्थान पर अच्छे आदमी को वहां भेजा जाय, वरना उपाध्यक्ष महोदय, वहां अशांति होगी, एक दफा वहां हड़ताल हो चुकी है, दूसरी दफा वहां दंगा होगा, और गरीब लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाये जायेंगे। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, उनको वहां से हटाना चाहिए। मैंने सुना है, डी. आई. जी. अच्छे आदमी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह तुरन्त इनको हटायेंगे और सस्पेण्ड करेंगे और उनके खिलाफ जांच करायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं स्थगन प्रस्ताव पेश करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : (श्री मोहम्मद गफ्फार अली के खड़े होने पर) आपका एडजोर्नमेंट मोशन नहीं है।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : मेरा एडजोर्नमेंट मोशन विश्वकर्मा इण्डस्ट्री के बारे में है।

**श्री उपाध्यक्ष** : फर्माइये।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : उपाध्यक्ष महोदय, झोटवाड़ा में विश्वकर्मा इण्डस्ट्री काम्प्लेक्स है। वहां छोटे-मोटे कारखाने हैं और कमानी इन्डस्ट्री उसमें शामिल है। दो-तीन महीने से, मैंने पहले भी इस तरफ तवज्जह दिलाई, वहां ऐसी हालत पैदा हो रही है। इण्डस्ट्री के लोग वर्कर्स के ऊपर सख्ती करते हैं और हमारे मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट भाई उनकी सहायता में आकर मजदूरों के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस इश्यू की तरफ मैंने राज्य सरकार का ध्यान दिलाया और लेबर मिनिस्टर का ध्यान दिलाया कि इस तरफ तवज्जुह करें। कोई इण्डस्ट्री का मालिक किस तरह जुल्म कर रहा है, किस तरह आदमियों की पिटाई कराता है। परसों का यह वाकया है वहां एक बूढ़ा मजदूर 55 वर्ष का है, उसको मार्क्सिस्ट साथियों ने गेट पर मारा, उसमें मालिक की साज-बाज थी, इसलिए शरण नहीं दी गई, न प्रोटेक्शन दिया गया, बल्कि उसको वहां से हटा दिया गया। यह कहा गया, यह झगड़ा नहीं हुआ।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
सम्बन्धित पुलिस वहां चूंकि मिल मालिक से पैसा खाती है, इसलिए बजाय इसके जो मारने वाले तद्रुक हैं उनको गिरफ्तार करती, जो पिटता है, उसको अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होने दिया। मैं राज्य सरकार की तवज्जह दिलाऊं कि वहां हालत ऐसी है कि पुलिस सजग नहीं रहती है और मार्क्सिस्ट और मालिकों द्वारा मजदूरों पर जुल्म किया जा रहा है। दूसरी ओर छोटे-छोटे कारखाने हैं उनको लॉक आउट किया जा रहा है। सरदार साहब का कारखाना था उसमें छः मजदूरों को मारा पीटा और बन्द कर दिया। वह पुलिस के अन्दर रिपोर्ट लेकर गये तो 107 और 117 में गिरफ्तार करके भेज दिया और जमानत चौबीस छत्तीस घण्टे नहीं हुई और उसके बाद में दबाव डालकर इस्तीफा लेकर कारखाने को बन्द कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस उदासीन है और लेबर मिनिस्टर उदासीन हैं। उनका यह कर्त्तव्य है कि जो छोटे मोटे कारखाने चल रहे हैं विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीज कॉम्लेक्स में उनके मजदूरों को संरक्षण मिलना चाहिये और सम्बन्धित पुलिस का रवैया बदलना चाहिये। वहां मार्क्सिस्ट पार्टी की यूनियन से मिल कर मजदूरों पर जुल्म ढ़ाया जा रहा है, यह तद्रुक है और यह मुतवातिर तरीका बना रखा है। वहां एक अशोका फाउन्डरी एक कारखाना है (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) मैं बहुत कम बोलता हूं। मैं खत्म कर रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** आप काफी बोल चुके हैं।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली:** मैं खत्म कर रहा हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के होम मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर दोनों असेम्बली में गायब हैं, चन्दनमल जी यहां मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा, इस तरफ तवज्जह करनी चाहिये। लेबर मिनिस्टर को तवज्जह करनी चाहिये, जो लॉक आउट हो रहा है, मजदूरों पर ज्यादतियां हो रही हैं उनको बन्द किया जाय, सम्बन्धित पुलिस को सख्ती से पाबन्द किया जाय कि जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। आज एटक और इन्टक के मजदूर महफूज नहीं हैं, आये दिन घटना घट रही है, बीसों आदमी घायल होकर शफाखाने में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया गया। मैं एक फहरिश्त देने वाला हूं, किस तरह से जुल्म पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि इस मामले में राज्य सरकार को नीति का स्पष्टीकरण करना चाहिये, यह बताना चाहिये कि क्या चाहते हैं, यह चाहते हैं कि जितनी लेबर यूनियन की एक्टिविटीज हैं, उनको समाप्त कर दिया जाय, या यह चाहते हैं कि मार्क्सिस्ट और मिल मालिकों को इस तरह की हरकतें करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाय। यह चीज है, यह साफ शब्दों में कहनी चाहिये कि क्या करना चाहते हैं।

## सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

### अधिसूचनाएं

**श्री उपाध्यक्ष:** सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र व अधिसूचनाएं!

**श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की

Page No 69

(69)



(श्री चन्दनमल बैद)
निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 9 (1) वित्त/वा. कर/70, दिनांक 8 नवम्बर, 1974।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 7 (33) वित्त/वा. कर/72, दिनांक 8 नवम्बर, 1974।

(3) अधिसूचना संख्या प. 7 (33) वित्त/वा. कर/72, दिनांक 10 फरवरी, 1975।

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 2(34) वित्त/ग्र.प-4/74, दिनांक 10 फरवरी, 1975।

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 2 (6) वित्त/ग्र.प-4/75-3, दिनांक 2 मई, 1975।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे आदि। माननीय खनिज मन्त्री !

श्री जुझारसिंह (राज्य मन्त्री, खनिज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) एवं 619 (ए) की उप धारा (3) का भाग (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे एवं लेखों पर भारत के नियन्त्रक महा अंकेक्षक का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) बीकानेर जिप्सम लि. का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे, तथा

(2) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (पूर्व में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड), जयपुर के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियन्त्रक महाअंकेक्षक का प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार !

व्यवस्था का प्रश्न

**अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की 1969-70 की रिपोर्ट पर विचार**

श्री मोठालाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, कि सन् 1970-71 की रिपोर्ट डिस्कस हो रही है। इसमें दुःख की बात है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जानबूझ कर घोर उपेक्षा बरती जा रही है। सन् 1969-70 की रिपोर्ट के बारे में क्या हुआ, आपने सन् 1970-71 की रिपोर्ट पेश करदी। लेकिन सन् 1969-70 की रिपोर्ट का क्या हुआ ? यह पहले बताया जाय, फिर सन् 1970-71 की रिपोर्ट रखी जाय। उसके पहले आप सन् 1969-70 की रिपोर्ट पेश करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सन् 1969-70 की रिपोर्ट के बारे में मन्त्री महोदय बतायें।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बजट सेशन के समय आसन के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। यह रिपोर्ट अगर सदन की मेज पर रखेंगे तो

(श्री लक्ष्मण सिंह)

इसके ऊपर कोई बहस सार्थक रूप से नहीं हो सकती। उस समय भी सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन आखिरकार इतना महत्वपूर्ण विषय है दोनों रिपोर्ट पर बहस हो तो उस पर कोई न कोई सार्थक बहस हो सकती है अन्यथा 1970-71 की रिपोर्ट पर बहस हो तो उस बहस का क्या उपयोग। और 1970-71 की रिपोर्ट के ऊपर क्या बहस हो सकती है वह बहस बुनियादी नहीं होगी।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बंध में एक बात....

**श्री उपाध्यक्ष** : पॉइन्ट ऑफ आर्डर पर ?

**श्री गिरधारी लाल भार्गव**:पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर का समावेश कर के निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री उपाध्यक्ष**: पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर का समावेश कर रहे हैं ?

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : लोक सभा में बाईसवीं रिपोर्ट पेश हो गई है और इस सदन में बीसवीं रिपोर्ट पर 1970-71 की रिपोर्ट पर बहस करने का विचार है। यह 1970-71 की रिपोर्ट पर वहां पहले विचार हुआ था...

**श्री उपाध्यक्ष** : लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दिया।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : पहले रिपोर्ट आयी थी तब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया था। यह यहां पहले से परिपाटी रही है, एक एक दिन का समय ऐसी रिपोर्ट के बारे में विचार करने के लिये दिया जा रहा है। गत सत्र, विधान सभा का सत्र स्थगित हुआ, उस समय निवेदन किया गया था। मैं समझता हूं आज केवल उस रिपोर्ट के ऊपर विचार करें, 1970 पर, आज 1970-71 के बारे में विचार करें तो यह केवल औपचारिकता है और इस प्रकार अनुसूचित जाति और जन जाति के प्रति एक प्रकार से मखौल उड़ाना और दूसरे रूप में मजाक बनाना है, हमने तुम्हारी रिपोर्ट पर विचार कर लिया। मैं व्यवस्था चाहता हूं, सरकार इनके साथ उपेक्षा कर रही है, मजाक का व्यवहार कर रही है। इस पर आपकी ओर से व्यवस्था दी जानी चाहिए और सरकार को ताड़ना दी जानी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरी वाली रिपोर्ट के बारे में विचार हुआ नहीं हरिजनों का उत्थान होना चाहिए, उसके लिए जो सुझाव दिये थे, उस पर विचार हुआ नहीं। और यह केवल औपचारिकता निभाने के लिए करें। लोकसभा में 22 वीं रिपोर्ट पर विचार हुआ और हम बीसवीं रिपोर्ट पर विचार करें। मेरा निवेदन है कि यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, इस पर मैं निर्णय चाहता हूं।

**श्री शंकरलाल (पाली)** : यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है कि चूंकि 1969-70 की रिपोर्ट पर पूरी चर्चा नहीं हुई है इसलिए इस रिपोर्ट पर चर्चा न की जाए मैं समझता हूं यह व्यवस्था का प्रश्न ठीक नहीं है। यह बात जरूर है कि 1969-70 की रिपोर्ट पर पूरी चर्चा होनी चाहिए थी, यह भी सही है कि 1970-71 के बाद में 1971-72 की रिपोर्ट भी लोक सभा में पेश हो चुकी है, उस पर आज बहस

(श्री शंकरलाल)
होती लेकिन इस पाइंट ग्रॉफ ग्रॉर्डर को उठाकर जो ग्राज बहस होने वाली है उसको टाला जाए, यह तो उपयुक्त नहीं होगा, ध्येय खतम हो जाएगा, इसका मतलब ग्राप शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट डिसकस ही नहीं करना चाहते।

**श्री मीठालाल** : पहले वाली रिपोर्ट का क्या हुग्रा ?

**श्री उपाध्यक्ष** : ग्रॉर्डर प्लीज।

**श्री शंकरलाल (पाली)** : इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा की जाए ग्रौर चर्चा करते समय जो मुद्दे उठायें वे सरकार के ध्यान में लाए जायं लेकिन इस पर चर्चा जरूर हो। यह पाइंट ग्रॉफ ग्रॉर्डर जो उठाया गया है वह सही नहीं है, इसको नहीं मानना चाहिए।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : व्यवस्था ग्रासन की ग्रोर से होनी चाहिए, ग्रापकी ग्रोर से नहीं।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : 1969-70 की रिपोर्ट पर ग्रधूरी बहस हुई, उस पर पूरी बहस के लिए समय देना चाहिए था, उसके बाद 1970-71 की रिपोर्ट पर बोलें। लेकिन मुझसे पूर्व जो कांग्रेस सदस्य ने कहा वह सही नहीं है, ग्राज पौने बारह बजे हैं, समय एक बजे तक का है। ऐसे जोरदार विषय पर बहस के लिए पर्याप्त समय नहीं है। पाइंट ग्रॉफ ग्रॉर्डर का मतलब था कि 1969-70 की रिपोर्ट पर ग्रधूरी बहस जो हुई है उस पर पूरी बहस हो, 1970-71 पर पूरी बहस हो, इसके लिए तीन दिन का समय निर्धारित होता। इतने थोड़े समय में विचार व्यक्त करना एक तरह से ग्रनुसूचित जातियों के माननीय सदस्यों की एग्जिस्टेंस को चुनौती है ग्रौर साबित है कि कोई भी व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट्स का संरक्षण नहीं कर सकता ग्रौर उनके ग्रधिकारों ग्रौर दुःख दर्दों पर विचार व्यक्त करने के लिए यह सरकार उदासीन है, समय नहीं देना चाहती है ग्रौर मखौल करती है इसलिए इस रिपोर्ट पर विचार करके राजस्थान के ग्रनुसूचित जातियों के साथ खिलवाड़ न करें, उपहास न करें ग्रौर उनकी एग्जिस्टेंस को चुनौती न दें इसलिए या तो इसके लिए ग्रधिक समय दें ग्रन्यथा इस पर विचार नहीं हो सकता। 22वीं रिपोर्ट पर लोक सभा में विचार हो गया। इसलिए इस पर विचार न किया जाए ग्रौर इसके लिए कम से कम तीन दिन का समय निर्धारित किया जाए ग्रन्यथा यह चुनौती है, उपहास है, इन्सल्ट है, मजाक है शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : पाइंट ग्रॉफ ग्रार्डर।

**श्री फूलचन्द जैन** : व्यवस्था के प्रश्न पर बहस हो रही है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : I am hearing the views.

**श्री विट्ठल भाई** : कम से कम तीन दिन का समय देना चाहिए था। पहले भी हमने मांग की थी कि दो दिन के लिए समय बढ़ाया जाए। लेकिन जो सरकार की पोलें हैं, जो गरीब ग्रादिवासियों के साथ ग्रन्याय हुग्रा है वह यह सरकार नहीं सुनना चाहती है ग्रौर जल्दी से जल्दी घंटे ग्राध घंटे में नाम मात्र के लिए रिपोर्ट पर बहस

(श्री विट्ठल भाई)

खतम करना चाहते हैं। इसलिए या तो दो दिन के लिए इस रिपोर्ट पर बहस के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए बाकी घंटे आध घंटे के लिए बहस करने के लिए हम तैयार नहीं हैं क्योंकि सारी बातें हम सदन में कह नहीं पायेंगे और जितनी सरकार की पोलें हैं और अन्याय हो रहे हैं हरिजनों के साथ उन पर नहीं बोल सकेंगे।

**श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक)** : मेरा निवेदन है कि आज 4 बजे से 8 बजे तक सदन का और सेशन बुलाया जाए ताकि इस रिपोर्ट पर विस्तार से विचार विमर्श हो सके।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : यह कोई अनावश्यक मसला नहीं है। शाम को न तो मंत्री होंगे न मुख्य मंत्री इसको तवज्जह देंगे, वह हैड ऑफ स्टेट हैं, जो सरकार के मुखिया हैं, वह यहां मौजूद नहीं हैं, 4 बजे कोई मंत्री नहीं आएगा, यह तो उपहास होगा, माननीय सदस्यों की शक्ति एग्जास्ट होगी। इस रिपोर्ट में बहुमुखी समस्यायें हैं सामाजिक समस्यायें हैं, नैतिक समस्यायें हैं। 4 दिन का भी समय मिले तो काफी नहीं है, अत्याचारों की कहानी है, उनको सुनकर समाज कल्याण मंत्री को खुशी होती है, इसलिए दो चार घटे का समय दिया जाए तो न तो पूरा विचार हो सकेगा न समस्याओं का समाधान हो सकेगा। अलग समय जब तक न दिया जाए तब तक इस पर विचार न किया जाए, मखौल न की जाए एक्सट्रा समय देकर।

**श्रीमती नगेन्द्र बाला** : यह बात तो समझ में आती है कि समय बढ़ाया जाए इसमें दो राय नहीं ताकि रिपोर्ट पर जितना ज्यादा से ज्यादा विचार हो सके, करें। लेकिन यह कहना कि मुख्य मंत्री नहीं है इसलिए रिपोर्ट पर विचार नहीं होगा इसका मतलब सारे मंत्रिमंडल का अस्तित्व ही नहीं है? ढंगारणी जी स्वयं बैठे हुए हैं।

(श्री मूलचंद सामरिया के बोलने पर) मेरी बात सुन लीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

**श्रीमती नगेन्द्र बाला** : कई बार इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, मुख्यमंत्री को कई काम रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के कारण वह बाहर चले जाते हैं, इसका मतलब सदन का अस्तित्व ही नहीं है? अध्यक्षजी बैठे हुए हैं। रिपोर्ट के लिए समय बढाया जाए। मंत्रीजी स्वयं बैठे हुए हैं सुनने के लिए।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : मैंने कभी भी नहीं कहा कि विचार न हो। मैंने निवेदन किया था कि मुख्य मंत्रीजी ने इसकी उपेक्षा की और इतना महत्व नहीं दिया कि अपने प्रोग्राम का स्थगित करके आज यहीं रहते।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : व्यवस्था का प्रश्न है मेरा।

**श्री फूलचन्द जैन** : पहले की व्यवस्था का क्या हुआ?

**श्री उपाध्यक्ष** : सबसे पहले जो मुद्दा माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने रखा है वह है कि आज दूसरी बैठक 4 बजे से 8 बजे तक रखी जाए। क्या सदन की अनुमति है कि सदन की दूसरी बैठक आज

(श्री उपाध्यक्ष)

4 बजे से 8 बजे तक बुलाई जाए ? जो इसके पक्ष में हों वे खड़े हो जायें।

(प्रस्ताव के पक्ष के माननीय सदस्य खड़े हुए) जो विपक्ष में ही वे खड़े हो जायें।

(प्रस्ताव के विपक्ष में श्री मूलचंद सामरिया खड़े हुए)

आज सदन की दूसरी बैठक 4 बजे से 8 बजे तक होगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि दिनांक 6-4-73 को श्री ओंकारलाल चौहान समाज कल्याण मन्त्री के द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर वाद-विवाद हुआ तथा इसे अगले सत्र के लिये स्थगित रखा। यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त उन्नीसवीं रिपोर्ट वर्ष 1969-70 जो दिनांक 8-3-73 को सदन की मेज पर रखी गई थी और जहां तक उसका राजस्थान से संबंध है पर विचार किया जाय। चूंकि उस समय इस पर पूरी तरह से वाद-विवाद नहीं हुआ इसलिये इसे अगले सत्र में लेने के लिये रखा। अभी जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें यह निर्णय लिया कि 69-70 की रिपोर्ट के साथ साथ जो सन् 1970-71 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति की जो रिपोर्ट है वह भी इसी से संबंधित है अतः इन दोनों पर एक ही साथ विचार कर लिया जाय तो उचित रहेगा…

**एक माननीय सदस्य** : हां ठीक है दोनों को ही साथ साथ ले लिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मन्त्री जी प्रस्ताव करें।

## शासकीय संकल्प

### अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की बीसवीं रिपोर्ट पर विचार

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : (समाज कल्याण मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की बीसवीं रिपोर्ट वर्ष 1970-71 जो दिनांक 15 मार्च, 1975 को सदन की मेज पर रखी गई थी और जहां तक उसका राजस्थान से संबंध है, पर विचार किया जाय।

**श्री मीठालाल** : साथ में जो सन् 69-70 की रिपोर्ट भी विचाराधीन है।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : वह तो है ही।

**श्री उपाध्यक्ष** : वह तो ऑलरेडी मोशन किया हुआ है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पोईन्ट आफ इन्फोरमेशन।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या है साहब फरमाइये।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सदन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की 19वीं और 20वीं रिपोर्ट जो कि 69-70 और 70-71 से संबंधित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज से 6-7 महीने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
पहले ही 71-72 की रिपोर्ट भी पार्लियामेन्ट में पेश कर दी गयी। उपाध्यक्ष महोदय, 69-70 और 70-71 की रिपोर्ट तो पार्लियामेन्ट में डिसकस भी हो चुकी इस प्रकार हम पार्लियामेन्ट से दो साल पीछे हैं। जिन्हें पार्लियामेन्ट में कनफर्म कर दिया गया वहां हमें 71-72 की रिपोर्ट देखने को नहीं मिल रही है। यह काफी गम्भीर बात है इस तरह तो फिर हम 7-8 रिपोर्ट एक साथ ही ले लें।

**श्री मोहन लाल छंगाणी** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूचना है कि सन् 71-72 का रिपोर्ट अभी तक सिर्फ पार्लियामेन्ट में ही डिसकस हुई है राज्य सभा में तो पेश ही हुई है हम उसे अगले सत्र में ले लेंगे।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : उस वक्त तक आप यहां पर होंगे या नहीं। आप समाज कल्याण मन्त्री तब तक रहेंगे या नहीं।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैं नहीं हुआ तो क्या कोई दूसरा समाज कल्याण मन्त्री तो होगा ही। हो सकता है मोहन छंगाणी नहीं हो। लेकिन इतना मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि मैंने यहां पर जो कहा है कि अगले सत्र में ले लेंगे वह मोहन छंगाणी ने नहीं कहा वह समाज कल्याण मन्त्री ने कहा है यह ध्यान रहे।

**एक माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय, कई विधान सभाओं ने पास कर दिया है इस रिपोर्ट को।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में अच्छी तरह से है कि 71-72 की रिपोर्ट पर बहस नहीं हुई है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री विठ्ठल भाई।

**श्री विठ्ठल भाई** : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है कि जब तक इस रिपोर्ट के डिसकशन के लिये सदन के समय को नहीं बढ़ाया जायेगा तब तक बोलने से कोई फायदा नहीं क्योंकि इस पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया जा सकता। मेरी ऐसी मान्यता है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के ऊपर जो रिपोर्ट है उस पर अच्छी तरह से वाद-विवाद नहीं करना चाहती इसलिये मैं इसके विरोध में वाक आउट करता हूं।

(श्री विठ्ठल भाई का सदन से बहिर्गमन)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मूलचन्द!

**श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)** : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सदन में रिपार्ट डिसकस हो रही है इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों की जनता में इनसल्ट करना है क्योंकि इतने थोड़े से समय में यह रिपार्ट डिसकस नहीं हो सकती है। राज्य सरकार जबर्दस्ती इसको थोप रही है। अगर राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों का चहुमुंखी विकास करना चाहते तो आप इसको सदन में पूरा समय देते, नहीं तो मैं समझता हूं कि आप न केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लोगों को ही बल्कि जो भी अनुसूचित जाति और

(श्री मूलचन्द सामरिया)
अनुसूचित जन जाति के एम. एल. ए. हैं उन सभी को इनसल्ट करना चाहते हैं। इसलिये जब तक इसके लिये समय नहीं बढ़ाया जायेगा तो मैं इसके विरोध में वाक ग्राउट करता हूं।

(श्री मूलचन्द सामरिया का सदन से बहिर्गमन)

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री बेगाराम !

(अनुपस्थित)

श्री **लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद सत्य है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की रिपोर्टस पार्लियामेन्ट में डिसकस हो चुकी है और हमारे यहां पर इसको दो साल से बराबर टाला जा रहा है आप चाहें तो बहुमत के आधार पर इसको कन्फर्म करा दें लेकिन यह तो राज्य सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि राज्य सरकार की इसके अन्दर सुस्ती रही है और अब राज्य सरकार इसको इतने थोड़े समय में पास करना चाहती है और इसके लिये समय नहीं बढ़ाना चाहती है तो मैं इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री लक्ष्मणसिंह का सदन से बहिर्गमन)

**श्री फूलचन्द जैन** : सभी अलग अलग वाक आउट करेंगे क्या ?

**श्री मीठालाल मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जो यह रिपोर्ट है यह किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं है यह तो सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों से संबंधित है। इसमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जनता की सभी जगह पर उपेक्षा की जा रही है। वास्तव में उपाध्यक्ष महोदय, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। आज उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथ हर क्षेत्र में उपेक्षा बर्ती जा रही है मैं। तो इतना तक निवेदन करूंगा कि आज न केवल विरोधी पक्ष के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्य ही बल्कि जो कांग्रेस के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के मेम्बर्स हैं वह भी बहुत ही शर्मिन्दा हैं। उनमें भी आज भारी रोष छाया हुआ है। और अगर 69-70 और 70-71 की रिपोर्ट के लिये समय पूरा नहीं बढ़ाया गया तो फिर हम इस पर बिलकुल नहीं बोलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं जब तक राज्य सरकार ने इतने अर्से तक जो इस रिपोर्ट को पड़ी रखी उसके लिये जब तक राज्य सरकार माफी नहीं मांगे तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। अगर राज्य सरकार की सिर्फ इस रिपोर्ट को औपचारिकता निभाने के लिये सदन में रखना है और केवल लीपा-पोती ही करना है तो मैं इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री मीठालाल मीणा का सदन से बहिर्गमन)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत।

**श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत** (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

सदन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की 20वीं रिपोर्ट पर वाद-विवाद हो रहा है। यह बड़े ही दुःख की बात है कि हमारा यह वर्ग आज हमें आजाद हुए इतने वर्ष हो गये हैं उसकी हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। वर्ण व्यवस्था में जैसे चतुर्थ श्रेणी की स्थिति है वही स्थिति सरकारी काम-काज में इस रिपोर्ट की भी रही। यद्यपि भारत सरकार और राज्य सरकार जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिये भी कार्य करती है वह हमें इस रिपोर्ट से देखने को मिलती है। मैं समाज कल्याण मन्त्रीजी का आभार प्रकट करती हूं उन्होंने इस सत्र में इस रिपोर्ट को माननीय सदस्यों के विचार प्रकट करने के लिये सदन में रखा और इसके साथ साथ मैं इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस रिपोर्ट के वाद-विवाद में मुझे उन्होंने अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 338 के अनुसार जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के विकास के लिये कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं उसी क्रम में कुछ विशेष सुविधायें उन लोगों को जो सदियों से पददलित हरिजन थे। जब से सभ्यता से दूर आदिवासी भाई यह हमेशा कई निर्योग्यताओं से पीड़ित थे उन्हें कुछ विशेष प्रकार की सुविधायें हमारे संविधान में प्रदान की गयी हैं।

(11.49 म. पू.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, अगर हम आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखें तो वहां पर आपको उनकी परम्परा वाली स्थिति हमें देखने को मिलती है। सभापति महोदय, राजस्थान के मानचित्र पर दृष्टि डालें तो हमारे यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की जनसंख्या 28 प्रतिशत है। सभापति महोदय, जनसंख्या का 28 प्रतिशत भाग अगर पिछड़ा हुआ रहता है तो हमारी जनता का कभी भी विकास नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, हमारे यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के विकास के लिये यद्यपि हमारा समाज कल्याण विभाग काफी प्रयत्नशील है और इस बात के लिये प्रयत्न भी करता है कि समाज का यह वर्ग जो कि पिछड़ा हुआ है उस वर्ग में और दूसरे वर्ग में जो आर्थिक और शैक्षणिक दूरी है उसे दूर किया जाय। फिर भी ग्रासिया, भील, सांसी, कंजर, मीना और इनके साथ साथ हरिजन भाई भी हैं जो कि बहुत अधिक आर्थिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से बहुत अधिक पीछे रह गये हैं। गांधीजी ने जो वर्ग रहित तथा जाति रहित समाज की कल्पना की थी वह कल्पना हमें इतने लंबे समय के बाद भी साकार होती हुई नहीं दीखती है। प्रश्न उठता है कि उसका कारण क्या है? क्यों इस प्रकार की व्यवस्था है? अब तक उसका अन्तर क्यों नहीं पट रहा है? इसका मुख्य कारण है कि आज हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनैतिक कार्यकर्त्ता भी अपने आपको उनसे दूर रखते हैं। क्या ही अच्छा होता कि बाबू जयप्रकाश नारायण, जो आज नारा दे रहे हैं दल रहित प्रजातन्त्र का यदि वह नवयुवकों को यह नारा देते कि दलित वर्ग को ऊपर

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

उठाना है, और उनके लिये, उनके विकास के लिये प्रयत्नशील होते तो आशा थी कि इस तरह से देश का कुछ चित्र बदल सकता था ।

परन्तु सब ही लोगों ने सरकार पर ही यह सब कार्य छोड़ दिया है यह कहकर कि यह कार्य सरकार का है और हमारा अपना यह कार्य नहीं है और यही कारण है कि इतने लम्बे अर्से के बाद भी वह वर्ग भेद पनपा हुआ है। यदि हमने शक्ति भर अनुसूचित जाति और जन जातियों के व्यक्तियों को शिक्षित करने की कोशिश की होती, उनको ठीक प्रकार से सुविधायें प्रदान की होतीं तो आज जो उनका चित्र है, वह नहीं होता ।

छात्रवृत्तियां हम उन लोगों को देते हैं परन्तु उसमें जो विलम्ब होता है उसको देखा जाय तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । छः सात महीने तक भी, एक गरीब छात्र जो शिक्षा ग्रहण करता है, उसको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है और उसको बड़ी परेशानी में दिन काटने पड़ते है । इस वर्ष भी यह देखने को मिला है ।

अनुसूचित जाति और जन जातियों के शैक्षणिक विकास के लिये छात्रावास बनाये । परन्तु उनका जरा अवलोकन तो कीजिए । उनकी बहुत ही घृणित स्थिति दिखाई देती है । श्रीमान, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूं । घाड़ोलिया छात्रावास, चित्तौड़गढ़ में 170 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं । लेकिन वहां खाने तक की उनके लिये व्यवस्था नहीं है । 20-25 दिन पहले वे छात्र मेरे पास आए । और कहा, हम भूखे हैं और वार्डन गायब हो गया है । जिस प्रकार से निवेदन किया, श्रीमन्, यदि एक-दो बच्चे होते, दस-बीस, बच्चे होते तो मैं उनके लिए अपने पास से खाने के लिए व्यवस्था कर सकती थी । लेकिन 170 बच्चे भूखे थे और उनके खाने पीने की कोई वहां पर व्यवस्था नहीं थीं । जिला प्रशासन से कहा उनका परीक्षाओं के दिन हैं । वार्डन कहीं गया. उसका पता किया जाय, लेकिन उसका पता नहीं चला । जिला प्रशासन ने उनके लिये पुलिस लाइन में व्यवस्था की ।

श्रीमन्, संस्थाओं के द्वारा जो इस प्रकार से छात्रावास चलाये जा रहे हैं यह उनके विकास का मार्ग नहीं है यह तो उनके शोषण का मार्ग है । हम इसको भूल गये । अतः मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रकार से जिन छात्रावासों की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल रही है, जहां पर इस प्रकार की अव्यवस्था है उन छात्रावासों को कृपया अपने हाथ में लें और उन दलित वर्ग के बच्चों के लिये सही रास्ता अपनायें ।

मान्यवर, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में जिन बच्चों को प्रवेश किया जाता है वे भी उन तबकों से आते हैं जहां पर शिक्षण के लिये व्यवस्था नहीं रही है और न ही कोई परम्परा रही है, इसलिये अन्य वर्ग के सामान्य बच्चों के अनुपात में उनका स्तर निम्न होता है । मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि जो बच्चे इस लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिये अलग से कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाय ताकि ये बच्चे भी सामान्य स्तर के बच्चों के साथ ठीक प्रकार से टैक्निकल शिक्षण ग्रहण कर सकें ।

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

तीव्र बुद्धि के जो छात्र हैं उन्हें आगे अध्ययन के लिये विदेशों में भेजा जाता है। इस ओर जो कुछ भी कार्य किये गये हैं वे नगण्य ही कहे जा सकते हैं। इसके लिये और अधिक व्यवस्था होनी चाहिये ताकि शिक्षण के स्तर पर विकास की ओर ध्यान दे सकें।

मान्यवर, स्त्री शिक्षा के बारे में अनुसूचित जाति और जन जातियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यदि हम आंकड़े एकत्रित करें तो एक प्रतिशत से भी कम छात्रायें शिक्षा ग्रहण करती हैं। उनके परिवारों के उत्थान और पतन का जिम्मा उन्हीं पर है। उन छात्राओं की क्यों उपेक्षा करें? मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि जिला स्तर पर कम से कम एक छात्रावास महिलाओं के लिये होना चाहिये, छात्राओं के लिये होना चाहिये तब ही जाकर हम समाज की गाड़ी को सुचारु रूप से चला सकेंगे। और तब ही जाकर शैक्षणिक स्तर आदिवासियों के बच्चों को सामान्य नागरिक के स्तर पर लाकर खड़ा कर सकेंगे।

सामाजिक रीति-रिवाजों और रूढ़ियों की ओर जरा दृष्टि डालिये। सदियों से उनकी जड़ें गहराई में जमी हुई हैं। 1955 का कानून उस जुर्म को निकाल नहीं पाया। सैद्धान्तिक तौर पर रिपोर्ट दे दी कि छूआछूत समाप्त हो गया। लेकिन यह नगण्य है। ग्रामीण स्तर पर ही नहीं किन्तु नगरीय स्तर पर भी यह समाज में विद्यमान दिखाई देता है। यह छुआछूत का कलंक अभी हमारे भाल पर है इसको दूर करना चाहिये।

प्रश्न यह उठता है कि छुआछूत का मूल कारण क्या है? उसका वास्तविक कारण यह है कि वे व्यक्ति जो इस प्रकार के धन्धों में लगे हुए हैं वे गन्दे धन्धे कहलाते हैं। सरकार ने काफी कुछ कार्य किया है लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में अभी तक भी सिर पर मैला ढोने की प्रथा है। उसको बन्द करने के लिए आपको विशेष प्रावधान रखना चाहिये।

जहां तक अनुसूचित जाति और जनजातियों के आवास का सम्बन्ध है, यह जो अलगाव की नीति है इसके पीछे कोई विशेष कारण है। मेरा यह सुझाव है कि सरकारी क्वार्टर्स हैं उनका अलॉटमेन्ट होता है तो अनुसूचित जाति और जन जातियों के लोगों के लिये आरक्षण करना होगा अनुसूचित जाति और जन जातियों के लिये एक विशेष प्रकार का आरक्षण हमें करना पड़ेगा।

छुआछूत की बीमारी पर पूरी तरह से कुठाराघात हो सकता है जबकि अन्तर्जातीय विवाह हो। सवर्ण और अस्पृश्य कहे जाने वालों के विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाय। इस प्रकार के कुछ विवाह होते हैं किन्तु जिस प्रकार से इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये वह नहीं दिया जाता है। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि सवर्ण तथा अस्पृश्य जातियों के विवाह होते हैं उनका सही रूप में प्रदर्शन किया जाना चाहिये और उनको आर्थिक मदद और अन्य सुविधायें देनी चाहियें। नौकरियों में इनको प्राथमिकता देनी चाहिये, विशेष प्रकार के मकान बनाने के लिये उनको अनुदान देना चाहिये। तब ही जाकर अन्तर्जातीय विवाह होंगे और

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

गांधीजी का स्वप्न भी साकार होते हुए कुछ वर्षों में देख सकेंगे।

मान्यवर, उनका आर्थिक स्तर भी निम्न है। क्यों है ? इस सब को भी देखना चाहिये। आज हमने योजनाओं में इन्हें प्राथमिकता दी है परन्तु उन योजनाओं के क्रम के ऊपर दृष्टिपात करें तो सबसे नीचे यह दिखाई देगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कल्याण के लिये प्रावधान किया गया है। जब हम इस प्रकार की योजनाओं में भेद-भाव करते हैं तो फिर विकास की कैसे बात कर सकते हैं। यह समाज की एक कमजोर कड़ी है और इसे हम तभी सशक्त कर सकते हैं जब हम उनके प्रति आर्थिक योजनाओं को लागू करें। अधिकांश लोग जो अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जन जाति के हैं या जो आदिवासी है ये भूमिहीन कृषक हैं—एक तरह से खेतीहर मजदूर हैं जिनके लिए अलॉटमैंट की व्यवस्था की है। खेती के लिए जमीन दी जाए परन्तु दुर्भाग्य की बात है ये व्यक्ति भूमि के मालिक नहीं बन सके हैं और सवर्ण जाति के लोगों ने इनकी जमीनों को हड़प लिया है। इसका मुख्य कारण है, इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भूमि बेच दी है।

जिस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को अलॉटमेंट होता है जमीन का उस समय उनको आर्थिक सहायता, कृषि उपकरण के लिए या कृषि विकास लिए दी जानी चाहिये। साथ ही जो लगान लिया जाता है उसे भी कुछ समय के लिए नहीं लिया जाना चाहिये, उसमें कुछ समय के लिए छूट देनी चाहिये तभी जाकर भूमि का वास्तविक मालिक बन सकेंगे क्योंकि भूमि के वास्तविक मालिक बनने के बाद ही उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। यह मूल कारण है जिसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। जो व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जमीनों का मालिक बन गया है उनको हटाना पड़ेगा। यदि मूल स्वामी कहीं दूसरी जगह चला गया है तो वह जमीन दूसरे लोगों को न दी जाकर, सवर्णों को न दी जाकर, उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिये।

मान्यवर, जब हम उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे तभी हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उत्थान पर विचार कर सकेंगे। आज जो ऋण बन्धक की प्रथा है, सागड़ी प्रथा वह आदिवासी क्षेत्रों में दिखाई देती है। यद्यपि हमने 1961 के कानून के अनुसार इसको हटा दिया है लेकिन फिर भी आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर डिवीजन के जो क्षेत्र हैं वहां पर सागडी प्रथा को देख सकते हैं जिसमें दासों जैसा व्यवहार इनके साथ किया जाता है। हम इनके विकास की बात करते हैं अनुसूचित जाति और जन जाति के नाम पर लेकिन इनके नाम से कई व्यक्ति ऊंचे स्थानों को पहुंच गए हैं आज भी इनकी स्थिति दासों की तरह है जिसका स्पष्ट चित्रण आप वहां जाकर अवलोकन कर सकते हैं। मान्यवर, तो जो इस प्रकार की स्थिति है उसमें सहकारी समितियों का क्रियाशील करना होगा। जो साहूकार आज भी पनप रहे हैं

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)
इसका मूल कारण हमारी सहकारी समितियों का निष्क्रिय होना ही है। इन समितियों ने इनको ठीक से ऋण देने की व्यवस्था नहीं की है। आज भी एक आदिवासी को ऋण प्राप्त करने के लिये कई चक्कर लगाने पड़ते हैं इसलिये मजबूर होकर उसे साहूकार के चक्कर में ही फंसना पड़ता है.........

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनिट में समाप्त करती हूं।

मान्यवर, हमने आदिवासियों को प्रशिक्षण देने के लिये विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया, उसके लिये बजट भी अलग से निर्धारित किया है, जिस धनराशि का प्रावधान किया है वह बहुत कम है। उसको बढ़ाने के लिये मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि जिस प्रकार शरणार्थियों के लिये हमने टैक्स लगाया है उसी प्रकार आदिवासियों के विकास के लिये भी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के विकास के लिये एक विशेष प्रकार के टैक्स का प्रावधान उस समय तक करना चाहिये जिस समय तक उनकी आर्थिक दशा में परिवर्तन नहीं हो जाता है। इस काम के लिये अतिरिक्त राशि इकट्ठी की जा सके जिससे उनके विकास का कार्य किया जा सके, इसका प्रवाधान अवश्य बनाना चाहिये।

आज आदिवासियों को पूर्णरूप से खेती पर भी नहीं बसाया जा सकता है, क्योंकि खेती की जमीन सीमित है अतः कुटीर उद्योग पर ध्यान देकर विकास करना चाहिये और खेद की बात है जो आदिवासी जंगल में रहते हैं, वनप्रदेशों में रहते हैं वहां वन-सम्पदा बहुत है और उसके आधार पर ही कुटीर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है, लेकिन राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमें उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये ध्यान देना ही होगा तभी जाकर उनकी स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है।

आज सहकारी वन समितियों के नाम पर जो इनका शोषण किया गया है उसका और जगह उदाहरण नहीं मिलेगा—खासतौर से उदयपुर डिवीजन में जो समितियां बनाई गई हैं उसमें बहुत शोषण किया गया है। यदि उसके बारे में आप जानना चाहें तो मैं बाहर बता दूंगी लेकिन यहां समय के अभाव में नहीं बता सकूंगी।

इसी प्रकार नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की है—28 प्रतिशत आरक्षण रखेंगे, परन्तु दुर्भाग्य की बात है जो प्राईवेट उद्योग है और जो निजी शिक्षण संस्थायें हैं, युनिवर्सिटीज हैं इन आदिवासी जातियों के लिये किसी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था नहीं है तो मान्यवर आरक्षण या रिजर्वेशन इन क्षेत्रों में भी करना होगा। खासतौर से जो निजी क्षेत्र के उद्योग हैं उनको आर्थिक सुविधायें दी जानी चाहियें और पाबन्द किया जाना चाहिये कि विशेष प्रकार का आरक्षण का जो कोटा है उसको पूरा कर सकें। निजी संस्थायें भी इस ओर आगे बढ़ें। आज इन तीनों विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग बहुत ही कम हैं, नगण्य हैं। क्या हम उनको विशेष प्रकार का आदेश नहीं कर सकते हैं?

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

मान्यवर मैं बहुत अधिक न कह कर यही कहना चाहूंगी कि ट्राइवल सोसाइटीज के बारे में हम वास्तविक तौर पर तभी बढ़ सकते हैं जब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करें। जो ट्राइवल इन्स्टीट्यूशन उदयपुर में स्थापित की है, परन्तु मैंने देखा है कि उस ट्राइवल इन्स्टीट्यूशन का काम केवल दफ्तर की टेबिल पर बैठकर कागजी काम किया जाता है। इसलिये, मान्यवर, इस इन्स्टीट्यूशन में जन-प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाना चाहिये और खासतौर से जो व्यक्ति ट्राइबल सोसाइटी के बारे में जानकारी रखते हैं, जो एक विशेष शैक्षणिक वर्ग या एन्थ्रोपोलोजिस्ट आते हैं उनको उनमें स्थान मिलना चाहिये तभी जाकर हम उनका विकास कर सकेंगे। हमारा विकास का जो यह क्रम है वह पूरा नहीं हो सकेगा इसलिये सुव्यवस्थित और क्रमशः राजस्थान ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट का विकास करना होगा।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (पाली) : सभापति महोदय, वास्तव में यह तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज हमारे इस विधान सभा के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के माननीय सदस्यों की इतनी संख्या होते हुये करीब 50 से अधिक संख्या कहें लेकिन उपस्थिति केवल यहां 5 या 6 सदस्यों की रहे उसमें भी दो राज्य मंत्रीगण हैं। दूसरे जो लोग हैं वास्तव में ऐसा लगता है इस वाद-विवाद का बहिष्कार किया है जैसी कि किसी ने सूचना भी दी है। सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि जिस रिपोर्ट पर बहस हो चुकी है या जिस पर और बहस करने के लिये कहा गया है उनके मन में यह हो सकता है कि इस रिपोर्ट पर वाद-विवाद करने से हल नहीं निकलता है और सबने मिलकर बहिष्कार किया है तो मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं यहां पर रह कर हमें इस बात को उठाना चहिये इसलिये इस कदम के पीछे मैं टीका-टिप्पणी न करते हुये केवल मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसे गम्भीरता से लें और राज्य सरकार भी इसे गम्भीरता से ले कि आज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के जो माननीय सदस्य हैं वे सदन में उपस्थित भी न हों, क्या कारण है और उन्होंने क्यों बहिष्कार किया। वे विचार करें इसके बारे में। 69-70 की रिपोर्ट की चर्चा के लिये कहा गया, इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं है, लेकिन 70-71 की रिपोर्ट जिसके बारे में विचार करने का प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने रखा है, मैं कुछ बातें प्रस्तुत करूंगा। सभापति महोदय, वास्तव में यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अधिकतर समाचार पत्रों में राजस्थान के बारे में ही नहीं बल्कि देश के कई कोनों से चाहे यू. पी. हो या मध्यप्रदेश हो वहां हरिजनों के ऊपर जुर्म और अत्याचार की घटनायें दिन प्रति दिन आती हैं और हमारे राजस्थान में भी कई घटनायें हरिजन बालिकाओं के साथ बलात्कार और हरिजनों के साथ पिटाई और उनकी निर्मम हत्या—कई प्रकार के काण्ड होते हैं। यह ऐसी बात है कि जो गृह विभाग से भी संबंधित है और वास्तव में यह बात ठीक है और ज्यादा अच्छा, होता यदि मुख्य मन्त्री जी जिनके पास कि गृह विभाग भी है वह स्वयं उपस्थित होते और वे नहीं हो सकते थे तो जो गृह राज्य मंत्री हैं वह सदन में उपस्थित होते। उनकी अनुपस्थिति वास्तव में इस रिपोर्ट के प्रति

(श्री शंकरलाल)

जो गम्भीरता और चिन्तन से जो बात कहना चाहते हैं हरिजनों के प्रति अत्याचार होने की जिसका कि गृह विभाग से बहुत बड़ा संबंध है उनके अनुपस्थित रहने से उस बात का इतना महत्व नहीं रहता और इसको अगर इन्हीं शब्दों में नकारात्मक कहा जाये और अवहेलना करना कहा जाये तो अनुपयुक्त नहीं होगा । मैं समझता हूं कि इस पर गम्भीरता से चिन्तन और मनन होना चाहिए ।

सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट है इसके पेज 149 की तरफ मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके अन्दर हालांकि पुरानी घटना है लेकिन इस रिपोर्ट में जिस घटना के बारे में कहा गया है, दूसरे प्रान्तों की घटनाओं के साथ ही साथ हमारे राजस्थान की घटना के बारे में भी हवाला दिया गया है। इसमें लिखा गया है :

"जिला टोंक (राजस्थान) के एक गांव में रहने वाला एक कंजर जाति के प्रतिवेदन-कर्त्ता ने अपनी पत्नी के साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त से 28-8-1971 को भेंट की । उसने शिकायत की कि आवां और मालपुरा की पुलिस उसके परिवार को परेशान कर रही थी । पुलिस वालों ने उसको और उसकी पत्नी को हवालात में पीटा था। उसकी पत्नी को चोट लगी थी उसके प्रमाण में उसने डॉक्टरी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति दिखलाई । उसने यह भी बताया कि पुलिस की धमकी के कारण उसे अपने छोटे-छोटे बच्चों को गांव में ही छोड़ कर वहां से भाग जाना पड़ा है । उसने आगे कहा कि यह सब कुछ इस कारण हुआ कि उसने पुलिस को 1000 रुपये देने से इन्कार कर दिया था । संबंधित अधिकारियों को इस मामले से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखा गया जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, टोंक ने रिपोर्ट दी कि उक्त कंजर और उसके लड़के की एक सेंधमारी के मामले में पूछताछ के लिए तलाश है, लेकिन वे फरार हैं और जांच पड़ताल से बचना चाहते हैं यह घटना ऐसी है कि जिसको मैं समझता हूं कि पूरा पढ़ूंगा तो सदन का बहुत सारा समय चला जायेगा क्योंकि यह रिपोर्ट सब के पास है । तो इस घटना की ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अंत में इस घटना के बारे में कहा गया है ।

"जांच की रिपोर्ट राजस्थान के मुख्य मन्त्री और राजस्थान के इन्सपेक्टर जनरल पुलिस को जयपुर में भेज दी गयी । चूंकि मामला गंभीर था, इसलिए जांच के लिए इसको अपराधी जांच विभाग के भी सुपुर्द कर दिया गया ।"

इसके आगे नई दिल्ली की घटना आ जाती है । तो मैं जानना चाहूंगा कि 1970-71 की रिपोर्ट में इस घटना के बारे में कहा गया है और पुलिस के अत्याचारों के बारे में और दूसरी बातों के बारे में जो अत्याचार और जुल्मों की घटनायें आई हैं और जिसको कहा गया कि यह बहुत गम्भीर है और जांच के लिए सुपुर्द कर दिया गया अपराध शाखा को तो उसका क्या नतीजा रहा ? आज सन् 1975 चल रहा है

(श्री. शंकरलाल)

इसलिए उसके बारे में मैं मानीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट के अन्दर अंकित राजस्थान से संबंधित जो मामला है उसके बारे में उन्होंने अपना कर्त्तव्य कहां तक निभाया है।

दूसरे, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक मुझे याद पड़ता है मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं मुख्य मन्त्री पद संभालने के पश्चात् इस बात की घोषणा की था और सदन में भी कहा गया था कि जो हरिजनों के ऊपर अत्याचार के मामले हैं उनको वह स्वयं डील करेंगे और उन्होंने एक सेल बनाने की घोषणा की थी। मैं जानना चाहूंगा मुख्य मन्त्री जी से- आज वह सदन में नहीं हैं लेकिन समाज कल्याण मन्त्री जी इस बात को मुख्य मन्त्री जी से सम्पर्क करके बतायें—कि आखिरकार उन्होंने जो घोषणा की थी उस संबंध में जो भी घटनायें या जो भी मामले आये उनके बारे में मुख्य मन्त्री जी ने आज दिन तक क्या किया? कितने मामले आये और उस संबंध में क्या कदम सरकार ने उठाये? केवल घोषणाओं से लोगों को सन्तोष मिलने वाला नहीं है। इसलिए जब हम इस रिपोर्ट को डिसकस कर रहे हैं तो आपने जो घोषणा की उसके बारे में क्या हुआ?

सभापति महोदय, यह बात सही है कि आज भी जुल्म होते हैं वह या तो सामाजिक दृष्टि से होते हैं या फिर आर्थिक दृष्टि से होते हैं। जहां तक सामाजिक दृष्टि का प्रश्न है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपिता जिनको हम राष्ट्र का पिता कहते हैं—महात्मा गांधी, वे जहां भी जाते थे, हरिजनों कि बस्तियों में रहते थे। हरिजनों में मिले मिले रहते थे। आज के जो हमारे मंत्रीगण हैं और दूसरे जो सरकार के अधिकारी हैं वह जहां भी जाते हैं केवल आलीशान डाक बंगलों में रहना पसंद करते हैं। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जहां भी वह जायें वह अपना कर्त्तव्य समझें कि जब कभी कोई मंत्री किसी जगह दौरे पर जाये तो हरिजनों की बस्तियों में अवश्य जाये। हरिजनों की बस्तियों में जाना उनकी ड्यूटी होना चाहिए। अगर किसी कारणवश नहीं जा सकें—मैं यह नहीं कहता कि आप महात्मा गांधी की तरह उनके यहां ही जाकर रहें, क्योंकि आपको दूसरे भी बहुत से काम हैं, दूसरी बहुत सी ड्यूटी हैं, हमें प्रेक्टिकल भी होना पड़ता है, लेकिन यह तो कर ही सकते हैं कि जहां भी जायें हरिजनों की बस्तियों में जाकर स्वयं उनको देखें, उनके साथ मिलें जुलें और उनको आभास करायें कि स्वयं मन्त्री अस्पृश्यता नहीं रखते। उनको प्रोत्साहन दें। प्रेरणा दें और सामाजिक दृष्टि से उनको आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कदम उठायें।

सभापति महोदय, जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अस्पृश्यता के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्ट के पेज 189 पर जो सुझाव दिये गये हैं उनकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें यह कहा गया है :

"निर्माण और आवास मन्त्रालय को चाहिए कि वह सामान्य आवासीय पूल के

(श्री शंकरलाल)

पांचवें टाइप तक के क्वार्टरों को आवंटित करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए क्रमशः साढ़े सात, सात पर्सेंट क्वार्टर आरक्षित कर दें" पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने भी यह बात कही थी। वह मैला ढोने की प्रथा के बारे में कही है इसमें आगे लिखा है :

"भंगी अपने सिर पर मैला न ढोवें, उसके लिए उनको हाथ गाड़ी (व्हील बरोज) आदि देने की योजना भंगियों तथा मेहतरों की कार्य-दशाओं को सुधारने के लिए चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण हो परन्तु वह योजना उनको समाज के शेष लोगों के स्तर तक पहुंचाने में मदद नहीं कर सकती जब तक भंगी के काम को व्यवसाय के रूप में अपनाने पर प्रतिबंध न लगा दिया जाये। अतः हमारा अभिलक्ष्य होना चाहिए कि भंगी के पेशे को हमेशा के लिए खत्म कर देना और भंगियों को ऐसे व्यवसायों में लगा देना जो जाति आधारित न हों और इसके लिए एक सुविचारित तथा व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार करने की जरूरत है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों नगर पालिकाओं एवं सम्बन्धित स्वेच्छा सेवी संगठनों को पूर्ण मनोयोग से इस दिशा में कार्य करना चाहिए।"

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में क्या विचार कर रही है? हमने कई बार इस सदन के अन्दर भंगियों की मैला ढोने की प्रथा के बारे में सुझाव दिये हैं और यह सुझाव इस रिपोर्ट में भी दिये गये हैं कि इस व्यवसाय को ही खत्म कर देना चाहिए। इस बारे में राज्य सरकार क्या करने जा रही है?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए विधान के अनुसार रिजर्वेशन विधान सभाओं में, पार्लियामेन्ट में, राज्यसभा में सब जगह दिये हैं दस साल के लिए किया गया, उस समय को बढ़ाना पड़ा, इसलिए बढ़ाना पड़ा कि उस समय में हम उनका उत्थान नहीं कर पाए, इसलिए उसको दस साल के लिए और बढाना पड़ा, बीस साल का किया, फिर दस साल का और किया। लेकिन, सभापति महोदय, इसके अन्दर जब तक जैसा कि इस रिपोर्ट के अन्दर कहा गया है, इस बारे में जब तक हम हमारे जो दूसरी अन्य सीटें हैं, जो सीटें साधारण जनरल सीट्स हैं उन जनरल सीटों के ऊपर शिड्यूल्ड कास्ट के जो अच्छे योग्य और पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं उनको जब तक खड़ा करके शुरुआत नहीं करेंगे तब तक रिजर्वेशन खत्म होने वाला नहीं है। मैं इस ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी इस बात का भी निर्णय ले कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को केवल शिड्यूल्ड कास्ट की सीटों पर ही खड़े न किये जावें बल्कि और सीटों पर भी, जनरल सीटों पर भी योग्य और अच्छे व्यक्तियों को खड़ा किया जाय जिससे यह रिजर्वेशन की प्रथा है वह धीरे 2 समाप्त हो और इसके बारे में मैं उनका ध्यान जो पेज 66 है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा, पेज 131 है, सारी—क्योंकि मन्त्री महोदय देखेंगे नहीं यह मैंने सोचा, लेकिन वे देख रहे हैं—131 पर लिखा गया है :

"इस प्रयास में राजनैतिक दल काफी हद तक सहायक हो सकते हैं। अगर सब के सब

(श्री शंकरलाल)

दल यह निश्चय कर लें कि वे सामान्य सीटों से अपनी पार्टी के टिकट पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोक सभा तथा विधान सभाओं के लिए चुने जाने में यथा सम्भव मदद करेंगे तो वह समय खुद-ब-खुद आ जायेगा जब इन जातियों के लिए अलग आरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जायेगी।"

यह रिपोर्ट के पेज 131 पर कहा गया है। इस उद्देश्य के बारे में राज्य सरकार क्या विचार कर रही है? हम यह जानना चाहेंगे जिससे कि यह रिजर्वेशन जो है हमेशा के लिये इस तरह से आधारित न रहें और हमारी जो जनरल सीटें हैं उनके ऊपर भी यह लोग खड़े हो करके आ सकें।

दूसरा राजस्थान से सम्बन्धित मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि पिछले सत्र में कुछ विधायकों ने और कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने। करीब 35 विधायकों ने, यहां इस बात को लिखित में दिया था माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को विचार करना चाहिए और यह उन्हीं के सोचने की और विचार करने की बात है, यह उन पर ही निर्भर है, लेकिन वास्तव में ही यह बात खटकने वाली है कि राजस्थान के अन्दर जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की इतनी जनसंख्या है और जहां पर इतनी जनसंख्या के अनुपात में माननीय सदस्य हैं और जहां कि पहले भी केबिनेट स्तर के मन्त्री केबिनेट में रहते आए हैं वहां आज केबिनेट रेंक का कोई मिनिस्टर हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का नहीं है। यह जो डिमाण्ड है उनकी वाजिब डिमाण्ड है, इस के ऊपर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। माननीय मन्त्री महोदय तो शायद इसका जवाब दे नहीं पायेंगे मैं नहीं समझता कि वे जवाब दे पायेंगे, लेकिन राजस्थान के अन्दर यह जो डिमाण्ड है, यह मांग है, इसको गैर वाजिब नहीं कहा जा सकता है। उनको प्रतिनिधित्व देने की बात है, आज वह नहीं मानी जाती है तो उनके दिल में जो ठेस होगी, जो प्रतिनिधित्व देने की बात कहते हैं वह मैं समझता हूं कि उचित मांग है, वे अपने प्रतिनिधि को अपनी साफ बात कह सकते हैं। केवल बातें करने से, घोषणा कहने से, केवल बाहरी सहानुभूति दिखाने से नहीं होगा, हमें कार्यान्वित रूप में करना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी उसमें प्रतिनिधित्व के बारे में आज, ही मैंने राजस्थान पत्रिका के अन्दर लेटर पढ़ा कि हमारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जो सोसायटी है को-ऑपरेटिव सोसायटी, उसके अन्दर क्लॉज 58 के अनुसार उसमें तीन डायरेक्टर होने चाहिए शिड्यूल्ड कास्ट्स के लेकिन एक भी नहीं है। यह उस पत्र में लिखा गया है। यह मैंने आज ही राजस्थान पत्रिका में पढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार भी ऐसी ही स्थिति है, हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी जो कि अधिकतर लोन देने का काम करती है शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को और उसमें कानून के अनुसार भी प्रतिनिधित्व माना गया है, उसके अन्दर प्रतिनिधित्व नहीं हो तो वह जो लोग हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नहीं हैं और जो बैठ कर लोनिंग करते हैं,

(श्री शंकरलाल)

मैं समझता हूं कि यह भी एक गैरकानूनी है, यह अवैधानिक है। इसके अन्दर उनका रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए। हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी के अन्दर कानूनन भी प्रावधान है।

सभापति महोदय, मैं अन्त में जो बात है, मुख्य बात है और वह यह है कि इन लोगों की आर्थिक हालत सुधारना चाहिए। सामाजिक हालत सुधारना चाहते हैं, लेकिन जब तक आर्थिक हालत नहीं सुधरती तब तक सामाजिक दृष्टि से भी वह अधूरी रहती है और इसलिए पेज 67 के ऊपर इस रिपोर्ट के अन्दर जो बात कही गई है उसकी तरफ मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उसमें कहा गया है कि :

"लेकिन उत्तेजना पैदा करने वाली और दुःखद बात तो यह है कि वांछित परिवर्तन की गति अत्यन्त धीमी है।"

इसके आगे लास्ट लाइन है:—

"उच्च जातियों के अपने स्वामियों के ऊपर जब तक वे आर्थिक दृष्टि से निर्भर रहते रहेंगे, तब तक ये सामाजिक दृष्टि से भी कभी उठ नहीं सकेंगे।"

जब तक इकानॉमिकली उनकी दशा नहीं सुधरती है और हम लोगों में देखते हैं कि अधिकतर लोग गांवों में, खेतिहर मजदूर के रूप में, लेबर के रूप में सागड़ी के रूप में हैं, वहां जिस प्रकार की दशा है और शहरों के अंदर भी अधिकतर लेबरर्स हैं। मैं, सभापति महोदय, कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम उनको जब यह भूमि आवंटन की बात आती है तो मुख्य बात यह है कि अधिकतर लोग गांवों में हैं, वहां खेती का धन्धा कर सकते हैं इसलिए भूमि आवंटन के मामले में उन लोगों को प्राथमिकता देने का राज्य सरकार ने प्रावधान रखा है। 25 प्रतिशत जो हैं उन लोगों को भूमि आवंटन करना ही पड़ेगा, यह भी प्रावधान था। एक साल तो ऐसा भी गुजरा जब कि राजस्थान सरकार ने पूरे साल भर आवंटन किया लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल सका। आज जिन लोगों को भूमि आवंटित की गई उनको कब्जा नहीं मिल रहा है, यह रिपोर्ट में लिखा है। ऐसे लोगों को कब्जा नहीं मिला और उसके ऊपर दूसरों का कब्जा है। उनकी हालत आर्थिक दृष्टि से अच्छी नहीं थी कि वह उसके ऊपर अपना कब्जा कर सकें, उनके पास बीज, बैल इत्यादि उपकरण नहीं थे। जब तक उनके पास ये उपकरण नहीं होंगे जब तक सुधार नहीं होगा, तब तक वह आपकी दी हुई भूमि पर, वह जो भूमि का उपयोग करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। अधिकतर लाग ऐसा करते हैं कि उन लोगों के नाम से अलॉटमेंट करा लेते हैं लेकिन खेती ये लोग नहीं करते बल्कि इनके नाम पर दूसरे लोग करते हैं। भूमि चाहे उनके नाम पर अलॉट होती है, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अलॉट होती है लेकिन उसका उपयोग दूसरे करते हैं। इसलिए आवंटन के साथ-साथ उन लोगों को साधन देना जरूरी रखा जाय कानून के अन्दर। मैं मन्त्री महोदय को कहना चाहूंगा कि अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर आप इनकी आर्थिक हालत को सुधारना चाहते हैं तो जमीन देने के साथ-साथ उनके पास साधन हो काश्त करने का, इसलिए ये साधन देने होंगे। इसके साधन उपलब्ध कराने होंगे यह आवश्यक रूप से कानून में रखा जाय। यह आवश्यक

(श्री शंकरलाल)

कदम रखा जाय गवर्नमेंट के लिए कि वह जिस किसी शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्ति को भूमि देंगे तो उसको काश्त करने के लिए भी साधन उपलब्ध करायेंगे।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं इस रिपोर्ट के अन्दर कहा गया, मैं पेज 69 और पेज 71 की तरफ भी मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वे इस बात को देखें और इसमें कहा गया है कि जब तक ये लोग साधनहीन हैं, ये साधनहीन लोग भूमि पर काश्त करते हैं तो उनका लगान भी माफ करना पड़ेगा। माननीय मन्त्री महोदय का, मैं समझता हूं कि उनका ध्यान किसी और तरफ ज्यादा जा रहा है, लेकिन यह गम्भीर बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को भूमि आवंटन करने के साथ-साथ दूसरे साधन देना अनिवार्य रखा है, जब तक आर्थिक दृष्टि से अपने साधन नहीं सुधार लें तब तक आपको लगान भी माफ करना पड़ेगा। यह रिपोर्ट में कहा गया है। मन्त्री महोदय, आपने रिपोर्ट में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लें कि जब तक इनकी आर्थिक हालत नहीं सुधरती है आपको उनका लगान भी माफ करना पड़ेगा उस समय तक माफ करना पड़ेगा जब तक कि उनकी आर्थिक हालत इतनी नहीं सुधर जाय कि वे अपना लगान समय पर दे सकें। इसलिए मैं आपका ध्यान पेज 190 की तरफ दिलाना चाहूंगा जिसमें लिखा है कि :

"कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उनसे किसी तरह का लगान नहीं लिया जाये।"

इसके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है। क्या सरकार का इस बारे में दृष्टिकोण है और वह इसको कहां तक आगे बढ़ाना चाहती है।

साथ ही, सभापति महोदय, यह भूमि आवंटन के बारे में और दूसरे आवासीय भूमि के बारे में यह बात तो सही है कि देश के अन्दर राजस्थान ने इस बात के लिए वाहवाही ले ली। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में आवसीय भूमि के पट्टे उन लोगों को दिए, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा कि कितने नाप के किस मेजरमेंट के पट्टे दिए गए और किस जगह पर दिए गये हैं, कहां तक उनकी कारगुजारी सिद्ध होती है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा; मन्त्री महोदय यह जो समस्या है वह गांवों में इतनी नहीं जितनी कि शहरों में है। जिस प्रकार का आन्दोलन आपने गावों के लिए चलाया था उसी प्रकार का आन्दोलन इन आवासीय भूखंड देने का. मन्त्री महोदय मेरे खयाल में मन्त्री महोदय सुनते हीं नहीं हैं। कभी कभी कोई दूसरी जरूरी बातें भी हो सकती हैं। शायद इनको कोई जरूरी बात करना है तो मैं अपना भाषण समाप्त कर दू क्योंकि और कोई सुनने वाला नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आवासन भू-खंड का जो आन्दोलन ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया था वह आन्दोलन इस जाति के लोगों को शहरी क्षेत्रों में आवासीय भूखंड दिये जाने के लिए चलाया जाना चाहिये। शहर के अन्दर इनकी जो दुर्दशा है वह तो इनकी बस्तियों में जाकर देखें तो मालूम हो सकता है कि किस प्रकार

(श्री शंकरलाल)

ये लोग बिना किसी मकान, छप्पर के रहते हैं और इस गर्मी, सर्दी में किस प्रकार दिक्कत का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये लोग इन सड़ी गली बस्तियों में नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह हमारे लोकतंत्रीय व्यवस्था और समाजवादी सरकार के लिए एक कलंक की बात है। आवासीय भूखंड जब तक इन लोगों को शहरी क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है इनकी हालत नहीं सुधर सकती है।

अन्त में सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए एक कमीशन की नियुक्ति करने की घोषणा की है, इसलिए की है कि उन्होंने यह महसूस किया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के अलावा भी जो पिछड़ी जातियां या दूसरे लोग हैं, उनके प्रति भी राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। यह सही है कि आज जो सोशल वेलफयर डिपार्टमेंट है जिसने शिड्यूल्ड कास्ट्स, और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बेकवर्ड क्लासेज की सूची प्रकाशित की है, आज इस सूची को देखें तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के अलावा अदर बेकवर्ड क्लास। के लोग हैं उनकी भी दयनीय दशा है—आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और कई मायने में इन जातियों के लोग ऐसे हैं कि उनकी शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों से भी बदतर हालत है और उनसे अधिक पिछड़े हुए हैं। हमारा यह ध्येय था कि ये जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उठाया जाये। इन जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं किया गया है-जैसे भाट हैं, दरोगा हैं, ढोली है, गाडोलिया लुहार हैं। ये सब अदर बेकवर्ड जातियां हैं। इस प्रकार के ये लोग हैं—इनमें नाई है नायक हैं। यह अदर बेकवर्ड क्लास की जो लिस्ट है वह 57 जातियों की है। मैं इसको पढ़कर यहां सुनाना नहीं चाहता, सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्य इसको जानते हैं। इसमें पिंजारा, रेबारी भी शामिल हैं, सांसी हैं। इसलिए इन जातियों के उत्थान के लिए भी आपको विचार करना पड़ेगा जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने अदर बेकवर्ड क्लास के लिए एक कमीशन बिठाया है, उसी प्रकार आपको भी उन पिछड़ी जातियों के लिए एक कमीशन बिठाना चाहिये।

अन्त में, सभापति महोदय, इस बात को और दोहराना चाहता हूं कि जो भी वातावरण बना है, वह हमने कहा है। इसके लिए आज हमारे जो राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग हैं, इसके बारे में तो जब अकाल के बारे में चर्चा होगी विस्तार से निवेदन करूंगा, लेकिन समाज-कल्याण विभाग के मन्त्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में वे शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों का भला करना चाहते हैं तो आज वे अकाल से पीड़ित हैं। आप मुख्य मन्त्री महोदय पर दबाव डाल कर इसके राहत कार्य चालू करें। आप केबिनेट स्तर के मन्त्री भी हैं। आज शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग भूखे मर रहे हैं। अधिकतर वे लोग है जिनको आर्थिक सहायता न मिलने के कारण अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ रहा है। मेरे क्षेत्र के अन्दर-वहां के सरपंच ने लिखा है शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी भूख से मर गया। इसका नाम है भोपा कौम मीणा। यह आदमी पाली तहसील का है। यह आदमी भूख से मर

(श्री शंकरलाल)

गया। वहां के सरपंच ने इसको लिखा है और इसकी प्रतियां भी सब जगह गई हैं। तो यह एक उदाहरण है। आज वास्तव में अकाल से जो ज्यादा पीड़ित हैं, जो अकाल से मर रहे हैं वे ये ही लोग हैं। इसलिए इन लोगों को आप रोजगार नहीं दिला सकें तो अकाल राहत कार्य खोलकर कुछ रोजगार दें। इस सम्बन्ध में आप शीघ्र ही कारगार कदम उठावें तो उचित होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मैंने सभी माननीय सदस्यों से पूछा है, वे सभी वापिस चार बजे आने में कठिनाई महसूस करते हैं। कल भी बिजनेस रहेगा। इसलिए सभी पार्टी के सदस्यों की यह राय है कि यह जो रिपोर्ट है 69-70 और 70-71 की और भी रिपोर्ट आने वाली है उस पर विचार अगले सत्र में दो दिन के लिए रख लिया जाये और इस रिपोर्ट के ऊपर आज का विचार विमर्श स्थगित रखा जाये और अगले सेशन में इसके लिए दो दिन का समय रखा जावे।

श्री सभापति: क्या इस विवाद को स्थगित रखा जावे।

श्री खेतसिंह: जी हां।

श्री केदारनाथ: दो दिन का समय नेक्स्ट सेशन में रखने के लिए आप अभी से कैसे कह सकते है। इसको पोस्टपोन कर सकते हैं।

श्री सभापति: क्या सदन की अनुमति है कि अनुसूचित जाति और आदिम जाति कमीशन की रिपोर्ट पर आज सदन में जो विवाद, विचार-विमर्श चल रहा है उसको अगले सत्र तक के लिए स्थगित रखा जाये।

(स्वीकृत)

जिस कमीशन की रिपोर्ट पर, वाद-विवाद चल रहा, है वह स्थगित रखा जाता है अगले सेशन के लिये।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 8 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। (तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प.6 12.4 बजे शुक्रवार दिनांक9 मई, 75 के प्रातः 8 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

90



परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्नसंख्या 15 की सूची)

सूची 'अ'

सीकर वृत्त के गांवों में 5-4-75 से 11-4 75 तक पकड़े गये मामलों की सूची

| क्र. सं. | गांवों का नाम | चोरी के मामलों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | कोटड़ी धायलान | 6 |
| 2. | तपोपलिया | 2 |
| 3. | बादिया | 3 |
| 4. | हासपुर | 5 |
| 5. | समस्थपुरा | 2 |
| 6. | चान्दगुप्त | 1 |
| 7. | सबलपुरा | 1 |
| 8. | तासर छोटी | 2 |
| 9. | तासर बड़ी | 1 |
| 10. | कवंरपुरा | 2 |
| 11. | लूनिया गोठड़ा | 1 |

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 17 की सूची)

| क्रमांक | नाम तहसील | नाम क्रय केन्द्र |
|---|---|---|
| 1. | टोंक | (1) कान |
| | | (2) बम्बोर |
| | | (3) टोंक |
| | | (4) बरनियाबास |
| | | (5) पीपलू |
| | | (6) निराना |
| | | (7) डोड़वाड़ी |
| | | (8) रानोली |
| | | (9) सोहिला |
| | | (10) देवली चांदी |
| 2. | अलीगढ़ | (1) अलीगढ़ |
| | | (2) बांसरिया |
| | | (3) उनियारा |
| | | (4) फदोड |
| | | (5) बनेठा |
| | | (6) पचाला |
| | | (7) क्षाब |
| | | (8) गोठड़ा |
| | | (9) कुवेता |
| | | (10) देवती |
| 3. | मालपुरा | (1) मालपुरा |
| | | (2) पचेवर |
| | | (3) लाम्बा हरिसिंह |
| | | (4) लाया |
| | | (5) टोरड़ी |
| | | (6) डिग्गी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | टोडा रायसिंह | (1) टोडा रायसिंह<br>(2) करेड़ा<br>(3) हमीरपुर<br>(4) मोर<br>(5) उनियारा खुर्द<br>(6) दवालिया |
| 5. | निवाई | (1) निवाई<br>(2) बनचली<br>(3) करेड़ा बुजुर्ग<br>(4) छितान<br>(5) शीरस<br>(6) सिरोही<br>(7) सुनारा<br>(8) पहाड़ी |
| 6. | देवली | (1) देवली<br>(2) बनचली डूंडी<br>(3) दूनी<br>(4) बांदा<br>(5) बुराई<br>(6) नासिरदा<br>(7) मांड<br>(8) पनवाड़<br>(9) मालेड़ा |

## परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

### बेरों को गहरा कराने के लिये जमा राशि

19. श्री दीपंकर (लाडनूं): क्या मंत्री, राजस्थान भू जल मण्डल यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नागौर जिले में प्राईवेट बेरों को गहरा करवाने हेतु हजारों रुपये जोधपुर अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड विभाग में जमा हैं परन्तु बेरों को गहरा नहीं किया जाता है और न रकम ही वापस लौटाई जाती है ? यदि हाँ, तो आज तक किस गाँव की कुल कितनी रकम जमा हैं और बेरों को गहरा क्यों नहीं किया गया ? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

नागौर जिले में प्राईवेट बेरों को गहरा करवाने हेतु निम्नांकित आठ पार्टियों के रुपये भू-जल विभाग में जमा हैं :

1. श्री रामानन्द गोशाला, लाडनूं
2. श्री खेती बाड़ी फार्म, लाडनूं
3. श्री विकास अधिकारी, नागौर
4. श्री सुलोचना पांड्या, लाडनूं
5. श्री सुखाराम वासनी तेजां
6. श्री हस्तीमल जैन, पांदू खुर्द
7. श्री चन्द्राराम गोरा, पादू कलां
8. श्री भीखाराम पादू कलां

बेरों को वर्ष 1972-73 व 1973-74 में इसलिये गहरा नहीं कराया जा सका, कि उस समय पेय जल योजनाओं के लिये एवं क्लस्टर योजना के लिये नलकूप निर्माण में रिग्स लगी होने के कारण निजी कार्य बन्द हुआ था।

श्री सुखाराम वासनी तेजां का काम न करवाना चाहने एवं रकम वापस लौटाने की प्रार्थना पर रकम लौटाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री भंवरीमल चोरसिया निवासी कड़लू ने केवल रु. 2000) जमा कराये हैं और शेष रु. 1600) जमा न होने के कारण इनका नाम अभी उपरोक्त सूची में नहीं दिया गया है।

### सांचोर में बिजली की व्यवस्था

20. श्री रघुनाथ विश्नोई (हेगाना): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचोर पावर हाउस से सांचोर कस्बे में विधान सभा में भिन्न भिन्न समय पर दिए गए आश्वासनों के बावजूद अभी तक 24 घंटो पावर सप्लाई शुरू नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ? तथा अब 24 घण्टों तक पावर सप्लाई कब तक शुरू कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पावर हाउस से हाडेचा जल प्रदाय योजना, सांचोर को 24 घण्टों तक बिजली सप्लाई शीघ्र देने का सरकार विचार कर रही है ? अगर हाँ, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह सही है कि सांचोर पावर हाउस में एक नया डीजल इंजन शीघ्र ही इंस्टाल करने का सरकार ने निर्णय लिया था? अगर हां, तो कब और कितने हार्स पावर का? क्या यह भी सही है कि अभी तक नया डीजल सेट उक्त पावर हाउस में नहीं लगाया गया है? अगर हां, तो क्यों? अब उक्त सेट कब तक लगा दिया जावेगा?

(4) सांचोर में 33 के. वी. तथा भीनमाल में 132 के. वी. विद्युत् लाइन डालकर हाईडल पावर सप्लाई शुरू कब तक करवा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रयास जारी है। 24 घन्टे की मुस्तकिल सप्लाई सांचोर जल विद्युत् प्रणाली से जोड़ने पर ही संभव हो सकेगी।

(2) जल प्रदाय योजनाओं को पूरा बिजली देने का हर सम्भव प्रयत्न मण्डल द्वारा किया जाता है। सांचोर जल प्रदाय योजना को आज भी आवश्यक विद्युत् उपलब्ध कराई जा रही है।

(3) एक अतिरिक्त सेट लगाया जाने के आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को करीब एक माह पूर्व दिये गये हैं, जो शीघ्र ही स्थापित किया जायगा।

(4) भीनमाल को वर्ष 1975-76 में 132 के. वी. लाइन द्वारा जोड़ने की योजना पर कार्य हो रहा है।

जयपुर में आवंटित भू-खण्ड

**21. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** (आमेर), **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन पोल, जयपुर): क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर विकास न्यास और राज्य सरकार द्वारा जयपुर में पिछले तीन वर्षों में भू-खण्ड किन-किन को आवंटित किये गये? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। इनको भू-खण्ड आवंटित करने का आधार/कारण क्या था?

(2) क्या राज्य सरकार राजस्थान राज्य आवासन मण्डल के मकानों की ऊंची कीमतों को ध्यान में रखते हुए राज्य कर्मचारी मध्यम और निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो सरकार इनके आवास के लिये क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है?

(स्थगित किया गया)

राज्य में नियोजित पूंजी का स्थानान्तरण

**22. श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन-पोल, जयपुर), **श्री गिर्राज प्रसाद तिवारी** (बयाना): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में नियोजित पूंजी का अन्य राज्यों में पलायन हो रहा है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में राज्य से कितनी पूंजी, जो मूलतः राजस्थान में निजोजित की गई थी

(श्री श्रीराम गोटेवाला, श्री गिर्राजप्रसाद) को दूसरे राज्यों को स्थानान्तरित किया गया और इसके कारण क्या हैं ?

(2) कितनी कम्पनियां राजस्थान में रजिस्टर हुई और उनके अन्दर लगी हिस्सा पूंजी का कितना विनिमय हुआ ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

गांव तंवरा में बांध बनाने की योजना

23. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव तंवरा, तहसील लाडनूं में बांध बनाने की योजना लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो क्या इस योजना का सर्वे हो चुका है ? अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

(2) क्या उक्त योजना जिलाधीश नागौर ने सर्वे हेतु जोधपुर डी. पी. ए. पी. वालों को लिखा है ? अगर हां, तो उसका क्या रिजल्ट निकला और क्या यह योजना चालू अकाल राहत कार्य में प्रारम्भ हो सकेगी ?

(3) उक्त योजना का यदि सर्वे हो चुका है तो इसमें कितनी भूमि में सिंचाई हो सकेगी ?

उत्तर

(1) इस योजना की कोई सर्वे अभी नहीं हुई है ।

(2) जिलाधीश नागौर ने सर्वे हेतु व अकाल राहत के अन्तर्गत इस कार्य को लेने का प्रस्ताव जोधपुर स्थित डी.पी.ए.पी. कार्यालय को सन् 1972-73 में भेजा था किन्तु राहत कार्यों की समयावधि समाप्त हो जाने के कारण इसकी उपयोगिता नहीं आंकी जा सकी । इस योजना की फिजीबिलिटी आंकी जा रही है ।

(3) इसका सर्वेक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ है ।

जयपुर में नई बस्तियों का निर्माण

24. श्री गिर्राज प्रसाद तिवारी (बयाना), श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में नगर विकास न्यास ने कुल कितनी बस्तियों का निर्माण किया है ?

(2) क्या उक्त बस्तियों में सारी सुविधायें उपलब्ध करा दी गई हैं ?

(3) उक्त बस्तियों में से कितनी बस्तियां नगर विकास न्यास द्वारा जयपुर नगर परिषद् को स्थानान्तरित की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर विकास न्यास ने अब तक राज्य सरकार से स्वीकृत 18 आवासीय योजनाओं का निर्माण किया है ।

(2) अधिकांशतः सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं ।

(3) जी नहीं । योजनाओं में भवन निर्माण तथा अन्य कार्यों की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के अभाव में नगर परिषद् जयपुर को हस्तान्तरित नहीं की गई है ।

**टौंक में सड़क का निर्माण कार्य**

25. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बनास नदी पर टौंक शहर के पास गोलेद घाट पर झीकरा की सड़क का निर्माण होता रहा है ? यदि हां, तो इस वर्ष इस सड़क का कार्य बन्द क्यों कर दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि टौंक जिले को बनास नदी ने दो भागों में बांट रखा है और यह सड़क एक मात्र दोनों भागों को मिलाने का साधन है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब प्रारम्भ करा दिया जावेगा ?

**उत्तर**

(1) जी हां। वर्ष 1975-76 में सड़क निर्माण के आदेश दिये जा चुके हैं।

(2) जी हां। कार्य प्रारम्भ के आदेश दे दिये गये हैं ?

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची)

सूची 'अ'

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

List of SC/ST and Harijan Basties of Panchayat Samiti Ladnu District Nagaur electrified against the loan received from Social Welfare Department.

| S. No. | Name of village | Name of MB/P.S. | Name of Basties | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lady | P.S. Ladnu | H.B. | 6692-21 |
| 2. | Jaswantgarh | -do- | H.B. | 8451-54 |
| 3. | Kushambi | -do- | H.B. | 8451-54 |
| 4. | Mangalpur | -do- | H.B. | 6692-21 |
| 5. | Methri | -do- | H.B. | 8451-54 |
| 6. | Dujer | -do- | H.B. | 6690-00 |
| 7. | Rodu | -do- | H.B. | 8450-00 |
| | | | Total.... | 53879.04 |

498



सूची 'ब'

जल प्रदाय योजनाओं की सूची

| क्र.सं. | योजना का नाम | रकम जमा कराने की तिथि | कार्य का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | मन्द्रदई लुकास वाटर वर्क्स स्कीम | 25-3-75 | अधिशासी अभियन्ता, जलदाय विभाग, नागौर ने दिनांक 10-4-75 को सूचित किया कि लुकास में स्थित कुआ असफल हो गया है अतः मालासी में स्थित कुओं पर विद्युत दी जावे। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। |
| 2. | रलाऊ वाटर वर्क्स स्कीम | 23-3-74<br>30-3-74 | 17 किलो मीटर लम्बी 11 के. वी. लाइन खींची जानी है। गत वर्ष आवश्यक अल्यूमीनियम कन्डेक्टर की कमी होने के कारण कार्य नहीं हो सका। इस वर्ष कार्य पूरा होने की संभावना है। |
| 3. | फिरवासी वाटर वर्क्स स्कीम | 1-1-75 | इस विभाग द्वारा 1-3-75 को कार्य पूरा कर दिया गया है लेकिन जलदाय विभाग द्वारा उनका कार्य पूरा करना बाकी है। |
| 4. | बाकलिया वाटर वर्क्स स्कीम | 28-4-75 | आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। |

९९

# शुद्धि–पत्र

(वृहस्पतिवार, दिनांक 8 मई, 1975)

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 27 | ऊपर से 16 | सदन | सदन की |
| 37 | ,, 1 | तोसवाड़ा | तोसावड़ा |
| 54 | नीचे से 7 | रताराम | रतिराम |
| 81 | ,, 7 | मोहमद | मोहम्मद |
| 83 | ,, 9 | सभस्यायें | समस्याएं |
| 88 | ऊपर से 13 | मान ोय | माननीय |
| 99 | नीचे से 8 | श्रो | श्री |
| 140 | ऊपर से 9 | जून जाति | जन जाति |
| 168 | नीचे से 7 | आकिषि | आकर्षित |
| 182 | ऊपर से 3 | मंत्री | — |
| 182 | ,, 4 | मण्डल | मण्डल मंत्री |
| 184 | ,, 8 | गिरर्राज | गिर्राज |

——